लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६२, १९६२/१८८४ (शक)

[२७ मार्च से ३० मार्च, १९६२/६ चैत्र से ९ चैत्र, १८८४ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

Chamber Fumigated 18/7/23

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६२ में अंक ११ से १४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंण्ड ६२—अंक ११ से १४—२७ से ३० मार्च, १९६२ / ६ से ९ चैत्र, १८८४ (शक)]

अंक ११—मंगलवार, २७ मार्च, १९६२ / ६ चैत्र, १८८४ शक

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२४, २२७ से २२९, २३१, २४२, २३२ से २३५, २४० और २३६	८१३—३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२३, २२५, २२६, २३०, २३७ से २३९, २४१ और २४३ से २४६	८३३—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३६से ३७६	८३८—५७
स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार का प्रश्न —	
तेल कम्पनियों के साथ करार . . .	८५७—५९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
उद्यान विभाग के कर्मचारियों की छंटनी . .	८६०–६१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८६१–६२
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ तिरेसठवां, एक सौ चौसठवां और एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन।	८६२
लोक-लेखा समिति—	
बयालीसवां प्रतिवेदन . .	८६२
लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति —	
पांचवां प्रतिवेदन .	८६३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . .	८६३—७८
लेखानुदानों की मांगें—(रेलवे) १९६२–६३ . .	८७८—८८
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९६२ . . .	८८८–८९
पुरःस्थापित और पारित।	

विषय	पृष्ठ
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	८८९—९९२
विचार करने का प्रस्ताव ।	
दैनिक संक्षेपिका	८९३—९७

अंक, १२— बुधवार, २८ मार्च, १९६२ / ७ चैत्र, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २४७, २५०, २४८, २४९, २५१, २५३, २५४, २५६ से २५८ और २६१ से २६७ . .	८९९—९२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २५५, २५९, २६० और २६८ से २७२	९२२—२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७ से ४४२ और ४४४ से ४५४ .	९२५—५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— . .	
कीत्तागुडियम में कोयला खनिकों के बीच हुआ कथित झगड़ा .	९५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	९५९—६०
याचिका समिति . . .	९६०—६१
पन्द्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश ।	
राज्य सभा से संदेश	९६१
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ पैंसठवां और एक सौ छियासठवां प्रतिवेदन	
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	९६१—७१
विचार करने का प्रस्ताव ।	
खंड २ से ५ और १ ।	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
विमान निगम (संशोधन) विधेयक	९७१—८२
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ।	
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	९८२—९०
भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक . . .	९९०—९२
राज्य–सभा द्वारा पारित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ।	
खंड २ से ४ और १ ।	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ।	
दैनिक संक्षेपिका	९९३–९९९

विषय पृष्ठ

अंक, १३—गुरुवार, २९ मार्च, १९६२ / ८ चैत्र, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७४, २७७ से २७९, २८१ से २८४, २८६ २८७,२८९, २९० और २९६–क . १००१–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७६, २८०, २८५, २८८, २९१ से २९६ और २९७ से २९९ . . १०२७–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४९६ और ४९६–क . १०३३–५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . १०५४

स्थगन प्रस्ताव—

भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कथित बलपूर्वक कब्जा . १०५४–५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १०५६

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—

रायें . १०५६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . १०५६

कारी आश्वासनों संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश और दूसरा प्रतिवेदन . १०५६

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तिरेपनवां, एक सौ सड़सठवां और एक सौ अड़सठवां प्रतिवेदन . १०५७

लोक लेखा समिति—

तैंतालीसवां प्रतिवेदन १०५७

सदस्य द्वारा त्याग पत्र . . १०५७

विमान निगम (संशोधन) विधेयक—

राज्य–सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १०५७—६९, १०७२—८०

खंड २ से ८ और १ . . . . . १०७२—७७

पारित करने का प्रस्ताव . . . १०७८—८०

हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक—

राज्य–सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०६७—७२, १०८०—९३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १०९४—९८

विषय	पृष्ठ
अंक १४—शुक्रवार, ३० मार्च, १९६२ / ९ चैत्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०१, ३०२, ३०४ से ३११, ३१२–क ३१३ से ३१५ और ३१५–क . .	१०९९—११२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ से ६ .	११२३—२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३०३, ३१२ और ३१६ से ३२१ .	११२८—३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५२० .	११३२—४०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	११४१–४२
१. गोआ के प्रशसन में कथित त्रुटियां और बेरोजगारी .	११४१–४२
२. बोनस आयोग	११४२
३. टिड्डी दल का आक्रमण . . .	११४२
४. असम के तेल क्षेत्रों में कथित हड़ताल . . .	११४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	११४२—४४
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही सारांश	११४४–४५
राज्य–सभा से सन्देश	११४५–४६
लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकार विधेयक पर वादविवाद के उत्तर में शुद्धि	११४६
हिन्दी साहित्य सम्मेलन	११४६–७४
राज्य–सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	११४६—७२
खंड २ से १९ और १	११७२—७४
पारित करने का प्रस्ताव	११७४
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प अस्वीकृत	११७४—७७
भवनों, स्कूलों आदि के नाम के बारे में संकल्प–वापस लिया गया .	११७७—८७
राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में संकल्प—वापस लिया गया	११८७—९८
चलचित्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प वापस लिया गया .	११९८—१२०१
पिछड़ेपन की कसौटी के बारे में संकल्प .	१२०१–०२
विदाई भाषण	१२०४—०६
दैनिक संक्षेपिका	१२०७—१३
सोलहवें सत्र का कार्यवाही संक्षेप	१२१३

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

गुरुवार, २९ मार्च, १९६२
८ चैत्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

क्लर्कों आदि की भर्ती

†*२७३. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि भारत सरकार और भारत सरकार के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों में क्लर्कों, टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों आदि के रिक्त स्थान भरने के लिये—अधिकांश मामलों में—न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिकुलेशन या इन्टरमीडियेट होती है, तथापि चुनाव सामान्यत: विश्वविद्यालय की डिग्री पाने वालों में से ही किया जाता है और उन्हें ही नियुक्त किया जाता है और जिनके पास डिग्री नहीं होती उनके लिये सरकारी सेवा में आने का कोई अवसर ही नहीं रहता; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी सेवा में आने के लिये मैट्रिकुलेशन और इन्टरमीडियेट व्यक्तियों को उचित अवसर देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय के में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उल्लिखित पदों पर नियुक्तियों के लिये चुनाव सामान्यत: विश्वविद्यालय डिग्री प्राप्त करने वालों में से किया जाता है । तृतीय श्रेणी के पदों के लिये सामान्यत: निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और आयु निम्न प्रकार है :

पद	अर्हता	आयु
गैर-क्लैरीकल पद . .	इंटरमीजियेट/सीनियर कैम्ब्रिज/हायर सेकेन्डरी अथवा समान अर्हतायें	१९–२३ वर्ष
स्टैनोग्राफर्स . . .	मैट्रिकुलेशन	१८–२४ वर्ष

†मूल अंग्रेजी में

क्लेरिकल पद

अपर डिवीजन . .	इंटरमीजियट/सीनियर कैम्ब्रिज/हायर सेकेन्डरी अथवा समान अर्हतायें	१८—२१ वर्ष
लोअर डिवीजन (टाइपिस्ट समेत)	मैट्रिकुलेशन तथा समान अर्हतायें	१८—२१ वर्ष

इन पदों के लिये विश्वविद्यालय डिग्री प्राप्त व्यक्तियों के आवेदन करने पर, यदि वे निर्धारित आयु-सीमा में आते हैं, कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु कम आयु-सीमा को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ ही स्नातक आवेदन कर सकेंगे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : सरकार की यह नीति रही है कि टैक्निकल व्यक्तियों के लिये अधिक गुंजायश होनी चाहिये। परन्तु जहां पर प्रविधिक व्यक्ति, जैसे स्टेनोग्राफर्स और टाइपिस्ट, उपलब्ध हैं, तो फिर यदि विश्वविद्यालय डिग्री प्राप्त कोई है, तो उसको प्राथमिकता क्यों दी जावे। यदि ऐसा है तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि प्रविधिक प्रशिक्षण को उचित स्थान नहीं दिया जाता।

†**श्री दातार** : जहां तक प्रविधिक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, ये नियम उन पर लागू नहीं होते।

श्री त्यागी : क्या यह सच है कि उस आवेदन-प्रपत्र पर, जिनको इन अभ्यर्थियों को भरना पड़ता है, अन्त में एक ऐसा स्थान है जहां किसी संसद्-सदस्य या राजपत्रित पदाधिकारी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र लेने को कहा जाता है कि वह उसे इतने समय से जानता है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वह नियुक्ति के बाद होता है।

†**श्री त्यागी** : उन ग्रामीण बालकों का क्या होता है जो किसी भी संसद्-सदस्य या राजपत्रित पदाधिकारी को नहीं जानते ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है। परन्तु मैं जांच करूंगा और यदि ऐसी कोई कठिनाई है तो उसको दूर कर देंगे।

†**श्री त्यागी** : मैं ने हर प्रपत्र में ऐसा पढ़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इसकी जांच करेंगे। कई माननीय सदस्य को इसका पता है परन्तु मंत्री महोदय को इसका पता नहीं है।

†**श्री दातार** : मैं इसकी जांच करूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने बताया है कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिये न्यूनतम अर्हता इंटरमीडियेट अथवा सीनियर कैम्ब्रिज है। क्या यह सच नहीं है कि केवल स्नातकों को ही अपर डिवीज़न क्लर्क लिया जाता है और इंटरमीजियेट को नहीं ?

†**श्री दातार** : ये आदेश वर्ष १९५९ में जारी किये गये थे और यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यदि न्यूनतम अर्हता निर्धारित है तो उनको पात्र के रूप में विचार किया जायेगा। विश्वविद्यालय डिग्री वालों के लिये आवेदन करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः उनके मामलों पर भी उसी रूप में विचार किया जायेगा जिस रूप में उन पर विचार किया जाता है जो न्यूनतम अर्हता-प्राप्त हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या लोअर डिवीज़न क्लर्क होने के लिये टाइप जानना जरूरी है ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न इस प्रश्न से बाहर है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि डिग्री होल्डरों के लिये अधिक अवसर होने के कारण हमारे कई बालक प्रविधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बजाय डिग्री प्राप्त करने के लिये कालिजों में अंशकालिक दाखला ले लेते हैं ताकि वे अधिक योग्य हो सकें ?

†**श्री दातार** : यह आयु-सीमा में इसीलिये कमी की गयी है कि इस में डिग्री होल्डरों को निरुत्साहित किया जा सके। जहां तक अपर डिवीजन क्लर्कों और लोअर डिवीजन क्लर्कों का सम्बन्ध है, आयु-सीमा १८–२१ वर्ष है। इस आयु में डिग्री प्राप्त करना कठिन है।

विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

†*२७४. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में कलकत्ता के श्री एस० पी० जैन के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री प्र० गं० देव** : अमरीका में उनकी विदेशी सम्पत्ति के बारे में जांच पूरी कर दी गयी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी, नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस असामान्य विलम्ब का क्या कारण है और यह जांच कब पूरी हो जायेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जांच विदेशों में की जा रही है। ऐसी जांच में विलम्ब होता ही है। अतः इस में अधिक समय लग रहा है। मैं यह नहीं बता सकता कि यह कब तक पूरी हो जायेगी । परन्तु हम जांच-कार्य पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जांच किस के द्वारा कराई जा रही है ? क्या यहां से कोई आयोग भेजा जया है ? हमें जानकारी किस प्रकार मिलेगी ? क्या हम केवल पत्र लिख कर ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस बारे में जानकारी देना कठिन है क्योंकि इस से जांच का तात्पर्य ही खतम हो जायेगा ।

श्री अ० मु० तारिक : क्या यह हक़ीक़त है कि पिछले चन्द महीनों में श्री शान्तिप्रसाद जैन के मकान की, जोकि कलकत्ता में है, तलाशी ली गई और अगर यह दुरुस्त है, तो हुकूमत को तलाशी के बाद क्या इत्तिलाआत वहां से दस्तयाब हुईं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम किसी एक मामले के पीछे क्यों पड़े हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्योंकि प्रश्न उसी व्यक्ति के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इस सवाल के सिलसिले में कोई तलाशी नहीं ली गई ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : सवाल यह है कि फ़ारेन एक्सचेंज के रेगुलेशन्ज़ की खिलाफ़वर्ज़ी के सिलसिले में पिछले चन्द महीनों में श्री शान्तिप्रसाद जैन के मकान की कोई तलाशी हुई या नहीं और अगर हुई, तो वहां से क्या दस्तयाब हुआ ।

श्री ब० रा० भगत : अगर माननीय सदस्य इस बारे में सवाल पूछें, तो मैं जवाब दे सकता हूं । जैसा कि मैं ने अभी कहा है, जहां तक इस केस का सवाल है, हस सिलसिले में अभी कोई तलाशी नहीं हुई ।

†**श्री प्र० गं० देव** : इस बारे में पता लगाने के लिये सरकार ने अमरीका को अन्तिम पत्र कब भेजा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हम हर सम्भव कार्य कर रहे हैं । परन्तु जिस का माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उस से जांच नहीं की जा सकती । पत्र किस को ? इस प्रकार बैंक हमें नहीं बताते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या २७५ । श्री प्र० चं० बरुआ । वह अनुपस्थित हैं ।

†**श्री बसु मतारी** : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस का उत्तर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्त में देखेंगे ।

कोयले के संभरण की स्थिति

†*२७७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले के संभरण की स्थिति में किस हद तक और किस तरह सुधार हुआ है ;

(ख) स्थिति को सुधारने के लिये किन-किन क्षेत्रों और गत्यावरोधों की ओर ध्यान देना होगा ;

(ग) कोयले के अपर्याप्त संभरण के फलस्वरूप अहमदाबाद की मिलों का काम किस हद तक तथा क्यों प्रभावित हुआ था ; और

(घ) क्या एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में जानकारी दी हुई है ।

विवरण

(क) वर्ष १९६१ में कुल ५२०.६ लाख टन कोयला भेजा गया जबकि वर्ष १९६० में ४८७.५ लाख टन कोयला भेजा गया था । वर्ष १९६२ में रेल, सड़क और समुद्र द्वारा कुल ५९० लाख टन कोयले के परिवहन की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रमुख कठिनाई मुख्यतः पश्चिम बंगाल/बिहार क्षेत्र में परिवहन और बिजली और विस्फोटक पदार्थों की कमी है। सरकार योजना आयोग और संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करने और स्थिति सुधारने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है।

(ग) अहमदाबाद में मिलों को अधिकांश संभरण केन्द्रीय भारत कोयला-क्षेत्रों से किया जाता है। इन क्षेत्रों में स्टीम कोयले के उत्पादन पर कुरसिया कोयला खानों में आग लगने में प्रभाव पड़ा। अतः कुछ संभरण पश्चिम बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों से करना पड़ा जहां पर परिवहन की स्थिति खराब है। पिछले कुछ महीनों में भी गोआ की घटना और फिर अधिक सर्दी और कुहरा पड़ने से इन मिलों को संभरण में बाधा पहुंची। संभरण करने के लिये तत्काल कार्यवाही की गयी और कोई मिल बन्द नहीं हुई। सामान्य स्तर पर संभरण करने में कुछ समय लगा।

(घ) यह अनुबंध संख्या १ और २ में बताया गया है। **[देखिये, परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]**।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विवरण से पता चलता है कि जहां तक कोयले में वृद्धि का संबंध है, सब ठीक है और हम वर्ष १९६२ में पहले से भी अच्छा कार्य कर सकेंगे। क्या यह सच नहीं है कि तृतीय योजना के प्रथम वर्ष के पहले सात महीनों में कुल उत्पादन २४० लाख टन हुआ है जबकि दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में उतनी ही अवधि में यह ३०० लाख टन था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रत्येक महीने के आंकड़ें मेरे पास नहीं हैं। यदि वह प्रथक प्रश्न पूछें तो मैं निस्सन्देह उत्तर दे सकूंगा। उत्पादन के आंकड़े सरकारी प्रकाशन में दिये गये हैं, जिस की प्रतियां पुस्तकालय को भी दी गई हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथु** : क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने यह बताया है कि इस समय यह ७५ लाख टन प्रति वर्ष की वृद्धि कर रहा है और परिवहन की स्थिति के कारण ३० लाख टन के उत्पादन में कमी कर दी गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि कर्णपुरा कोयला-क्षेत्रों में उत्पादन-कार्य को धीमा करना पड़ा क्योंकि वहां से कोयले की परिवहन की व्यवस्था न की जा सकी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस के क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वहां से परिवहन की व्यवस्था न की जा सकी। राज्य सभा में कार्यवाही की रिपोर्ट में मैं ने पढ़ा है कि रेलवे मंत्री महोदय ने यह बताया है कि परिवहन व्यवस्था की कमी नहीं है जबकि कोयला मंत्री जी का कहना है कि परिवहन की कठिनाई है। अतः कठिनाई क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में और कुछ दिशाओं में परिवहन की कठिनाईयां हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : परिवहन की कठिनाई के अलावा कोयले की कोई कमी नहीं है। क्या ऐसी स्थिति है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कुछ क्षेत्रों में कोयले की भी कमी है। यह विशेषतः बंगाल-बिहार क्षेत्र में परिवहन की कठिनाई के कारण है। यह सच है कि यदि मध्य प्रदेश में और ऐसे ही स्थानों पर उत्पादन बढ़ाया जाये, वहां पर उस क्षेत्र से परिवहन के लिये रेल परिवहन की अधिक सुविधा है परन्तु एक कोयला-खान में, कुरसिया कोयला क्षेत्र में, जहां अधिक मात्रा में कोयला निकाला जा

---

†मूल अंग्रेजी में

रहा था, आग लग जाने से उत्पादन में कमी आ गयी । उस आग पर काबू पाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं और यह आशा की जाती है कि कुछ महीनों में उस उत्पादन में भी वृद्धि कर दी जावेगी । अतः कोई स्पष्ट उत्तर देना आसान नहीं है । यह उस क्षेत्र और उस दिशा पर जहां कोयले की आवश्यकता है ; निर्भर करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का एक सरल उत्तर हो सकता है । क्या कोयले की कमी है ? क्या यह मांग से कम है । हम समझते हैं कि रेलवे मंत्री जी इस ओर अधिक वैगन लगायेंगे क्या परिवहन के लिये पर्याप्त कोयला है ? क्या कोयले की कमी के कारण कोई विलम्ब होगा ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : यह इतना सरल नहीं है । स्थिति यह है कि परिवहन का तरीका निकालना पड़ेगा । यदि किसी विशेष स्थान पर और किसी विशेष दिशा के लिये वैगन उपलब्ध हैं और यदि वहां कोयला नहीं है, तो उस वैगन को अन्य स्थान पर लगाना और किसी भी दिशा में ले जाना जहां कोयले की आवश्यकता है इतना सरल काम नहीं है । और इस प्रश्न को सुलझाने के लिये उत्पादन, परिवहन और दिशा निर्धारित करनी होगी और जैसा मेरे साथी ने अभी बताया, यदि बाहरी और केन्द्रीय भारत के कोयला क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जाये, तो संभवत रेलवे उस क्षेत्र में बंगाल-बिहार क्षेत्र से अधिक मात्रा में कोयले का परिवहन कर सकेगी । अतः इस कठिनाई के समाधान के लिये उत्पादन के तरीके और परिवहन के तरीके का समन्वय करना होगा । यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि एक विशेष स्थान पर अत्यधिक कोयला है क्योंकि उस का परिवहन नहीं किया जा सकता । और यदि उस स्थान पर जहां रेलवे की परिवहन क्षमता अधिक है, कोयला नहीं है तो देश को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समन्वय करने में क्या कठिनाई है ? मंत्री महोदय ने ऐसा कहा लगता है कि विभिन्न स्थानों पर भंडार खोले जायेंगे ।

†**श्री जगजीवन राम** : जी, हां परन्तु यह बता दिया गया है कि बाहरी क्षेत्रों में कठिनाई सरकार के नियंत्रण के बाहर के कारणों के कारण हुई । कुरसिया कोयला-क्षेत्र में आग लगी । उस क्षेत्र से अच्छे किस्म के कोयले का उत्पादन किया जा रहा था और जब वहां कोयला नहीं रहा तो रेलवे की पूरी परिवहन क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सका और जिन क्षेत्रों को यहां से कोयला जा रहा था कुछ हद तक नुक्सान उठाना पड़ा ।

†**श्री त्यागी** : विवरण से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है परन्तु मैं उस का सत्यापन कराना चाहता हूं । स्थिति ऐसी लगती है कि जहां कहां परिवहन सुविधा है, कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है और जहां फालतू कोयला है परिवहन की सुविधा में वृद्धि करने की आवश्यकता है। क्या ऐसी बात है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का भी यही कहना है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह बात ठीक है और दोनों दिशाओं में प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अतः मार्ग केवल यह है कि कोयला भी फालतू हो और वैगन भी फालतू हो ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कोयला ऐसी चीज है जिसे कहीं पर भी नहीं निकाला जा सकता । कोयला तो वहीं मिलता है जहां प्रकृति ने उसे रखा है और फिर किस्म भी है जिस का भूतत्वीय तौर

---

†मूल अंग्रेजी में

से पता लगाया जाता है । अतः हमें निरन्तर ध्यान देना पड़ता है । बाज दफ़ा किसी एक किस्म के कोयले की मांग बढ़ जाती है और बाज दफा मांग कम हो जाती है परन्तु देश के कुछ विशेष हिस्सों में कोयले की कमी दिसम्बर में परिवहन की कमी के कारण महसूस हुई ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कठिनाइयों का पता है परन्तु मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चलता है कि इसको कभी दूर नहीं किया जा सकता ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी, नहीं । हम सब जानते हैं कि गोआ के सम्बन्ध में रेलवे परिवहन क्षमता बड़ी व्यस्त रही । अब वह समस्या दूर हो गयी है और मुझे आशा है कि स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी ।

†**श्री त्यागी :** इस कठिनाई को दूर करने के लिये दोनों मंत्रालय क्या ठोस और प्रत्यक्ष कदम उठा रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष में प्रति दिन लदान के लिये ७२०९ वैगन मिल सकेंगे जब कि वर्ष १९६१ में यह संख्या ५९९९ थी । अतः हम आशा कर सकते हैं कि इसमें काफी सुधार होगा ।

†**श्री त्यागी :** यदि वैगन उपलब्ध हों तो अन्य कोयला क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन की क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अतिरिक्त वैगन तभी लादे जा सकते हैं जब अतिरिक्त उत्पादन हो ।

†**श्री त्यागी :** अतः अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** बाहर के क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिये ठोस कदम ये हैं : नई खानों का विकास करना, आग पर काबू पाने का प्रयत्न करना । और कुरसिया खान को ठीक करने के लिये कदम उठाना ।

श्री म० ला० द्विवेदी : कोल की शार्टेज की वजह से चन्द कारखानाजात कई महीनों से बन्द हैं जब कि सरकार की यह मंशा है कि कारखानों को बन्द न होने दिया जाए । मैं जानना चाहता हूं कि जो कारखानाजात बन्द हैं जैसे खुर्जा की पाटरीज़, इनको चालू करने के लिये क्या कोयला वहां पहुंचाने की कोशिश की जायेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे नहीं मालूम कि कई कारखाने महीनों से बन्द हैं । हो सकता है कि किसी एक दिन या दो दिन के लिये कुछ तकलीफ हुई हो । खुर्जा के मुताल्लिक अगर माननीय सदस्य मुझे बतायें कि उनकी कितनी इरिक्वायरमेंट है और मेरे खयाल में पाटरीज़ की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, तो मैं समझता हूं कि कोयला देने में कोई ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और यह कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं होगी ।

†**श्री विभूति मिश्र :** रेल मंत्री जी ने बताया है कि बिहार और बंगाल में जहां कोयला निकलता है वहां जितना कोयला निकलना चाहिये नहीं निकलता है । मैं जानना चाहता हूं कि स्टील माइंज और फ्यूल मंत्री जी इस सम्बन्ध में क्या सोच रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार स्वर्ण सिंह : इसके उलट कहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां ज्यादा निकला है।

श्री जगजीवन राम : मैंने यह नहीं कहा कि निकाला नहीं जा रहा है या कम निकाला जा रहा है बल्कि मैंने यह कहा है कि मध्य भारत के, सैंट्रल इंडिया के कोल-फील्ड्ज़ में से जितना कोयला निकाला जाना चाहिये था उतना नहीं निकल पाया चूंकि एक खान में आग लगी हुई थी। दूसरी बात मैंने यह कही कि अगर सैंट्रल इंडिया में हमारे पास वैगन मौजूद हों और वहां कोयला न हो और बंगाल, बिहार में कोयला हो तो उन्हीं वैगंस को ले आ करके हम बिहार, बंगाल के कोयले को आसानी से नहीं ले जा सकते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री वी० रामकृष्ण राव के उस वक्तव्य की ओर गया है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सम्मुख दिया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में तीस फीसदी का कोयले का कट केन्द्रीय सरकार ने कर दिया है और उसकी वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सभी उद्योगों बल्कि भट्टे वगैरह के काम में भी बहुत रुकावट पैदा हो गई है? अगर सरकार का ध्यान उस वक्तव्य की ओर गया है तो सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई तुरन्त कार्यवाही कर रही है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि जहां तक आवंटन का सम्बन्ध है, उसमें कटौती की गयी है परन्तु कटौती करते समय हम यह भी देखते हैं कि किसी को उससे कम संभरण न किया जाये जितना वर्ष १९६१ में किया गया था। पहले आवंटन अधिक किया गया था परन्तु संभरण बहुत कम हुआ था। अब हम वास्तविक संभरण के हिसाब से आवंटन में कमी कर रहे हैं और जो विवरण मैंने सभा-पटल पर रखा है उसमें वर्ष १९३१ में किया गया वास्तविक संभरण और चालू वर्ष १९६२ के लिये किये गये आवंटन के आंकड़े भी दिये गये हैं। अतः कागजी आवंटन के बजाय, जो वास्तविक संभरण से बहुत अधिक होते हैं, और जिससे काफ़ी कठिनाइयां और अनिश्चिततायें होती हैं, ऐसा आवंटन करना अच्छा है जो पूरा किया जा सके। अतः वास्तविक उपलब्धता के आधार पर आवंटन में कमी की गयी है परन्तु वास्तविक संभरण कभी भी उनको वर्ष १९६१ में किये गये संभरण से कम नहीं होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पूछने का माननीय सदस्य का यह मतलब है कि क्या वहां पर संभरण मांग से ३० प्रतिशत कम नहीं होगा?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह ठीक है अन्यथा आवंटन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मांगअधिक है और हम उसे पूरा नहीं कर सकते, अतः कुछ आवंटन और वंटन किया जाता है। उनका मूल प्रश्न यह था कि क्या वंटन में कुछ कमी की गई है। यद्यपि कागजी आवंटन में कमी की गयी है, वास्तविक संभरण वर्ष १९६१ में किये गये संभरण से कम नहीं होगा।

†**श्री त्यागी** : कटौती की औसतन प्रतिशतता क्या है?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के वक्तव्य का जिक्र कर रहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य क्या चाहते हैं?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय का कहना है कि वास्तविक संभरण में कमी नहीं होगी तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार यह क्यों समझती है कि ३० प्रतिशत की कटौती की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** आवंटन का संभरण से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । सामान्यतः संभरण आवंटन से बहुत कम किया जाता है। हमने तो इसको इसलिये समान रखा ताकि हर कोई यह जान ले कि उसको कितना मिलेगा । और हमारा प्रयत्न यह होगा कि जो भी आवंटन या वंटन है वह पूरा का पूरा संभरण किया जाये ।

†**श्री त्यागी :** की गई कटौती की प्रतिशतता क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह कटौती की समान प्रतिशतता नहीं हैं । इस्पात संयंत्र, रेलवे जैसे उपभोक्ता और अन्यों को संभरण पूरा किया जाता है । छोटे क्षेत्रों में जहां गैर-अत्यावश्यक सामान बनता है, उनकी मांग पूरी नहीं की जाती, संभवतः इस आशा में कि उनकी मांग में कटौती हो जाये । जब इस प्रकार आवंटन किया जाता है, तो कोई प्रतिशत कटौती नहीं होती ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** जब कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कोयले के उत्पादन का लक्ष्य ९८० लाख टन है, रेलवे को कोयले के परिवहन के लिये इससे बहुत कम आंकड़े दिये गये हैं । इसके क्या कारण हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** आंकड़े इसलिये कम हैं कि कुछ उत्पादन की खपत कोयला खानों में ही हो जायेगी, कुछ कोयला सड़क द्वारा ले जाया जायेगा और कुछ समुद्र के मार्ग से । अतः कुल उत्पादन लक्ष्य और रेल द्वारा परिवहन के लक्ष्य में सदैव अन्तर रहता है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन आंकड़ों में कितना अन्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य आंकड़े जानना चाहते हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** उत्पादन लक्ष्य ९८० लाख टन है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेल द्वारा कोयले के परिवहन का क्या लक्ष्य है ?

†**सरदार स्वण सिंह :** ठीक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** उत्पादन और परिवहन के इस प्रश्न के अतिरिक्त, केन्द्रीय उद्योग परामर्शदाता परिषद् और वाणिज्य मंडल दोनों की बैठकों में यह बताया गया था कि प्राधिकार ऐसे हैं जो कोयले के परिवहन में स्वर्य गतिरोध लाते हैं ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे विश्वास हैं कि ऐसे कोई प्राधिकार नहीं हैं और इसमें कोई भ्रम पैदा नहीं हो सकता ।

जीवन बीमे की किस्तें घटाना

†*२७८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५१ की जनगणना की तुलना में १९६१ की जनगणना में भारत में लोगों की औसत आयु बढ़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमे की पालिसियों की किस्तें कम करने के बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अभी अन्तिम निर्णय उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विभूति मिश्र : हमारे गृह मंत्री जी ने जब सेन्सस रिपोर्ट के बारे में सारी बातें बतलाईं तो उनसे पता चला कि यहां पर हर आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हो गया है । मैं जानना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी के पास अब तक वह सूचना क्यों नहीं पहुंची है ।

श्री ब० रा० भगत : उसमें जो कुछ बतलाया गया है वह बिल्कुल सरसरी तौर पर है । जो सेन्सस के रजिस्ट्रार जनरल हैं उन्होंने जीवन स्तर कितना ऊंचा हो गया है इसके आखिरी आंकड़े अभी नहीं दिये हैं या इसके कि लाइफ एक्सपेक्टेशन कितना ऊंचा हो गया है । यह उम्मीद की जाती है कि लाइफ एक्सपेक्टेशन ऊंचा हो गया है । लेकिन इन्श्योरेंस के प्रीमियम रेट्स निश्चित करने में जो जिन्दगी इन्श्योर्ड होती है, हम उसी की लाइफ एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचते हैं । उसी का इन्वेस्टिगेशन लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन कर रहा है । उसकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : यह पता तो चल ही गया है कि जिन्दगी का स्तर ऊंचा हो गया है उसका यश आपको या मेरे लिये नहीं है, यह तो भगवान के हाथ में है । लेकिन जो इन्श्योर हो गये हैं उनके ऊपर आप प्रीमियम कितनी मात्रा में कम या वेश करेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा कि उसके बारे में छान बीन एल० आई० सी० कर रहा है । उसकी रिपोर्ट आने पर उस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम १९२५ तथा १९३५ के बीच ओरियन्टल इक्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा की गई गणना के आधार पर कार्यवाही कर रहा है और क्या यह भी सच कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि १९३५ के बाद से जनता का जीवन स्तर बढ़ गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक पूरा प्रश्न ही है ।

†**श्री साधन गुप्त :** मैं यह कह रहा था कि जब जीवन स्तर बढ़ गया है तो क्या जीवन बीमा निगम प्रीमियम की दरें कम करने के बारे में विचार कर रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न का दूसरा भाग है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** यह दो प्रश्नों से भी बड़ा प्रश्न है । जहां तक ओरियन्टल कम्पनी की गणना के अनुसार दरें निश्चित करने का सम्बन्ध है मैं बताना चाहता हूं कि जब जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसी समय ओरियन्टल द्वारा ली गयी दरों से कम दरें ही निश्चित की गईं थीं । इसके अतिरिक्त केवल जीवन स्तर बढ़ जाना ही दरों को घटाने के लिये पर्याप्त नहीं है । अपितु जिनके जीवन का बीमा हो चुका है ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु प्रतिशतता पर यह अधिक आधारित है । और जीवन बीमा निगम इस बात की ही जांच कर रहा है । इस जांच प्रतिवेदन के मिल जाने के पश्चात् हम इस पर विचार करेंगे । इसके अतिरिक्त आर्थिक दशा, सूद की दरें, व्यय अनुपात, वसूली अथवा हानि-लाभ और कराधान आदि अन्य बातें भी हैं । प्रीमियम की दरों के बारे में निर्णय लेते समय इन सभी बातों पर विचार करना होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियों का प्रकाशन

*२७९. **श्री भक्त दर्शन :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्वाधीनता-संग्राम के सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां प्रकाशित करने की जो योजना स्वीकार की गई थी, उसे कार्यान्वित करने में प्रत्येक राज्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक राज्य को इस मद में क्या सहायता दी गई है ; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). विवरण लोक सभा की मेज़ पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को काम के सामान्य ढंग और क्षेत्र के बारे में सलाह दी है । राज्यों को, मंजूर किए गए खर्च पर ३३$^{1}/_{3}$ प्रतिशत के हिसाब से आर्थिक मदद भी दी गई है ।

श्री भक्त दर्शन : इस प्रश्न के उत्तर में जो विवरण रखा गया है उसे देख कर बड़ी निराशा होती है क्योंकि अधिकांश राज्यों में इस सम्बन्ध में अभी तक बहुत कम प्रगति हुई है । असम के बारे में कहा गया है कि काम जल्दी शुरू होने की उम्मीद है, मध्य प्रदेश के लिये कहा गया है कि विवरण पर अभी विचार हो रहा है और मद्रास के बारे में कहा गया है कि योजना पर अप्रैल १९६२ के बाद विचार किया जायेगा । अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों से इस के बारे में कोई अनुरोध किया गया है या कोई मियाद निश्चित की गई है जब तक कि यह काम हो जाना चाहिये ।

श्री हुमायूं कबिर : जी, हां असम के बारे में उन्होंने अभी बतलाया है कि एक साल में काम पूरा करने की उम्मीद है । मध्य प्रदेश में भी अब वह काम शुरू कर रहे हैं । इस बारे में मैं यही बतलाना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हम उन्हें सलाह दे सकते हैं, मदद दे सकते हैं, लेकिन काम तो उन्हीं को करना चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या राज्य सरकारों को यह सूचना दी गई है कि देर से देर कब तक यह काम पूरा हो जाना चाहिये ? अथवा क्या इसके लिये कोई समय निर्धारित किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जी हां । हमने इसके लिए दो वर्ष की अवधि रखी है । और मैंने स्वयं सभी मुख्य मंत्रियों से सम्पर्क बनाये हुए हैं । उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया है कि १९६३–६४ के अन्त तक काम पूरा हो जायेगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** विवरण में बताया गया है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 'हू इज़ हू' के लिए कोई क्षेत्र नहीं है ? क्या सरकार इसको नहीं बनायेगी । क्या अन्दमान में कैद व्यक्तियों का स्मारक बनाने का काम केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग नहीं करेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । प्रश्न 'हू इज़ हूं' बताने के संबंध में है तथा स्मारक बनाने के संबंध में नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : गोआ की मुक्ति के लिए इन सेनानियों के 'हू इज़ हू' बनाने की जिम्मेदारी किस प्रशासन पर है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : गोआ का मामला विचाराधीन है । इस समय गोआ के कार्यों की वैदेशिक कार्य मंत्रालय देखभाल कर रहा है । समय पर हम इनके नाम भी शामिल कर लेंगे ।

†**श्री वारियर** : विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के नामों को छांटने के लिए क्या तरीका अपनाया गया था ?

†**श्री हुमायुन् कबिर** : मैं समझता हूं कि इसके बारे में मैं पहले सभा को बता चुका हूं । भारत की जागृति करने में, चाहे वह राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक कैसी भी हो, योगदान देने वाले सभी को सूची में शामिल किया गया है ।

†**श्री वारियर** : विवरण से मालूम होता है कि विभिन्न राज्यों में कुछ ही व्यक्ति छांटे गये हैं । उदाहरणत: केरल में केवल ५०० व्यक्ति छांटे गए हैं । इन व्यक्तियों को छांटने का आधार क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कौन छांटता है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : प्रत्येक राज्य में विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है और कुछ राज्यों में इस काम के लिए कुछ विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं । विश्वविद्यालयों का परामर्श लिया गया है । मेरे कागजातों से पता लगता है कि केवल ५०० व्यक्ति नहीं चुने गये हैं परन्तु कुछ राज्यों में १०,००० नामों से अधिक छांटे गये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को और दूसरे लोगों को निर्देश दिया है कि जो गरीब स्वयं सेवक गोली से मारे गए, या जिनको मार खानी पड़ी और जिनके घर लूट लिए गए उनका भी नाम स्वाधीनता के इतिहास में लिखा जाए, न कि उन बड़े बड़े लोगों का जो कि आज गवर्नमेंट में हैं ?

श्री हुमायून् कबिर : शायद माननीय सदस्य को वह स्कीम याद नहीं है जो कि पहले हाउस में बतायी गयी थी इसीलिए उन्होंने यह सवाल पूछा है । इसमें हर उस मर्द या औरत का नाम दर्ज किया जाएगा । जिसने हिन्दुस्तान के लिए कुछ काम किया है । दो लाइन से कम किसी को नहीं मिलेगा और महात्मा गांधी को भी आधा पेज से ज्यादा नहीं मिलेगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि हर स्टेट में कमेटी बना दी गयी है, लेकिन उनकी अपनी स्टेट के बारे में स्थिति यह है :

"गैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है" ।

मैं जानना चाहता हूं कि वैस्ट बंगाल में अभी कमेटी का निर्माण क्यों नहीं हुआ और काम कब प्रारम्भ होगा ?

श्री हुमायून् कबिर : इसका जवाब तो वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट को पूछना चाहिए । हम मदद देने के लिए तैयार हैं । अगर उन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : आप उस राज्य के प्रतिनिधि हैं ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं समस्त भारत का प्रतिनिधि हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि दो वर्ष में काम पूरा कर दिया जाए। लेकिन डेढ़ या दो वर्ष पहले भी यह कहा गया था कि यह काम दो वर्ष में पूरा हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह दो वर्ष की मियाद कब शुरू होगी और कब खत्म होगी ?

श्री हुमायूं कबिर : बहुत सी गवर्नमेंट्स ने कहा है कि अप्रैल सन् १९६२ से उनका काम शुरू हो जाएगा और दो साल में खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि सन् १९६३–६४ में यह काम खत्म हो जाएगा।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में और यह पालिसी का सवाल है, कि रियासतों की आजादी की तहरीक के जमाने में जिन राजे और महाराजों ने अवाम पर गोलियां चलायीं क्या ऐसे अवाम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, और आजादी के बाद जो राजे महाराजे पार्लियामेंट और असेम्बलियों के मेम्बर हुए हैं क्या उनका नाम भी इस आजादी की तारीख में लिखा जाएगा ?

श्री हुमायूं कबिर : ये तो हिस्टारिकल फैक्ट्स हैं।

†मेरे माननीय मंत्री ठीक नहीं समझ रहे हैं। जिन लोगों ने १५ अगस्त १९४७ से पहले स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया उनके नाम सूची में होंगे। १९४७ के बाद उन्होंने क्या किया उससे इसका कोई संबंध नहीं है।

सामूहिक बीमा योजना

+

†*२८१. { **श्री साधन गुप्त :**
श्री तंगामणि :
श्री वारियर : }

क्या वित्त मंत्री ८ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा योजना शुरू करने का इरादा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वित्त उप-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) भारत का जीवन बीमा निगम सामूहिक बीमा योजना लागू करने की संभवनाओं की जांच कर रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर गया है कि जीवन बीमा निगम ऐसी योजना लागू करने जा रही है तथा यदि हां, तो क्या यह समाचार ठीक है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जीवन बीमा निगम योजना की जांच कर रही है तथा यदि कोई इसको शीघ्र लागू करने के बारे में समाचार है तो वह ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त :** पिछली बार प्रश्न का उत्तर देते समय यह बताया गया था कि योजना विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि तब से अब तक क्या प्रगति हुई है अथवा मामलाव हीं पड़ा है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** अभी यह विचाराधीन है।

†**श्री साधन गुप्त :** अभी वहीं पड़ा है।

†**श्री प्रभात कार :** जब जीवन बीमा निगम सामूहिक बीमा योजना लागू करने के बारे में विचार कर रहा है तो रेल के कर्मचारियों को प्राप्त वर्ग बीमा योजना सुविधा क्यों वापस ले ली गई ?

†**श्री ब० रा० भगत :** ब्योरे बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसी वर्ग बीमा योजना का ही विस्तार करने का विचार है। इस समय निगम पश्चिमी देशों में प्रचलित वर्ग योजना को, हमारी दशा के अनुकूल बनाकर लागू करने पर विचार कर रहा है। इस का विस्तार करने का विचार है तथा इसको नियंत्रित करने का नहीं है।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर गया है कि जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई गई जनता योजना सफल नहीं हुई है तथा यदि हां, तो जनता योजना तथा सामूहिक बीमा योजना में क्या अन्तर है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** सामूहिक बीमा योजना बिना डाक्टरी जांच के होगी तथा प्रीमियम दरें वही होंगी। और भी बहुत सी सुविधायें उसमें होंगी।

†**श्री तिरुमल राव :** जनता योजना क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जनता बहुत से व्यक्तियों को कहते हैं। केवल अंग्रेजी के अतिरिक्त क्या और भी कोई अन्तर है ?

†**श्री तिरुमल राव :** जनता योजना भी बिना डाक्टरी जांच के थी। क्या अन्तर है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** संभवतया दोनों एक हैं।

†**श्री ब० रा० भगत :** अन्तर यह है कि सामूहिक योजना में केवल कर्मचारियों की संख्या होगी तथा यह स्थापनाओं के द्वारा होगा। स्थापना के सभी कर्मचारियों का बीमा हो जायेगा। योजना अभी बनाई जा रही है तथा ब्योरे अभी नहीं बनाये गये हैं। मैंने बताया कि आयु, आय आदि पर कोई ध्यान न देख कर सभी कर्मचारियों का बीमा हो जायेगा।

जनता योजना में इंडीवीज्यूअल पालिसी होती थी। आय आदि के आधार पर प्रीमियम दरें निश्चित थीं।

†**श्री वारियर :** कब तक विचार किया जायेगा तथा निर्णय ले लिया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** जीवन बीमा निगम मामले का अध्ययन कर रहा है तथा मैं नहीं बता सकता कि अन्तिम निर्णय क्या होगा।

†**श्री वारियर :** योजना मूलत: औद्योगिक स्थापनाओं के बारे में है जिससे औद्योगिक कर्मचारियों का सामूहिक रूप से बीमा हो जाये। क्या ऐसा शीघ्र कर दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह एक स्वायत्तशासी समवाय है जो इस सम्बन्ध में काम कर रही है क्या हम बार-बार उन से नहीं पूछ सकते हैं । वह अपनी योग्यतानुसार काम कर रहे हैं । यह नई योजना है तथा वह इस पर विचार कर रहे हैं । इसीलिये अभी बताना कठिन है कि यह कब तक पूरी हो जायेगी ।

†श्री प्रभातकार : जीवन बीमा निगम इस सामूहिक बीमा योजना जनता बीमा और वर्ग बीमा योजना को इस उद्देश्य से लागू कर रहा है जिससे बहुत से व्यक्तियों का बीमा हो सके । वर्ग बीमा योजना आदि में प्रीमियम कम करना तथा वर्ग वसूली आदि बहुत महत्वपूर्ण हैं । रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू इस योजना को जीवन बीमा निगम ने क्यों बन्द कर दिया

†श्री ब० रा० भगत : प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

स्क्रैप समिति

+

†*२८२. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पशुपति मंडल :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा २९ अप्रैल, १९६१ को नियुक्त की गई स्क्रैप समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और सरकार को प्रतिवेदन कब तक मिल जाने की संभावना है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार इस पर विचार कर रही है । सरकार जब अपना निर्णय घोषित करने की स्थिति में होगी तो प्रतिवेदन उपलब्ध कर दिया जायेगा ।

†श्री रघुनाथ सिंह : प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह प्रतीक्षा करें । मैं प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रख दूंगा । हम इसकी जांच कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि लगभग छः सप्ताह में मैं इसको सभा-पटल पर रख पाऊंगा ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि १९६० में स्क्रैप के निर्यात के बारे में विभिन्न कठिनाइयां बताई गइ थीं और तभी यह समिति नियुक्त की गई थी ? माननीय मंत्री ने ८ सितम्बर को बताया था कि १९६१ के अन्त तक रिपोर्ट पेश कर दूंगा । अब १९६२ के भी तीन महीने गुजर चुके हैं और रिपोर्ट सरकार को मिल गई है । जो कठिनाइयां सामने आई थीं उनको दूर करने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई विशेष कठिनाई सामने आई थी ।

मैं बताना चाहता हूं कि निर्यातकर्ताओं तथा देश में स्क्रैप का इस्तेमाल करने वालों में कोई विवाद नहीं है। सरकार की सामान्य नीति यह है कि देश में स्क्रैप का इस्तेमाल अधिक हो जबकि निर्यातकर्त्ता को सभी उपलब्ध स्क्रैप का निर्यात कर देना चाहिए । मैं नहीं समझता कि कोई विशेष कठिनाई है ।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि समिति १९६१ के अन्त तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी । यह हम को इस वर्ष जनवरी में मिला है । काम को देखते हुए समिति ने नौ से दस महीनों तक काम किया । मैं नहीं समझता कि तीन सप्ताह के विलम्ब होने पर ही मुझे स्पष्टीकरण देना होगा ।

†**श्री वारियर** : क्या देश में स्क्रैप का कम संभरण है अथवा स्क्रैप का इस्तेमाल करने वालों की मांग संभरण से अधिक है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस पर मत वैमित्य हो सकता है । मैंने श्री सामन्त के प्रश्न के उत्तर में यही बताने की कोशिश की है । स्क्रैप इकट्ठा ढेर नहीं होता है । एक प्रकार के स्क्रैप की कमी हो सकती है तथा दूसरे प्रकार के स्क्रैप की बहुतायत हो सकती है । इसलिए इस प्रश्न का निश्चित उत्तर बताना आसान नहीं है । समिति के सामने यही प्रश्न थे और उन्होंने इन प्रश्नों पर ही पर्याप्त विचार किया । रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर माननीय सदस्य इसका अध्ययन करें और यदि कोई बात पूछी जाने योग्य हो तो उसे मुझ से पूछ लें ।

गुरुकुलों को अनुदान

*२८३. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में गुरुकुलों के लिये जो सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था की गयी थी उसमें में अब तक किस गुरुकुल को कितनी सहायता दी जा चुकी है ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि गुरुकुल की आवश्यकताओं को देखते हुए यह धनराशि बहुत कम है;

(ग) संस्कृत को विशेष प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली और इन गुरुकुलों को कुछ अन्य सुविधायें देने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या रूप-रेखा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) १९६१-६२ वर्ष में गुरुकुलों को अब तक दिये गये अनुदानों का विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा प्रेक्षागृहों, स्टेडियमों आदि के निर्माण के लिए शक्षणिक संस्थाओं को अनुदान दिये जाते हैं । गुरुकुल भी इनके लिए आवेदन-पत्र भेज सकते हैं, जिन पर बिना भेदभाव के विचार किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जैसी कि केन्द्रीय सरकार की नीति है और वह प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से देश में लागू करना चाहती है तो क्या मैं जान सकता हूं कि गुरुकुलों पर प्राथमिक शिक्षा का जो भार पड़ता है उस भार को केन्द्रीय सरकार वहन करने के लिए उद्यत है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो सार्वजनिक संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं वे अपना काम करती रहें । अभी सरकार का उनको लेने का कोई इरादा नहीं है । यह लेने का प्रश्न अगर उठेगा भी तो जो राज्य सरकारें हैं वही इस प्रश्न को ले सकती हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जैसी कि अहिन्दी भाषियों में हिन्दी प्रचार की सरकार की नीति है तो क्या इन गुरुकुलों में जो अहिन्दी भाषी प्रान्तों के छात्र पढ़ते हैं अथवा दूसरे देशों के छात्र पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति देकर सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपने देश की एक आदर्श शिक्षा प्रणाली है और सरकार भी इस को स्वीकार करती है तो क्या सरकार इसको और भी परिमार्जित रूप देने के लिए कुछ प्रयास करेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सरकार ने प्रयास किया है । आपको यह मालूम है कि पिछले महीनों में इस के लिए काफी प्रयास किया गया है और आगे भी बराबर प्रयत्न करते रहेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि गुरुकुल की परिभाषा में काशी विद्यापीठ आता है या नहीं ? यदि आता है तो काशी विद्यापीठ को सरकार क्या ग्रान्ट दे रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : काशी विद्यापीठ को भी सरकार सहायता दे रही है । वह गुरुकुल की परिभाषा में तो आता नहीं है लेकिन काशी विद्यापीठ एक राष्ट्रीय संस्था है और मैं आप से यह निवेदन करूं कि युनिवरसिटी ग्रान्ट्स कमिशन इस मसले पर विचार कर रहा है और उसको सम्भवतः शीघ्र ही राष्ट्रीय संस्था घोषित कर दिया जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या केन्द्र में कोई ऐसा संगठन है जोकि इन गुरुकुलों के स्तर को बनाये रखने के लिए सुझाव दे सके और जो इन को समय-समय पर सहायता दी जाती है उसके बारे में छानबीन कर सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, संस्कृत बोर्ड है । इसने अभी हाल में एक कमेटी नियुक्त की थी जिसने कि इन सभी गुरुकुलों का निरीक्षण किया और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अब इनको ग्रान्ट्स दी जा रही हैं ।

गोपालपुर पत्तन (उड़ीसा) के समीप छावनी

†*२८४. **श्री अ० त्रि० शर्मा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंजम में गोपालपुर पत्तन के समीप एक छावनी स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में एक छावनी स्थापित करने की एक परियोजना है । सैनिक स्थापनाओं की योजना के बारे में जानकारी बताना लोकहित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० त्रि० शर्मा** : वहां पर किस प्रकार की सेनायें रखी जायेंगी ;

†**सरदार मजीठिया** : मैंने बताया कि यह बताना लोकहित में नहीं होगा कि वहां पर किस प्रकार की सेनायें रखी जायेंगी तथा किस प्रकार की स्थापना बनाई जायेगी ।

केरल भूमि सुधार अधिनियम

+

†*२८६. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री कुन्हन :
श्री म० क० कुमारन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि केरल भूमि सुधार अधिनियम के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के फैसले को दृष्टि में रखते हुए संविधान में संशोधन किया जाये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं बताना चाहता हूं कि प्रश्न योजना मंत्री को हस्तांतरित कर दिया गया है और मुझे मालूम हुआ है कि वह इसका कल उत्तर देंगे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या ऐसा सभा के विघटन तक होता रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कल सभा का विघटन नहीं हो रहा है ।

श्री ब्रजराज सिंह : इस सत्र में प्रायः सुना जाता है कि यह प्रश्न उस मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या किया जा सकता है । माननीय सदस्यों को प्रश्न ठीक प्रकार पूछने चाहिए ।

†**श्री दातार** : उत्तर में विलम्ब न होने देने के लिए तथा इसी सत्र में उत्तर दिलाने के लिए मैंने संशोधित उत्तर दिया है कि प्रश्न अन्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है । अन्यथा मैं उत्तर दे सकता था कि "प्रश्न योजना मंत्री से पूछा जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री माननीय सदस्यों की सहायता कर रहे हैं । अगला प्रश्न ।

कानपुर में विशेष धातुमिश्रित इस्पात कारखाना

†*२८७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में १९६२ में विशेष धातु मिश्रित इस्पात का कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित होने की संभावना है ; और

(ग) क्या ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार हो गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). इस समय विशेष धातु मिश्रित इस्पात संबंधी परियोजना के बारे में अग्रेतर जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कारखाना कानपुर में स्थापित होगा अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह बताना लोकहित में नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह माननीय मंत्री पर ही छोड़ता हूं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह बहुत महत्वपूर्ण है । मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने का महत्व समझता हूं और इसलिये बता रहा हूं कि उस के बारे में जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूं परन्तु जब यह स्थापित हो जायेगा तो जनता जान जायेगी कि यह कहां पर स्थापित है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : आवश्यक नहीं है । श्री स० मो० बनर्जी ऐसा समझते हैं परन्तु सर्वदा ही ऐसा नहीं होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इसका जनता को पता नहीं लगेगा तो ठीक है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह स्पेशल मिश्रित इस्पात के संबंध में है और इसकी जानकारी बताना लोकहित में नहीं है । कभी कभी इसको किसी कारखाने का नाम दे देते हैं और कभी दूसरे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं ने किसी कारणवश प्रश्न नहीं पूछा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री कोई बुरा इरादा नहीं समझ रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: मेरा प्रश्न यह था कि यदि प्रतिरक्षा मंत्रालय इस कारखाने को कानपुर में स्थापित करना नहीं चाहता तो क्या देश में इसे स्थापित किया जायेगा अथवा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह भी नहीं बताया जा सकता कि विशेष इस्पात कारखाना स्थापित होगा अथवा नहीं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह केवल इस्पात कारखाना नहीं है । उन्होंने अपने प्रश्न में कहा भी है 'विशेष धातु मिश्रित इस्पात कारखानों ।' वह जानते हैं कि यह कारखाना क्या है । इस के बारे में भी हम कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं । जानकारी उपलब्ध होने पर मैं संसद् के सामने रख दूंगा ।

दिल्ली में मकानों का अनधिकृत निर्माण

†*२८९. **श्री हरिश्चन्द्र मायुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सूचना में यह बात लाई गई है कि पिछले दो महीनों में दिल्ली में चुनाव के दबाव में बहुत बड़ी संख्या में जमीनों, आदि पर अनधिकार कब्जा और अनधिकृत निर्माण किया गया है ; और

(ख) वास्तविक स्थिति क्या है और यदि सरकार ने इस मामले में कोई पूर्वोपाय किया है तो वह क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नातार)** : (क) गत कई वर्षों के समान ही पिछले दो महीनों में भी दिल्ली के कई हिस्सों में जमीनों पर अनधिकार कब्जा और अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है ।

(ख) क्योंकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिये समस्या की सही स्थिति बताना कठिन है । दिल्ली के सभी सरकारी प्राधिकार सरकारी जमीनों पर अनधिकार कब्जा अथवा अनधिकृत निर्माण रोकने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं । जहां सावधानी बरतने पर भी अनधिकार

†मूल अंग्रेजी में

कब्जा अथवा अनधिकृत निर्माण हो जाता है वहां पर सरकारी भूगृहादि (अनधिकार कब्जाधारियों का निकाला जाना) अधिनियम १९५८, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ का दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री ने अभी स्वयं बताया कि ऐसा कितने ही वर्षों से होता आ रहा है जबकि इसको रोकने के लिये विशेष अधिकार भी उन के पास हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले एक वर्ष में उन्होंने कोई प्रभावोत्पादक कार्यवाही की है तथा इसी अवधि में कितने अनधिकृत मकानों को गिराया गया है ?

†**श्री दातार** : मैं स्पष्ट करता हूं कि दिल्ली के मुख्यायुक्त के सभापतित्व में एक उप-समिति नियुक्त की गई थी । उनका प्रतिवेदन मिल गया है तथा उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । अनधिकार कब्जे को हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । वास्तविक आंकड़ों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग आंकड़े हैं । माननीय सदस्य देखें तो उनको मालूम होगा कि बहुत से व्यक्तियों को हटा दिया गया है । एक मामले में ५३३, दूसरे में ३१९ तथा तीसरे में ८१४ । इस प्रकार बहुत से मकान गिराइये जा चुके हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि अधिकारियों तथा अनधिकार कब्जा करने वालों में लगातार लड़ाई सी हो रही है । दिन में आप गिराइये, रात को वह बना लेते हैं ।

†**श्री दातार** : कुछ सीमा तक माननीय सदस्य ठीक कहते हैं । प्रायः बड़ी कठिनाई सामने आती है ।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या यह सच है तथा समाचारपत्रों में भी छपा है कि केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री ने पिछले दो महीनों में इन अनधिकृत रूप से बसने वालों को झुग्गियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया ?

†**श्री दातार** : यह एक झूठा आरोप है ।

†**श्री बलराज मधोक** : यह कई समाचारपत्रों में छपा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जिन लोगों की झुग्गियां गिरा दी गई हैं उनको वैकल्पिक जमीन देने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री दातार** : यह सुझाव मानना बड़ा कठिन है कि इन सभी व्यक्तियों को वैकल्पिक निवास स्थान दिये जायें । जब अनधिकृत कब्जा अथवा अनधिकृत निर्माण किया जाता है तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है । सभी मामलों पर उसके गुणदोष का ध्यान रख कर विचार किया जाता है ।

†**श्री त्यागी** : यह गुणदोष क्या है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सभी मानव हैं । उन्होंने अधिकृत रूप से अथवा अनधिकृत रूप से कुछ झोंपड़ियां बना ली हैं और वहां रह रहे हैं । क्या इनको निवास स्थान देने की कोई व्यवस्था की जा रही है ? माननीय मंत्री कह सकते हैं कि "हम ऐसा कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ।"

†**श्री दातार** : आप कृपा करके दूसरा पहलू भी देखिये । उदाहरणतः यदि ऐसा कोई समाचार छप जाता है कि अन्य सुविधायें दी जा रही हैं तो इन गैर कानूनी कामों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गड़बड़ी को रोकने में मंत्रालय की असमर्थता को स्वीकार कर लिया। बड़ा ही खेद है कि भारत सरकार इसको रोकने में सफल नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इनके बस जाने के बाद इनके साथ समझौता कर लिया है। लाभ और हानि क्या है ? मैं समझा नहीं। क्या चोरी, डकैती तथा इसी प्रकार के अपराधों के लिए गुणदोष का प्रश्न उठाया जाता है।

†**श्री दातार** : गुण दोष यह है कि कुछ मामलों में यह निर्माण बहुत अधिक अवधि से है तो इस पर ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : मैं यदि संसद् भवन में अधिक अवधि तक रहूं तो क्या मैं इसका मालिक बन जाऊंगा ? सेठ गोविन्द दास बहुत समय से यहां हैं और क्या इसीलिए उनको मतदाता भी यहां से नहीं निकाल सकते हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार चाहती है कि ऐसे काम न हों।

†**श्री त्यागी** : यह तो लोकप्रिय बनने के लिए हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि सरकार को उनको वहां से हटा दिया जाना चाहिए।

†**श्री त्यागी** : बड़ी खराब स्थिति है ? बिल्कुल उनके सामने ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है और वह चुप हैं। ऐसा लोकप्रिय होने के लिए है अथवा प्रशासन के लिए ?

†**श्री तिरुमल राव** : क्या बिना प्राधिकार के हुए निर्माण के कुल आंकड़े माननीय मंत्री महोदय के पास हैं तथा क्या उनका मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग आदि में ग्राम्य भाग के अलावा वर्गीकरण किया गया है ?

†**श्री दातार** : मेरे पास जानकारी नहीं हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि प्रतिदिन अनधिकृत कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है और क्या यह सच है कि ऐसी स्थिति कारण इस से आ गई है कि निर्माण कार्य में लगे हुए हजारों व्यक्तियों के लिए मकानों की व्यवस्था नहीं है ?

†**श्री दातार** : यह सच है कि प्रतिदिन अनधिकृत कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है परन्तु सरकार यह भी कोशिश कर रही है कि लोक प्राधिकार भी नोटिस दे, मकानों को गिरवायें आदि आदि।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि दिल्ली में निर्माण कार्य के लिए कम से कम ३ लाख व्यक्ति रह रहे हैं। सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है ? क्या उनको उन स्थानों से हटाया जायेगा ? क्या उनके निवास्थान की व्यवस्था कर दी गई है ? आपकी योजना में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि यह लोग कहीं और पर अपनी झोंपड़ियां बना लें और निर्माण कार्य को करते रहें ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यदि निर्माण कार्य चालू रखना है तो इन मजदूरों के लिए अस्थायी रूप में निवास स्थान की व्यवस्था करनी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्माण कार्य समाप्त हो जाने के बाद इनका क्या होगा ?

†**श्री दातार** : उनको अपने गांव वापस जाना होगा । जब तक निर्माण की अन्य योजनायें नहीं होंगी तब तक उनको हटाया ही जायेगा ।

†**कुछ माननीय सदस्य—उठे**

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत कुछ बताया जा चुका है । विभिन्न गांवों से दिल्ली में बहुत से व्यक्ति आते हैं और निर्माण कार्य करते हैं । मकान बन जाने के बाद उनको वापस जाना होता है । मकानों के साथ साथ क्या उनके लिए क्वार्टर भी बनाये जायें ? मंत्री की यही कठिनाई है । माननीय सदस्य इस पर विचार करें। यदि वह सभी स्थाई रूप में यहां रहने लगेंगे दिल्ली में सारा भारत आ जायेगा । संभव है कि यहां मानवीय समस्या हो परन्तु प्रश्न काल में इसको नहीं सुलझाया जा सकता है ।

†**श्री त्यागी** : यह निगम की जिम्मेदारी थी अथवा गृह-कार्य मंत्रालय की ? कम से कम हमें मालूम होना चाहिए कि यह किसकी जिम्मेदारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगली बार उनको मालूम हो जायेगा । अगला प्रश्न ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

*२९०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नामों में से साम्प्रदायिकता के चिह्न अलग करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : विषय अभी विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि इस समय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, वे इस परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं ? और क्या इसी वजह से इस में इतनी देरी हो रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस मामले में अभी उन से मश्वरा नहीं हुआ है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, यदि यह कारण नहीं है, तो आखिर क्या कारण है, जिस की वजह से इतनी देरी हो रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : हाउस को यह मालूम है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय, इन दोनों के विधेयकों का अमेंडमेंट करना है और मैं आशा करता हूं कि जब नई पार्लियामेंट के सामने ये विधेयक आयेंगे, उस वक्त इस प्रश्न पर भी विचार किया जायगा ।

अपूर्ण मतपत्र

२९६क. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ में लोक-सभा निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में से मतपत्र (बैलट पेपर) पाये गये हैं जिन में एक प्रमुख प्रत्याशी का चुनाव चिह्न छपने से रह गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये मतपत्र जिस प्रेस में छापे गये, क्या वहां सरकार ने पता लगाया है कि कुल मिला कर ऐसे मतपत्रों की संख्या कितनी थी,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अलीगढ़ के निर्वाचन अधिकारी ने इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग को यथासमय सूचना दी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ;

(घ) क्या चुनाव आयोग गम्भीरता से इस सम्बन्ध में कुछ पता लगा रहा है कि ऐसे त्रुटिपूर्ण मतपत्र कितने मतदान केन्द्रों पर प्रयुक्त हुए ;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए जांच की क्या पद्धति नियत की गई है ; और

(च) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) से (च) अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी ने १६ फरवरी, १६६२ को सूचना दी थी कि अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में के नगलापदम मतदान केन्द्र में मतदान के दौरान ऐसे चार मतपत्रों का पता लगा जिन पर कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों में से एक के नाम के सामने गलत प्रतीक छपे हुए थे । इन मतपत्रों को पीठासीन पदाधिकारी ने तुरन्त रद्द कर दिया था और सील बन्द लिफाफे में रख लिया था । निर्वाचन पदाधिकारी से निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी मांगी थी कि क्या ऐसे मतदान केन्द्र कोई और भी है जिनमें मतदान के दौरान इसी तरह के मतपत्रों का पता लगा हो । अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट बाकी सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त हो चुकने पर निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग को सूचित किया था कि उसे किसी अन्य मतदान केन्द्र से इस तरह की कोई सूचनाएं नहीं मिलीं । चूंकि उस समय प्राप्त सूचना के अनुसार गलत छपे मतपत्रों की संख्या केवल चार थीं और चूंकि ऐसा कोई मतपत्र स्पष्टतया किसी निर्वाचक को नहीं दिया गया था अतः निर्वाचन आयोग के लिए इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही की जाने की कोई बात ही नहीं थी ।

निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना की समाप्ति के पश्चात् २८ फरवरी, १६६२ को सूचना दी थी कि उसे १८६ ऐसे मतपत्र खारिज करने पड़े जिन पर कि उम्मीदवार का प्रतीक गलत छपा हुआ था और जो सभी मतपत्र नगलापदम मतदान केन्द्र के मतदाताओं को ही दिये गये थे । इनके अलावा ऐसा कोई मतपत्र किसी अन्य मतपेटी में नहीं पाया गया । चूंकि सफल उम्मीदवार और उस उम्मीदवार को जिसका प्रतीक गलत छपा था, मिले मतों की संख्या में ३००० मतों से अधिक का अन्तर था और खारिजशुदा गलत छपे मतपत्रों की संख्या केवल १८६ थी, अतः निर्वाचन आयोग ने विचार किया कि यह अनियमितता महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं है और इसलिए इस या किसी अन्य मतदान केन्द्र में नये सिरे से मतदान कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग आफिसर ने १६ फरवरी को रिपोर्ट दी वह केवल चार बैलट पेपर्ज के सम्बन्ध में थी और काउंटिंग के समय रिटर्निंग आफिसर को उसी पोलिंग स्टेशन के जिन ऐसे बैलट पेपर्ज का पता चला व १८६ थ और ये ऐसे बैलट पेपर्ज थे जिन के ऊपर एक प्रत्याशी का चुनाव चिह्न नहीं था । मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रेस में ये मतपत्र छपे थे वहां केवल १८६ ही छपे होंगे या कि एक ब्लाक इस प्रकार का था जिस के द्वारा ये गलत मतपत्र छापे गए हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की जानकारी लेने का प्रयत्न किया है और क्या काउंटिंग के समय यह जानने का भी प्रयत्न किया गया कि और मतदान केन्द्रों पर भी इस प्रकार के मतपत्र

†मूल अंग्रेजी में

तो प्रयुक्त नहीं हुए हैं ? मेरी जानकारी इस प्रकार की है कि करीब बीस हजार मतपत्र इस प्रकार के थे जिन पर एक प्रत्याशी का चुनाव चिह्न ही नहीं था । ऐसी स्थिति में चूंकि भारत में यह इस किस्म का पहला केस ही है आगे के लिए कोई ऐसी बात न हो और किसी के मस्तिष्क में कोई सन्देह न निर्वाचन आयोग की ओर से रहने पाए, क्या चुनाव आयोग की ओर से इस की सही जानकारी ली जाएगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का कथन है कि उस समय वे ४ रहे होंगे लेकिन गिनते समय रिटर्निंग आफिसर ने ऐसे १८६ अपूर्ण मतपत्र पाये । क्या यह सच है ?

†**श्री हजारनवीस** : जी, हां । एक निर्वाचन अधिकारी ने यह गलती पकड़ी थी । अन्य मतदान केन्द्रों में यह गलती नहीं पकड़ी गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : गलती चाहे जिसने पकड़ी हो किन्तु क्या ऐसे १८६ मतपत्र थे ?

†**श्री हजारनवीस** : जी, हां । वे १८६ थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य की शिकायत है कि वे १८६ नहीं वरन् २०,००० थे ।

†**श्री हजारनवीस** : निर्वाचन आयोग को यही एक शिकायत प्राप्त हुई है । इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है । ये मतपत्र गवर्नमेंट प्रेस लखनऊ में छपे थे । जहां तक हमें ज्ञात हुआ है, प्रूफ सही थे और उसके बाद गलती हुई है । जांच अभी समाप्त नहीं हुई है ।

†**श्री त्यागी** : जब उमीदवार का नाम ही न हो या उसका चुनाव-चिह्न ही न हो तो वह चुनाव कैसे वैध हो सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री निर्वाचन आयुक्त से, जिन्होंने यह कहा था कि केवल चार मतपत्रों पर चुनाव चिह्न न थे, सहमत हैं यद्यपि रिटर्निंग आफिसर ने बाद में घोषित किया कि ऐसे अपूर्ण मतपत्र १८६ थे । ऐसे मतपत्र ४ हों या १८६ वे ३००० से जोकि अन्तर है बहुत कम हैं और इस से चुनाव के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अब माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसे २०,००० मतपत्र छापे गये और यदि छापे गये थे तो वे किसी बक्से में डाल दिये गये होंगे । यदि वे किसी बक्से में नहीं डाले गये तो उससे निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव न पड़ेगा ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मंत्री महोदय ने कहा है कि अपूर्ण मतपत्र काम में नहीं लाये गये । उन्हें काम में लाने से पहले इस गलती का पता लग गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस तरह नहीं चल सकता । माननीय सदस्य नहीं हैं । मतों की गणना के समय प्रत्येक उम्मीदवार का अपना एजेन्ट होता है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : जी, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : "जी नहीं" का क्या मतलब है यह मेरी समझ में नहीं आया । यदि कोई उम्मीदवार मतगणना के प्रति उदासीन है और यदि वह अपना एजेन्ट न रखे तो यह उसकी जिम्मेदारी है और उसे इसका परिणाम भुगतना चाहिये । तथ्य यह है कि मतपत्र देते समय ऐसे ४ मतपत्र पाये गये थे जबकि मतों की गिनती के समय ऐसे १८६ मतपत्र पाये गये । ऐसे मतपत्र और दिये भी गये हों तो वे मतदान पेटियों में नहीं डाले गये । इसलिये उन से मतदान का परिणाम प्रभावित नहीं हुआ और न होगा । खैर, भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : श्रीमन्, यह एक गंभीर विषय है । मतदान की नींव पर प्रजातंत्र आधारित है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं किन्तु प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : श्रीमन्, मैं औचित्य के प्रश्न पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में औचित्य का क्या प्रश्न है ?

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री**: आप ने जैसे बताया कि १८६ मतपत्र इस प्रकार के थे कि जो एक पोलिंग स्टेशन पर पड़े । अगर यह प्रेस की गलती थी और केवल १८६ मतपत्र ही इस प्रकार के थे तो उसी समय वे हटाये जा सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ । इसका अभिप्राय यह है कि एक ब्लाक इस प्रकार का था जो बराबर बैलटपेपर्ज़ को इस तरह से मिसप्रिंट करता रहा और जान-बूझ कर यह चीज़ हुई । इलैकशन कमिशन की ओर किसी के मन में कोई शंका या सन्देह न रहने पाये कि उसकी ओर से असावधानी बरती गई, इसलिए क्या यह आवश्यक नहीं है कि जितने मतपत्र हैं, उनको दुबारा रिकाउंट कराया जाये और देखा जाये कि किन किन मतदान केन्द्रों पर इस प्रकार के मतपत्र पड़े ?

†**अध्यक्ष महोदय** : औचित्य का प्रश्न इतना लम्बा वक्तव्य नहीं होना चाहिये । यदि ऐसे मतपत्र ४ हैं या १८६ तब भी ३००० मतपत्रों की तुलना में यह अन्तर इतना नहीं है कि जांच करना आवश्यक हो । इसके अतिरिक्त यदि किसी उम्मीदवार का परिणाम इन अपूर्ण मतपत्रों से प्रभावित हुआ ही है तो इसके लिये ट्रिब्यूनल है जो जांच कर सकता है । माननीय सदस्य के इस कथन से कि ऐसे एक लाख मतपत्र थे, मैं या इस सदन के सदस्य सहमत हों तो उससे क्या होता है ? मेरा ख्याल है कि हम जो कुछ कहें वह अधिक जिम्मेदाराना हो । औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न संख्या २८६ के बारे में

†**श्री ए० क० गोपालन** : मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि चूंकि प्रश्न का सम्बन्ध केरल कृषि सुधार अधिनियम से है इसलिये वह योजना मंत्री को भेज दिया गया है । मेरा ख्याल है कि यह सही नहीं है । मैं ने प्रश्न की सूचना गृह-कार्य मंत्री को दी थी क्योंकि प्रश्न केरल सुधार अधिनियम के बारे में नहीं वरन् यह था "क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि संविधान में संशोधन किया जाये ।" इसलिये प्रश्न संविधान में संशोधन के बारे में है जो गृह-कार्य मंत्रालय का दायित्व है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का तर्क यह है कि यह दायित्व चाहे जिस विभाग का हो, प्रश्न संविधान में संशोधन का है ।

†**श्री दातार** : केरल कृषि सुधार अधिनियम के सिद्धान्त और नीति पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया था । उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों को शक्ति परस्तात् ठहरा दिया है और इसलिये केरल सरकार ने भारत सरकार को लिखा है । इस प्रश्न पर योजना आयोग ही विचार कर सकता है । संविधान में संशोधन का प्रश्न बाद में आयेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : योजना आयोग यहां प्राधिकारी नहीं है। किसी न किसी मंत्री को योजना आयोग के लिये उत्तरदायी होना चाहिये।

†**श्री दातार** : योजना मंत्री तो हैं। वे मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है कि प्रश्न की सूचना योजना मंत्री को नही वरन् कृषि मंत्री को भेज दी गयी है।

†**श्री दातार** : योजना आयोग सभी विषयों के बारे में, जिन में कृषि भी शामिल है, कार्यवाही करता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। मेरा निवेदन इतना ही है कि प्रश्न संविधान में संशोधन का है, इसलिये केरल सरकार को गृह मंत्रालय से पूछताछ करनी पड़ेगी। गृह मंत्रालय योजना आयोग से जानकारी प्राप्त करके बता सकता है। इसलिये मैं ने प्रश्न की सूचना गृह-कार्य मंत्रालय को दी थी जो सही है। अध्यक्ष महोदय आपने कहा कि गृह-कार्य मंत्री मेरी सहायता ही कर रहे हैं। वे मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं।

†**श्री दातार** : गृह-कार्य मंत्रालय का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब किसी राज्य का विधानमण्डल कोई विधेयक पारित कर दे और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये भेज दे तो गृह-कार्य मंत्रालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इस मामले में केरल कृषि सुधार विधेयक को कानून बना दिया गया। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने उसके कुछ उपबन्ध शक्ति परस्तात् घोषित कर दिये। इसलिये यह सब बाद में हुआ है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जिस समय मैं ने प्रश्न की सूचना दी थी, मुझे यह सब जानकारी थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने कहा था कि यदि माननीय सदस्य ने प्रश्न की सूचना गृह-कार्य मंत्रालय को भेज दी थी और यदि वह उस मंत्रालय के लिये नहीं थी तो उससे वह सूचना उचित मंत्रालय को भेज दी। माननीय सदस्य को मेरे कथन पर आपत्ति है। इस प्रश्न का उत्तर कल दिया जायेगा। माननीय सदस्यों को भी ऐसे विषयों के प्रश्नों की सूचना दोनों (गृह-कार्य और योजना) मंत्रालयों को देनी चाहिये। हम ऐसी कोई व्यवस्था निर्धारित करेंगे। माननीय सदस्य यह न समझें कि उनके चरित्र पर या उनकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का आक्षेप किया गया है। उन्होंने अपनी राय में गृह-कार्य मंत्रालय को सूचना दे दी। इस मंत्रालय का कथन है कि प्रश्न की सूचना योजना आयोग को जानी चाहिये। प्रश्न का उत्तर कल अवश्य दिया जायेगा। मैं यथासंभव शीघ्र उसका उत्तर देने के लिये कहूंगा।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मुरारका . . . . माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नूनमती तेल शोधक कारखाना

†*२७५. **श्री प्र० च० बरूआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नूनमती तेल शोधक कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और अब तक इस तेल-शोधक कारखाने में कितना कच्चा तेल साफ किया गया है; और

(ग) क्या यह कारखाना पूर्ण क्षमता पर काम कर रहा है और उसकी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). २६-१२-१९६१ से प्रयोग के तौर पर उत्पादन आरम्भ हो गया है। २८-२-१९६२ तक लगभग ६७,००० टन तेल साफ किया जा चुका है।

(ग) यह कारखाना अभी पूर्ण क्षमता पर काम नहीं कर रहा है। उसकी अधिष्ठापित क्षमता ७.५ लाख टन प्रति वर्ष है।

कांगो में भारतीय सैनिक

†*२७६. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र०चं बरूआ:

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र कमान के अधीन कांगो में इस समय कितने भारतीय सैनिक हैं और अब तक मारे गये अथवा घायल हुए सैनिकों की संख्या क्या है ;

(ख) घायल सैनिकों में से कितनों को स्वदेश भेज दिया गया है और कितनों की लियोपोल्ड-वील में संयुक्त राष्ट्र अस्पताल में चिकित्सा हो रही है ;

(ग) क्या वहां पर सैनिक कार्यवाही के दौरान मारे गये सैनिकों के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति भेजे गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) हाल का परिवर्तन आरम्भ होने से पूर्व संयुक्त राष्ट्र कमान के अधीन कांगो में भारतीय सशस्त्र सेना के ५८०८ कर्मचारी थे। कांगो में लड़ाई में हमारे १५ सैनिक मारे गये और ८३ घायल हुए।

(ख) घायल कर्मचारियों में से ४४ को भारत भेज दिया गया। इस समय घायल व्यक्तियों में से इस समय किसी की भी चिकित्सा लियोपोल्डवील में संयुक्त राष्ट्र अस्पताल में नहीं हो रही है।

(ग) और (घ). घायल व्यक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये २ अफसर, ३ ज सी ओ तथा ३६ सैनिकों को कांगो भेज दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

असम में तेल की खोज

†२८०. **श्री मुरारका : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार असम में तेल की तेज़ी से खोज करने के लिये कुछ विदेशी फर्मों के साथ किसी प्रकार का तेल छिद्रण ठेका करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और** तेल **मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सरकार ने इटली की एन्टे-नेशिओनेल इंड्रोकेरबरी नामक फर्म के साथ एक करार कर लिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की देख रेख के अन्तर्गत असम में छिद्रण के ठेके की योजना भी शामिल है ।

(ख) ठेके के अन्तर्गत अभी छिद्रण शुरू नहीं हुआ है और इस सम्बन्ध में ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

कुरसिया खानों में आग लगना

†२८५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरसिया खानों में आग लग जाने के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई जांच समिति द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या निकट भविष्य में खानों को चलाने की कोई संभावना है ; और

(घ) अभी तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कितनी हानि हुई है ?

†**इस्पात, खान और तेल मंत्री (श्री सरदार स्वर्णसिंह)**: (क) और (ख). समिति की राय में यह आग अपने आप लगी थी और आग का पता लगने के बाद उसे बुझाने के लिये सही दिशा में कदम उठाये गये थे । सरकार समिति की इन उपपत्तियों से सहमत हो गयी है ।

(ग) जी, हां । माल को बरामद करने के लिये काम जारी है और यदि किनहीं अपरिहार्य कारणों से उसमें कोई रुकावट नहीं आई तो खान जून, १९६२ में पुनः चलने लगेगी ।

(घ) मशीनरी या अन्य सामान की कोई विशेष हानि नहीं हुई । इस बात की भी कोई संभावना नहीं है कि खम्भों पर जो कोयला है उसे कोई विशेष क्षति पहुंची हो । किन्तु, खान की सफाई पूरी होने पर ही सही स्थिति का पता लग सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर और अहमदाबाद में कोयले का रक्षित स्टाक

†२८८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में कपड़ा उद्योग के लिये कोयले का एक रक्षित स्टाक (डम्प) बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रक्षित स्टाक में कितना कोयला है और यह कब बनाया गया था ; और

(ग) क्या अहमदाबाद में भी कपड़ा मिलों के लिये ऐसा ही स्टाक बनाया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). कानपुर में कपड़ा उद्योग के लिये कोयले का कोई रक्षित स्टाक (डम्प) नहीं बनाया गया है। किन्तु अभी १२ फरवरी, १९६२ को कोयला नियंत्रक और कानपुर में कोयले के बड़े उपभोक्ताओं की बैठक में, जिसमें कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल थे, निश्चय किया गया कि कोयले के अर्जन व वितरण के लिये कानपुर में एक उपभोक्ता सहकारी संग्रह स्थापित किया जाये और इस संग्रह में शामिल होने वाले यूनिट संग्रह से कोयला लिया करें।

(ग) अहमदाबाद में भी कपड़ा उद्योग के लिये कोयले का रक्षित स्टाक (डम्प) नहीं है परन्तु वहां भी कोयले के अर्जन और वितरण के लिये संग्रह की योजना चल रही है।

बनस्पति तेल उद्योग के लिये संयुक्त कर योजना[1] का पुनरीक्षण

†*२९१. **श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति तेल उद्योग ने उद्योग के विकास के लिये संयुक्त कर प्रणाली में संशोधन करने के लिये अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) : जी, हां।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है।

'चीन की झलक' पुस्तक का जब्त किया जाना

†*२९२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'फारेन लेंग्वेज पब्लिकेशन', पेकिंग द्वारा प्रकाशित 'चीन की झलक' नामक हिन्दी पुस्तक को बिहार सरकार ने जब्त कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुस्तक के मुख पृष्ठ पर के अन्दर की ओर दो नक्शे दिये हुए हैं जिनमें समस्त उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण और जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा भूटान के कुछ भागों को चीन का अंग दिखाया गया है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में चीन सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Reference.

(घ) यदि हां, तो यदि कोई उत्तर मिला है तो वह क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :(क) और (ख). जी, हां । बिहार सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३७] ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रविधिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद

२९३. श्री अ० त्रि० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रविधिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी तथा कौन सी पुस्तकों का अनुवाद किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) । (क) और (ख). प्रविधिक अप्रविधिक विषयों की कोई १८० पुस्तकों के अनुवाद का काम कलकत्ता और नागपुर विश्वविद्यालय के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब के अनुवाद करने वाले विभिन्न अभिकरणों को सौंप दिया गया है और इन में से अधिकांश पुस्तकों का अनुवाद आरम्भ हो चुका है ।

गोदावरी बेसिन में तेल की खोज

†*२९५. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के गोदावरी बेसिन में तेल की खोज सम्बन्धी भूकम्पीय सर्वेक्षण से पहले किये जाने वाले भूतत्वीय मान चित्रण तथा अन्य सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो भूकम्पीय सर्वेक्षण कब आरम्भ होगा ; और

(ग) इस क्षेत्र में तेल मिलने की क्या सम्भावनायें हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) यह अभी बताना मुश्किल है ।

(ग) इस समय इस सम्बन्ध में कोई विचार व्यक्त करना सम्भव न होगा ।

केरल में हरिजन कल्याण के लिये अनुदान

†*२९५. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री मैं० क० कुमारन : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से केरल में हरिजन कल्याण के लिये अनुदान बढ़ाने का आग्रह किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल में अनुसूचित जातियों के लिये रखी गई राशि बढ़ाना संभव न होगा । केरल सरकार को इस बात की सूचना दे दी गई है ।

पंजाब के लिये पाकिस्तान का कोयला

†२९६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी खान मालिकों तथा भारतीय व्यापारियों के बीच क्वेटा, कलात, और 'साल्टरेंज' से पाकिस्तानी कोयले का आयात करने के बारे में बातचीत हो रही है जिससे पंजाब के ईंटों के भट्टों को कोयला मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). पाकिस्तानी खान मालिकों तथा भारतीय व्यापारियों के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है । किन्तु दिसम्बर, १९६१ में कराची में भारत-पाकिस्तान व्यापार की समीक्षा पर हुई वार्ता में पाकिस्तान सरकार ने भारत के उत्तरी इलाके को प्रति मास ईंटें पकाने का १०,००० टन कोयला का निर्यात करने का प्रस्ताव किया था । यह प्रस्ताव स्वीकार करके उसे अमल में लाया जाये या नहीं इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

दुर्गापुर इस्पात, संयंत्र

†*२९७. श्री प्र० च० बरुआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात परियोजना की नं० ३ कोक ओवन बैटरी में काम शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) इसकी स्थापना पर कितना धन व्यय हुआ ; और

(घ) इसकी स्थापना से संयंत्र की विधायन क्षमता[1] कितनी बढ़ गई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात परियोजना की नं० ३ कोक ओवन बैटरी में ३१ जनवरी और १४ फरवरी, १९६२ को दो जगहों पर काम शुरू कर दिया गया है ।

(ग) अनुमानतः आधार पर तीसरी कोक ओवन बैटरी की लागत लगभग २७० लाख रुपये है जिसमें सामान्य सेवाओं की लागत, जो मेसर्स इंडियन स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड लन्दन के साथ किये गये ठेके के अधीन एक अलग मद है, शामिल नहीं है ।

(घ) जब यह बैटरी अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने लगेगी तो वह तीसरी धम्मन भट्टी के लिए कोक तैयार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Processing capacity

पवन शक्ति मंडल (डिवीजन)

*२९८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहले पवन शक्ति के उपयोग का जो नया मण्डल (डिवीजन) खोला गया था, उस ने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) उसके कार्य को और अधिक व्यापक बनाने के लिये कौन से विशेषण कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) दस पवन चक्कियां लग चुकी हैं और साठ जल्दी ही लगा दी जायेंगी । गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर और मद्रास में तीस जगहों का मुआयना किया जा चुका है और जम्मू और कश्मीर घाटी और लद्दाख में जगहें देखी जा रही हैं ।

(ख) और अधिक सर्वेक्षण किया जा रहा है और विदेशों से विंड इलैक्ट्रिक जनरेटर प्राप्त किये जा रहे हैं । सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों को तकनीकी सलाह और मदद देने के अलावा नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन से यह भी कहा है कि वह विंड पावर डिवीजन द्वारा विकसित की गई पवन चक्कियों के व्यापारिक उत्पादन के लिये फर्मों को उत्साहित करें ।

खनन विद्यार्थियों के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण का निदेशालय

†२९९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन विद्यार्थियों के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित हो गया है ;

(ख) डिप्लोमाधारियों के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण का विस्तार तथा अवधि क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकरात्मक है, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) डिप्लोमाधारियों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य यह है कि वे खानों में पर्यवेक्षण के कनिष्ठ पदों पर काम कर सकें । कालेज के पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण, जिस में ऐसे प्रशिक्षण में लगाया गया समय सम्मिलित है, दो वर्ष का रहेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था

†४५५. श्री शि० न० रामौल :
श्री हेम राज ।
श्री भक्त दर्शन :
श्री जोगेन्द्र सेन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान हिमाचल प्रदेश की भावी व्यवस्था के बारे में २६ जनवरी, १९६२ के हिमकेसरी में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस में व्यक्त विचार अधिकृत हैं ;

(ग) क्या उन का ध्यान सरकार द्वारा अशोक सेन समिति की व्याप्ति के बारे में जारी किये गये प्रैस नोट की ओर दिलाया गया है और क्या वे निम्नलिखित बातों को स्पष्ट करेंगे :—

(१) क्या कार्यपालिका समिति या उसे जो भी अन्य नाम दिये जाये, क्षेत्रीय परिषद् के प्रति जवाबदेह होगी ;

(२) क्या परिषद् एक निगमित निकाय न रह कर प्रशासन का एक अंग बन जायेगा;

(३) क्या क्षेत्रीय परिषद् या उसे जो भी अन्य नाम दिया जाये, विधान प्रस्तुट कर सकेगी;

(४) क्या मैसूर क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक संसद् में पेश किया जायेगा ?

(५) क्या इस क्षेत्रीय निकाय को क्षेत्रीय सभा या प्रतिनिधि सभा जैसा कोई उचित नाम दिया जायेगा ;

(६) क्या जनता के प्रतिनिधि ऐसे विभागों के बारे में भी, जो प्रशासक के लिये रक्षित हों, प्रशासक से सम्बद्ध रहेंगे, और

(७) क्या परिवहन, वन, न्यायपालिका तथा राजस्व प्रशासन, कानून और व्यवस्था जैसे विषय, जिन का विकास विभागों पर खासा प्रभाव है, भी परिषद् को सौंपे जायेंगे; और

(घ) अशोक सेन समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की संभावना है और उसे लागू करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(१) माननीय सदस्यों का ध्यान गृह-कार्य मंत्री द्वारा ७ दिसम्बर, १९६१ को इस सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) और (३) सरकारी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इन बातों पर विचार किया जायेगा ।

(घ) प्रतिवेदन अप्रैल, १९६२ तक प्राप्त होने की संभावना है जिस के बाद आवश्यक कार्यवाही शुरू की जायेगी ?

आन्ध्र में कोयले की परतें

†४५६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० वें० कृष्ण राव :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में मुजविद के निकट कोयले की पर्तें पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां कोयले की कितनी मात्रा में होने का अनुमान है; और

(ग) इस कोयले को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने कृष्ण जिले में नजविद के निकट पानी के लिये कई जगह छिद्रण किया था जिन में ५ जगहों में किये गये छिद्रण से पता चलता है कि लगभग २५ वर्ग मील (५९ वर्ग किलोमीटर) के क्षेत्र में कोयला मिल सकता है। गोलापल्ली के पूर्व में ४००मीटर की दूरी पर किये गये छिद्रण से पता चलता है कि कोयले की पर्त की मुटाई लगभग ६ मीटर है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार को सुझाव दिया गया है कि वह कोयले की पर्तों की मुटाई, कोयले की संभाव्य मात्रा और उसे निकालने का खर्च आदि बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिये उस क्षेत्र में प्रायोगिक छिद्रण करे । आन्ध्र प्रदेश सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है ।

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में कोयले के निक्षेप का पता लगाना

†४५७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में कोयले के एक बड़े निक्षेप का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितना कोयला होने का अनुमान है ; और

(ग) यह कोयला निकालने के लिये इस बीच क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में कोयले के किसी नये निक्षेप का पता नहीं लगा है । सिंगरौली कोयला-क्षेत्र का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में है यह बात एक अर्से से मालूम है ।

(ख) कोयले वाली चट्टानें ९०० वर्ग मील के क्षेत्र में हैं जिन में से लगभग ३० वर्ग मील का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है और शेष मध्य प्रदेश के सीधी व सहडोल जिलों में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस (सिंगरौली) कोयला क्षेत्र का तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि का उत्पादन लक्ष्य २५ लाख टन निर्धारित किया गया है; सिंगरौली कोयला क्षेत्र में कोयला के उत्पादन का आयोजन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपने हाथ में ले ली है ।

विदेशों में भारतीय आन्दोलनकारियों की कार्यवाही

†४५८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीसवीं शताब्दी के पहिले पच्चीस वर्षों में विदेशों में भारतीय आन्दोलनकारियों की कार्यवाही के बारे में सरकार ने महत्वपूर्ण सामग्री एकत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो इस सामग्री से संक्षेप रूप में किन बातों का पता लगता है; और

(ग) यह सामग्री किन देशों से प्राप्त हुई है ?

†**वैज्ञानि अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) से (ग). हां, श्रीमान्, इस से अमरीका, जर्मनी, और पांडिचेरी में जो तत्काल फ्रांसीसी बस्ती थी; भारतीय आन्दोलनकारियों की कार्यवाही का पता लगता है ।

चण्डीगढ़ में बिजली के सामान का कारखाना

†४५९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये ढ़के तार और अन्य सामान बनाने के लिये चण्डीगढ़ में एक बिजली का कारखाना खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या लागू करने के लिये योजना हाथ में ले ली गई है;

(ग) यदि हां, तो कब ली गई; और

(घ) कारखाने में कितना उत्पादन होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् । लागू करने के लिए योजना हाथ में ले ली गई है । चण्डीगढ़ में अपेक्षित भूमि प्राप्त हो गई है । इमारतों के नक्शे आदि को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । आवश्यक संयंत्र तथा सामग्री के लिए शीघ्र ही क्रयादेश दे दिये जायेंगे ।

(ग) और (घ). पूछी गई जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

†४६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थान १३८ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दिसम्बर, १९६१ से खुली जांच पड़ताल कर रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाया गया है और शेष मामलों में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या इतने अधिक व्यक्तियों के संबंधित होने के कारणों की कोई जांच पड़ताल की गई है, और यदि हां, तो उनकी बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) एक व्यक्ति पर मुकद्दमा चलाने और छः अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का निश्चय किया गया है । शेष कर्मचारियों के मामलों की जांच-पड़ताल हो रही है ।

(ग) नहीं । विशेष पुलिस संस्थान केवल उस स्थिति में ही खुली जांच के लिए मामले लेता है जबकि सकारण यह विश्वास किया जा सके कि इस जांच से संबंधित व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाने के लिए या उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए गवाही मिल जायेगी । दिसम्बर, १९६१ में दिये गये मामलों की संख्या औसत रूप में उतनी ही है जितनी कि प्रति मास होती है । यह संख्या उन सभी मामलों की है जो विशेष पुलिस संस्थान की सारी शाखाओं को दिये गये थे ।

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

†४६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में पाकिस्तान को कुल कितना कोयला निर्यात किया गया; और

(ख) वर्ष १९६२ में कितना कोयला भेजा जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १,२२१,९६८ टन ।

(ख) भारत-पाकिस्तान व्यापार करार के शर्तों के अनुसार १,५६०,००० टन भेजा जायेगा ।

दिल्ली में बोरी में पाई गई लाश

†४६२. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्री-हत्या के बारे में कोई जांच पड़ताल की गई है जिसकी लाश ४ फरवरी, १९६२ को नई दिल्ली के राजौरी गार्डन के पास रिंग रोड पर बोरी में पाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). पुलिस अभी जांच-पड़ताल कर रही है ।

कोलम्बो योजना के अधीन भारत द्वारा सहायता

†४६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने १९६०–६१ और १९६१–६२ में कोलम्बो योजना के अधीन कितनी और क्या सहायता दी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भारत ने कोलम्बो योजना के अधीन १९६०–६१ में सदस्य-देशों को २६० प्रशिक्षण केन्द्रों और ५ विशेषज्ञों की सेवाओं की सुविधा दी। इस सहायता पर १८.५४ लाख रु० व्यय हुए। १९६१–६२ में भारत ने कोलम्बो योजना के अधीन अन्य देशों के लिए २८७ प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की और ५ भारतीय विशेषज्ञों की सेवायें प्रदान कीं। इस सहायता पर लगभग २० लाख रु० व्यय होने की संभावना है। यह टेक्निकल सहायता, चिकित्सा, इंजिनियरिंग, सांख्यिकी, असैनिक उड्डयन, सामाजिक शिक्षा, सामुदायिक विकास, वन विद्या, मत्स्य पालन विकास, कागज़ निर्माण, पटसन प्रौद्योगिकी, जल संसाधन विकास, लोक प्रशास, आदि के क्षेत्र में दी गई।

इसके अतिरिक्त, भारत ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत नेपाल को १९६०–६१ में १.९२ करोड़ रु० की सहायता दी। १९६१–६२ के लिए सहायता के लिए ३.२२ करोड़ रु० का प्राक्कलन है। इस योजना से आरम्भ की गई विभिन्न विकास योजनाओं में छोटी सिंचाई, निर्माण, सड़कों तथा हवाई अड्डों का रखरखाव तथा मुरम्मत, जल संभरण की व्यवस्था, ग्राम विकास, प्रसूति तथा बाल कल्याण योजनायें, शिक्षा, कृषि, वन विद्या, उद्यान विद्या और त्रसूली जल विद्युत् परियोजना, आदि सिम्मिलित हैं।

कम्पनियों द्वारा बोनस शेयर जारी करना

†४६४. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री मुरारका :

क्या **वित्त मंत्री** २२ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्री वर्ष १९६१ और १९६२ में अब तक किन किन कम्पनियों को और कितनी कितनी धन राशि के लिए बोनस-शेयर जारी करने की अनुमति दी गई;

(ख) वर्ष १९६१ में किस किस कम्पनी को अधिमान बिना साम्याधिकार अंश जारी करने की अनुमति दी गई; और

(ग) किस किस कम्पनी को ऐसी अनुमति नहीं दी गई और इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) से (ग). कम्पनियों के नाम की सूची और अपेक्षित जानकारी संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३५२६/६२]**।

औद्योगिक वित्त निगम

†४६५. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वित्त** मंत्री ९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम के पिछले वक्तव्य के बाद भारत में पूंजीगत वस्तुओं के आयातकर्ताओं के लिए विदेशी पार्टियों से विलम्बित भुगतान की शर्तें प्राप्त के करने के लिए क्या प्रयास किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सितम्बर, १९६० के बाद किस किस पार्टी को ऐसी सहायता दी गई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कार्य में सुधार करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). औद्योगिक वित्त निगम की पूंजीगत वस्तुओं के आयातकर्ताओं के लिए विदेशी पार्टियों से विलम्बित भुगतान की शर्तें प्राप्त करने सहायता का रूप ऐसे भुगतानों के लिए गारन्टी देने का है। पटल पर विवरण रखे जाने के बाद, निगम ने विलम्बित भुगतानों के लिए और अधिक गारन्टियां दी हैं। ये गारन्टियां १४.८१ करोड़ रु० की हैं। जिन पार्टियों को ऐसी सुविधायें दी गई हैं उनके नाम आदि संलग्न विवरण में दिये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]**।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

त्रिपुरा का प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण'

†४६६. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा का टेक्नो-आर्थिक सर्वेक्षण यह जानने के लिए किया गया है कि त्रिपुरा का विकास तथा प्रगति करने के क्या संभव ढंग व उपाय हो सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी मुद्रित पुस्तक "त्रिपुरा का टेक्नो-आर्थिक सर्वेक्षण" में उपलब्ध है। इसकी प्रतियां पुस्तकालय में हैं। इसके अध्याय १३ में उल्लिखित निष्कर्षों और सिफारिशों का त्रिपुरा की तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने में ध्यान रखा गया था।

त्रिपुरा में डाक तथा तार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

†४६७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में रखे गये डाक तथा तार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क आदि विभागों को सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता जो कि उसी श्रेणी के स्थानीय कर्मचारियों को दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों को, जिनका वेतन (महंगाई भत्ता सहित) १९५ रु० मासिक से अधिक नहीं है, ७.५० रु० मासिक विशेष प्रतिकर भत्ता दिया जाता है। इसका सीमान्त समायोजन २०२.५० रु० मासिक वेतन तक होगा। यह भत्ता उसी श्रेणी के केन्द्रीय वेतन-क्रमों वाले कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है क्योंकि केन्द्रीय वेतन-क्रम त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों से अधिक है जो कि पश्चिमी बंगाल सरकार के वेतन क्रमों के अनुसार है।

---

†मूल अंग्रजी में

'Techno-Economic Survey.

त्रिपुरा में बम्बई साहूकार अधिनियम का लागू होना

†४६८. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में "बम्बई साहूकार अधिनियम" के लागू होने से वहां के कृषकों को तुष्टि मिली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तुष्टि मिली है और नहीं मिली, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) अधिनियम से निम्न कार्य होते हैं :—

(१) ऋण देने को विनियमित तथा नियंत्रित करना;

(२) ऋण देने की अनुमति केवल लाइसेन्स-प्राप्त व्यक्तियों को देता है;

(३) बिना लाइसेन्स के ऋण देना अवैध करता है; और

(४) प्राप्त तथा अप्राप्त ऋणों पर क्रमानुसार ९ प्रतिशत तथा १२ प्रतिशत ब्याज की दर निर्धारित करता है ।

खुदीराम बोस की माता को सहायता

†४६९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुप्रसिद्ध शहीद श्री खुदी राम बोस की माता, जो जिला हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में रहती है, अत्यधिक निर्धनता का सामना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसे सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री दातार)** : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पोस्टल बैलटों का न दिया जाना

†४७०. **श्री तगामणि** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग को शिकायतें मिली हैं कि पिछले चुनावों में मतदाताओं को विभिन्न संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये पोस्टल बैलट नहीं दिये गये ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह घटना मद्रास राज्य के मदुरै जिले में चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में हुई ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या क्या शिकायतें मिली हैं ?

†**विधि उपमत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) निर्वाचन आयोग को दो शिकायतें मिलीं ।

(ख) आयोग शिकायतों की जांच कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दो शिकायतें मद्रास राज्य के मदुरै जिले के बारे में थीं।

(घ) एक शिकायत माननीय सदस्य की है। उन्होंने शिकायत की थी कि पोस्टल बेलट देने 'चये अनेक प्रार्थनापत्रों को प्रार्थियों को लौटा दिया गया और आवश्यकता के बिना ही निर्वाचन क्षेत्र का नाम और उस स्थान का नाम, जहां वे निर्वाचन वाले दिन काम कर रहे थे, पूछा गया था। श्री मुथिया ने परियाकुलम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और दूसरी शिकायत उन की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तीन हज़ार से अधिक पोस्टल बैलट डाक से नहीं भेजे गये।

रत्नगिरि पहाड़ी (कटक) पर संग्रहालय

†४७१. **श्री बै० चं० मलिक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक जिले में रत्नगिरि पहाड़ी पर एक संग्रहालय बनाने के प्राक्कलन तयार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ग) निर्माण कब आरम्भ होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १,७८,०६० रु० (लगभग)।

(ग) आशा है कि कार्य १९६२-६३ में आरम्भ होगा।

ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा

†४७२. **श्री बै० चं० मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री २३ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न **संख्या १५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।**

(क) क्या उत्कल विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश पाने के लिये ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा को मान्यता दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) मामला अभी विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'उड़ीसा की दलित जाति संघ' को अनुदान

†४७३. **श्री बै० चं० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता निवारण के लिये राज्य सरकार के माध्यम से उड़ीसा की दलित जाति संघ को दिया जाने वाला अनुदान का १९६०-६१ में लेखापरीक्षण हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लेखापरीक्षण की रिपोर्ट पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि एक वर्ष की अन्तरावधि के बाद हाल में उसी गैर-सरकारी संघ को अनुदान दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Depressed Classes League.

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में अनुदान देना पुनरारम्भ किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष १९५९-६० के लिये उड़ीसा की दलित जाति संघ के लेखा का लेखापरीक्षण १९६०-६१ में किया गया था ।

(ख) यह संघ एक स्थानीय संघ है और इस कारण उसे उस सरकार द्वारा निश्चित शर्तों पर अनुदान मिलते हैं । तदनुसार राज्य सरकार पर भी यह उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे अनुदानों के उचित प्रयोग को सुनिश्चित करे और इस बारे में भारत सरकार को सर्टिफिकेट दे । अतः लेखा-परीक्षण रिपोर्ट को पटल पर रखने का विचार नहीं है ।

(ग) हां ।

(घ) राज्य सरकार ने वर्ष १९६०-६१ में उस संघ को कोई अनुदान नहीं दिया क्योंकि लेखापरीक्षण रिपोर्ट उस वर्ष के समाप्त होने से पहिले नहीं आई थी । बाद में, लेखापरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, १९६१-६२ में ४१,००० रु० का अनुदान दिया गया ।

उड़ीसा में पुनर्वेल्लन कारखाना[1]

†४७४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक पुनर्वेल्लन कारखाना स्थापित करने के लिये, जिस की उत्पादन क्षमता १५,००० टन वार्षिक होगी, लाइसेन्स दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लाइसेन्स किस को दिया गया है ;

(ग) यह कारखाना राज्य में कहां स्थापित होगा ; और

(घ) इस कम्पनी के अंशधारी कौन कौन हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं, श्रीमान् । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के पहिले, लोहा तथा इस्पात नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नेशनल टेक्स्टायल्स एण्ड रोलिंग मिल्स लि० को (उस के बाद उस का नाम नेशनल फाउन्ड्री एण्ड रोलिंग मिल्स लि० हो गया) उड़ीसा में कटक में एक पुनर्वेल्लन मिल स्थापित करने की अनुमति दी गई थी । वर्तमान उत्पादन-क्षमता ६,००० टन वार्षिक है ।

इस्पात पुनर्वेल्लन उद्योग के प्रादेशिक वितरण को ध्यान में रख कर उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां लगभग १५,००० टन वार्षिक अधिक पुनर्वेल्लन-क्षमता की आवश्यकता स्वीकार की गई है । अभी कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

चौथा इस्पात कारखाना

†४७५. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों ने हाल में मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ बोकारो में चौथा इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rerolling Mill.

(ख) यदि हां तो तो क्या विचार विमर्श हुआ और उस में क्या प्रगति हुई ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रद्दी लोहा

†४७६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पशुपति मंडल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में प्रतिरक्षा कारखाने ने पुनर्निर्माण के लिये कुल कितने रद्दी लोहे को गलाया ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कहने पर प्रतिरक्षा संस्थान कारखानों द्वारा उपभोक्ताओं को कुल कितना रद्दी लोहा बेचा गया ; और

(ग) वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थानों और कारखानों द्वारा कुल कितना रद्दी लोहा सार्वजनिक टेन्डर द्वारा बेचा गया और उससे कितनी आय हुई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया)** : (क) यह जानकारी देना जनहित में नहीं है ।

(ख) १९५९ . . . लगभग १६०० टन
१९६० . लगभग १८०० टन
१९६१ . . . लगभग २५०० टन

(ग) १९५९—बेची गई मात्रा . ७५ टन
राजस्व की आय . २३,३५० रुपये ।
१९६० . . . शून्य
१९६१ . . . शून्य

स्कल स्क्रैप का निर्यात

†४७७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पशुपति मण्डल :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में कुल कितने स्कल स्क्रैप का निर्यात किया गया और उसी वर्ष देश से निर्यात किये गये कुल फेरस स्क्रप का इससे क्या अनुपात है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चालू वर्ष में कितना स्कल स्क्रैप निर्यात किया जायेगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, इसके निकलने के स्थान पर ही स्कल स्क्रैप के आन्तरिक उपयोगिता को निर्धारित करने के अपने अधिकार इस्तेमाल करने के बजाय, स्कल स्क्रैप के निर्यातकर्ताओं पर इसको पुनः इसके उत्पादकों को देने पर जोर दे रहे हैं ताकि निर्यात कम किया जाये ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क)

(१) इस्पात स्कल स्क्रैप	१०१,५१६ मीटरिक टन
(२) सी० आई० स्कल स्क्रैप	२१,१०६ मीटरिक टन
	१,२२,६२२ मीटरिक टन
(३) अन्य किस्म के फेरस स्क्रैप	२,४८,१२५ मीटरिक टन
(४) अन्य किस्म के फेरस स्क्रैप का स्कल स्क्रप से अनुपात	लगभग १:२

(ख) निर्यात उपलब्धता पर निर्भर करता है जो समय समय पर भिन्न होती है, अतः कोई ठीक अनुमान नहीं बताया जा सकता ।

(ग) सरकारी क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों को स्कल स्क्रैप की आवश्यकता है । गर सरकारी इस्पात संयंत्रों में होन वाले स्कल स्क्रैप को, जिसकी उनको स्वयं आवश्यकता नहीं है, सरकारी क्षेत्रीय संयंत्रों को दिया जाता है । यदि सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों को इस स्क्रैप की आवश्यकता नहीं है, तो इसका निर्यात किया जा सकता है ।

राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण

४७८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार न राज्य सरकारों को दूसरी योजना की अवधि में पृथक् पृथक् कितना ऋण दिया है;

(ख) इन ऋणों के सम्बन्ध में क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं;

(ग) यदि हां, तो व क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें उस धन को वापस करने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं और जो शर्तें ऋण देते समय तय हुई थीं उनका यथावत् पालन नहीं कर रही हैं; और

(ङ) भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों से उस ऋण के ब्याज के रूप मे कितना धन पृथक् पृथक् प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग) सभी ऋण शर्तों पर मंजूर किये जाते हैं। ये शर्तें सामान्यतः ब्याज की दर और अवधि ब्याज समेत मूलधन की वापसी के तरीके के बारे में होती हैं।

(घ) कुछ मामलों को छोड़ कर, जिनमें राज्य सरकारों के परामर्श से उपचारात्मक कार्यवाही की गई थी, राज्य सरकारों को दिये गये मूलधन और ऋण पर ब्याज की वापसी में किसी गलती का पता नहीं चला है।

मंत्रियों को दिये गये भत्ते

४७९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों, उप-मंत्रियों और संसदीय सचिवों को वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में पृथक-पृथक कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार भविष्य में इस प्रकार के भत्तों के सम्बन्ध मे कुछ नियंत्रण लगाना चाहती है।

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे भी मंत्री हैं कि जिनका वर्ष का भत्ता कुल मिला कर वेतन से अधिक बैठता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको कुछ विशेष निर्देश इस सम्बन्ध में दिये हैं;

(ङ) वेतन और यात्रा भत्तों के अतिरिक्त सरकार की ओर से इन सभी मंत्रियों और संसदीय सचिवों को अन्य कौन-कौन सी सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(च) उन पर कुल मिला कर पृथक् पृथक् कितना व्यय बैठता हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क), (ग) (घ) और (च). सूचना एकत्रित की जा रही है, और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन हीं है।

(ङ) मंत्रियों को मिलने वाली सुविधायें आदि "मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते का अधिनियम, १९५२" तथा "मंत्रियों के भत्ते चिकित्सा तथा अन्य विशेषाधिकार सम्बन्धी नियम, १९५७" में समाविष्ट हैं, जिन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जा चुकी है। जहां तक संसदीय सचिवों का सम्बन्ध है, उन्हें बिना किराये के फर्नीचर सहित निवास स्थान को छोड़ कर संसद् सदस्यों के रूप में उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त और कोई विशष सुविधा नहीं दी जाती।

गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अध्यापकों को महंगाई भत्ते

४८०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिक्षकों की ओर से कुछ एसे भी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं कि बहुत से राज्यों में राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को जो महंगाई भत्ते दिये जाते हैं वे दूसरे विद्यालयों में नहीं दिये जार्ते;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन राज्यों की सरकारों से इस सम्बन्ध मे कोई जानकारी लेन का यत्न किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस भेद को दूर करने के लिये क्या अपनी ओर से भी कुछ राशि देने का आश्वासन राज्य सरकारों को दिया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक वह कोई अनुकूल निर्णय इस सम्बन्ध में क्यों नहीं ले सकी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) . जी हां ।

(ग) और (घ) . इस विषय पर केवल राज्य सरकारें ही निर्णय कर सकती हैं, लेकिन जहां तक केन्द्र से वित्तीय सहायता का संबंध है, इसके लिये किसी प्रकार का आश्वासन लेने का प्रश्न नहीं उठता । क्यों कि आयोजना में निहित योजनाओं के लिये राज्य सरकारें जिन सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त करती हैं उनसे वे भली भांति परिचित हैं ।

दिल्ली में नगर निगम कर

†४८१. **श्री बै० चं० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन उपबन्धों और नियमों के अधीन दिल्ली नगर निगम मकान मालिकों से प्रत्येक वर्ष के लिय मकान-कर, जल-कर, सफाई-कर आदि पेशगी मांग सकता है;

(ख) किन कारणों से दिल्ली नगर निगम को पेशगी कर मांगने का अधिकार दिया गया है जब कि इसने पूरे वर्ष कार्य न किया हो; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष समाप्त होने पर ही लगाये जाने वाले विक्रय-कर, आय-कर और अन्य करों के मामले में नियमों को भी इस मामले में क्यों पालन नहीं किया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) . दिल्ली नगर निगम (सम्पत्ति-कर) उप-नियम, १९५९ के उप-नियम ३ के अधीन सम्पत्ति-कर प्रत्येक वर्ष के लिये उस तिथि को देने पड़ते हैं जिस तिथि को मूल्यांकन सूची दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा १२४ की उप-धारा (६) के अधीन आयुक्त द्वारा मान्यीकृत की जाय । सम्पत्ति-कर के मामले में एक विशेष वर्ष के लिये कर के लिये उसकी कीमत का अनुमान वह वर्ष समाप्त होने से काफी पहिले कर लिया जाता है जब कि आय-कर के मामले में आय का अनुमान उस वर्ष के अन्त में ही लगाया जा सकता है जिस वर्ष के लिय आय-कर लेना है । विक्रय-कर पत्रों का भी प्रत्येक तिमाही के अन्त में हिसाब लगाया जाता है । अतः सम्पत्ति कर और आय-कर और विक्रय-कर में कोई समानता नहीं है ।

दिल्ली में उच्च माध्यमिक विद्यालय

†४८२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में लड़कों और लड़कियों के लिये सरकारी और सहायता-प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें से कितने ग्रामीण क्षेत्र में हैं;

(ग) उनमें से कितनों में सह-शिक्षा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उनमें से कितनों की अपनी इमारतें हैं और कितने शिविरों में हैं और कितने किराये की इमारतों में हैं;

(ङ) विद्यार्थियों की कुल क्या सख्या है; और

(च) उनमें से कितनों ने दूसरी भाषा के तौर पर (१) उर्दू (२) बंगाली (३) तमिल (४) मराठी ले रखी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

	लड़के	लड़कियां
(१) सरकारी	१०७	७३
(२) स्थानीय निकाय	८	३
(३) सहायता-प्राप्त	८५	३४

(ख) ४० ।

(ग) ४५ ।

(घ) सराकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों के बारे में जानकारी निम्न प्रकार है :

	स्वयं की इमारतें	शिविर	किराये की इमारतें
(१) सरकारी	१२५	३१	२४
(२) स्थानीय निकाय	७	..	४

सहायता प्राप्त स्कूलों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) २,०८,०१३

(च) ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

†४८३. श्री बलराज मधोक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में क्रमश: जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली को आवर्ती और अनावर्ती अनुदान के रूप में कुल कितनी रकम दी गयी ; और

(ख) इस संस्था के विभिन्न सेक्शनों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल क्या संख्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) वर्ष १९५९–६०, १९६०– ६१ और १९६१–६२ में जामिया मिलिया इस्लामिया को निम्नलिखित अनुदान दिया गया :

	१९५९–६० रुपये	१९६०–६१ रुपये	१९६१–६२ रुपये
(१) जामिया मिलिया इसलामिया के लिये			
आवर्ती	४,७५,०००	५,६०,०००	५,६०,०००
अनावर्ती	१,४०,०००	शून्य	शून्य
कुल	६,१५,०००	५,६०,०००	५,६०,०००
(२) जामिया रूरल इंस्टीट्यूट के लिये			
आवर्ती	१,७०,०००	१,००,०००	१,२५,०००
अनावर्ती	६५,०००	३,०४,०००	१,००,०००
कुल	२,३५,०००	४,०४,०००	२,२५,०००

(ख) १२११

दिल्ली के अध्यापक

†४८४. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के अधीन काम कर रहे कितने अध्यापकों को दिल्ली विश्वविद्यालय की नियमित सायंकालीन कक्षाओं में दाखिला लेने की आज्ञा दी गयी ;

(ख) उनमें से कितनों को अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की इजाजत दी गयी ;

(ग) जिन मामलों में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गयी, क्या सम्बन्धित शिक्षकों को इसके कारण बताये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

†शिक्षामंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) वर्ष १९६०–६१ से पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय की सायंकालीन कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति स्कूलों के मुखियाओं और ज़ोनल पदाधिकारियों द्वारा दी जाती थी। वर्ष १९६०–६१ में अनुमति देने के नियमों को पुनरीक्षित किया गया और अनुमति देने का अधिकार शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया गया। समय कम होने के कारण सभी सरकारी स्कूलों से, जिनकी संख्या बहुत है, वर्ष १९५९–६० के बारे में अपेक्षित जानकारी एकत्र करना संभव नहीं है। वर्ष १९६०–६१ में शिक्षा निदेशक ने दिल्ली विश्वविद्यालय की सायंकालीन कक्षाओं में प्रवेश के लिये १०१ शिक्षकों को अनुमति दी गयी।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). सामान्यतः जिन अध्यापकों को सायंकालीन कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जाती है उन्हें अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाती है। तथापि विशेष मामलों में जैसे, कर्त्तव्य पालन न करना, अच्छा व्यवहार न करना आदि में यह अनुमति वापस ले ली जाती है। उचित जांच करने के बाद ही ऐसी कार्यवाही की जाती है और सम्बन्धित शिक्षक को कारणों का पता होता है।

दिल्ली में ईंट उद्योग

†४८५. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईंटों के विक्रय और उत्पादन सम्बन्धी नियंत्रण आदेशों से दिल्ली में ईंट उद्योग में संकट पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

असिस्टेंटों के लिये सेलेक्शन ग्रेड

†४८६. **श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असिस्टेंटों और उनके संघ से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि जिन लोगों ने केन्द्रीय सचिवालय में असिस्टेंट के रूप में २० वर्ष से अधिक कार्य किया है उनके लिये सेलेक्शन ग्रेड लागू किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). असिस्टेंटों के एक संघ से हाल ही में एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें असिस्टेंटों के वेतन स्तर के पुनरीक्षण करने और सेलेक्शन ग्रेड, इस ग्रेड के स्थायी व्यक्तियों के अनुपात में, लागू करने के लिये, जिसका वेतन-स्तर अधिक हो, कहा गया है। इस समय यह विचाराधीन है।

असिस्टेंटों की पदोन्नति के नियम

†४८७. **श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी विकेन्द्रीकरण योजना के अधीन उन असिस्टेंटों की, जो असिस्टेंट के रूप से २० वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं, सेक्शन आफिसर की पदाली में पदोन्नति के वर्तमान नियमों को पुनरीक्षित किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). तीन केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के लिये प्रस्तावित विकेन्द्रीकरण योजना के क्रियान्वयन के बाद केन्द्रीय सचिवालय सेवा की सेक्शन आफिसर्स की पदाली में भर्ती पदोन्नति के नियम विचाराधीन हैं और अभी उनको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†४८८. **श्री म० वें० कृष्णराव : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६२ के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में खनिज संसाधनों का कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किन क्षेत्रों में किया जा रहा है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). वर्ष १९६०–६२ के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये कार्य का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]**

रद्दी लोहा

†४८९. **डा० पशुपति मण्डल :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में तैयार किये गये इस्पात के आयात के विरुद्ध कुल कितने रद्दी लोहे (फेरस स्क्रैप) के निर्यात की अनुमति दी गयी है ;

(ख) क्या स्क्रैप व्यापार ने अभ्यावेदन किया है कि तैयार किये गये इस्पात के आयात के बदले स्क्रैप के निर्यात की कोई अधिकतम सीमा न रखी जाये या वर्ष १९६१ के लिये अधिकतम सीमा ५ लाख टन निर्धारित कर दी जाये ;

(ग) अधिक वस्तु-विनिमय सीमा के सुझाव को मानने में सरकार को क्या आपत्ति है ;

(घ) क्या सरकार का इरादा स्क्रैप के निर्यात पर तैयार किये गये इस्पात के आयात की अनुमति देने की नीति जारी रखने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिये स्क्रैप के निर्यात की अधिकतम सीमा क्या रखी गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) स्क्रैप वस्तु-विनिमय सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी :

१९५९	१६०,००० टन
जनवरी, १९६०— मार्च, १९६१	३६०,००० टन
१९६१–६२	३६०,००० टन

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां ।

(ग) इस समय अधिक वस्तु-विनिमय सीमा की मांग नहीं की गयी है क्योंकि वर्तमान अधिकतम सीमा भी पूरी होने की संभावना नहीं है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) अभी वर्ष १९६२–६३ के लिये निर्यात की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

गलाया जाने वाला रद्दी लोहा

†४९०. { डा० पशुपति मण्डल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१ से १९६१ तक के वर्षों में (वर्षवार) कुल कितने गलाये जाने वाले रद्दी लोहे की खपत हुई और देशीय रद्दी लोहे पर आधारित भट्टियों द्वारा कितने पिंड और ढली वस्तुओं का उत्पादन किया गया ;

(ख) वर्ष १९६० और १९६१ में इन भट्टियों में खपे कुल रद्दी लोहे में से, कितनी मात्रा नियंत्रित संसाधनों से दी गयी, कितनी मात्रा निर्यातकों द्वारा शुल्क के रूप में दी गयी और कितनी मात्रा इन्होंने स्वयं बाजार से खरीदी ; और

(ग) इन भट्टी मालिकों को रद्दी लोहे की कुल आवश्यकता बाजार से न खरीदने देने अथवा उनकी कुल आवश्यकता नियंत्रित संसाधनों से पूरी न करने के क्या कारण हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :(क) गलाये जाने वाले रद्दी लोहे की कुल खपत के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है । मुख्य उत्पादकों के अतिरिक्त, देशी रद्दी लोहे पर आधारित भट्टियों द्वारा, बनाये गये पिण्ड और ढली वस्तुओं की मात्रा निम्न प्रकार है :

(उत्पादन टनों में)

वर्ष	पिण्ड	ढली वस्तुएं
१९५१	२७,३३८	१०,०००
१९५२	३०,२८५	९,४२७
१९५३	३६,८०१	१०,३२७
१९५४	४५,९५६	१२,८७५
१९५५	४३,३२९	१५,०१०
१९५६	४१,७३५	२०,४८०
१९५७	३९,७१३	२३,३४३
१९५८	४१,७७६	२८,०७२
१९५९	५८,८३५	२९,०४०
१९६०	५५,४४८	३३,४९८
१९६१	५३,७३७	३७,६५२

(ख) और (ग) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है । इस समय मुख्य उत्पादकों समेत, रद्दी लोहे पर आधारित भट्टियां रद्दी लोहा नियंत्रित संसाधनों और खुले बाजार दोनों से लेती हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

प्राच्य विश्वविद्यालय

†४९१. **श्री अ० त्रि० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्राच्य विश्वविद्यालय स्थापित किये गये ; और

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सुविधायें मिल रही हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी 'प्राच्य विश्वविद्यालय' के स्थापित किये जाने का भारत सरकार को पता नहीं है । तथापि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दो संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किये गये जिन के नाम वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी और के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा हैं ।

(ख) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिल रहा है । के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान देने का प्रश्न आयोग के विचाराधीन है ।

पलाई सेन्ट्रल बैंक के खातदारों को भुगतान

†४९२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से पलाई सेन्ट्रल बैंक के खातेदारों को कोई भुगतान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है और प्राथमिक प्राथमिकता भुगतान के अतिरिक्त कितनी धनराशि दी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी, हां ।

(ख) प्राथमिक प्राथमिकता भुगतान के अतिरिक्त समापक ने, १५-१२-६१ को उच्च न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद खातेदारों और अन्य धनियों को एक रुपये में ४० नये पैसे का डिविडेन्ड घोषित किया है । २१ मार्च, १९६२ तक उन्हों ने डिविडेन्ड के कारण खातेदारों के पक्ष में २,३५,६९,३६३ रुपये के १९९२५ चैक और धनियों के पक्ष में १,८१,४९१ रुपये के ४५५ रुपये चैक जारी किये ।

लौह अयस्क का चूरा

†४९३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के चूरे के इस्तेमाल की समस्या का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख) समिति ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन देने का निर्णय किया है क्योंकि आरम्भ किये जा चुके व्यापक प्रयोगशाला प्रयोगों को अन्तिम प्रतिवेदन देने से पूर्व पूरा करना पड़ेगा । अन्तिम प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयुध कारखानों में उत्पादन

†४९४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१ में आयुध कारखानों में उत्पादन में कोई सारभूत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६० से इस की क्या तुलना है ; और

(ग) क्या अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह आशा की जाती है कि वर्ष १९६१-६२ में उत्पादन का कुल मूल्य ४० करोड़ रुपये से अधिक होगा जब कि वर्ष १९६०-६१ में यह ३०.३६ करोड़ रुपये था ।

(ग) जी हां । नई चीजों के देशीय निर्माण के लिये कई योजनायें मंजूर की गई हैं और उन को क्रियान्वित किया जा रहा है । इस के अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार कई परियोजनाओं की जांच कर रही है । इन परियोजनाओं का ब्योरा बताना जन-हित में नहीं है ।

वेतन आयोग की सिफारिशें

†४९५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग के प्रतिवेदन की सभी सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). संलग्न विवरण में दी गई सिफारिशों के अतिरिक्त वेतन आयोग की सभी सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है । **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध सख्या ४१]**

कोयला खनन सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय सम्मेलन

†४९६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोयला खनन और सम्बद्ध समस्याओं सम्बन्धी दूसरे अन्तर्राज्यीय सम्मेलन में, जो कलकत्ता में हाल ही में किया गया था ,किये गये इस कथित निर्णय की ओर दिलाया गया है कि राज्य सरकारों को या तो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सहयोग में या स्वतंत्र रूप से कोयला-खानें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां । इस सम्मेलन से पूर्व भी, केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया था । इस बात को ध्यान में रखते

---

†मूल अंग्रेजी में

हुए कि भारत भर में फैले हुए बड़े उद्योगों के लिये कोयला कच्चा माल है और रेलवे जैसी अत्यावश्यक सेवा के लिये मुख्य ईंधन है, भारत सरकार का यह विचार है कि कोयले के विकास की योजना और कार्यक्रम राष्ट्रीय योजना होनी चाहिये। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार की यह नीति रही है कि जहां पर राज्य सरकारें कोयला निकालना चाहती हैं, वे केन्द्रीय सरकार के सहयोग से ऐसा कर सकती हैं परन्तु पृथक रूप से नहीं। इस में वित्त और जन-शक्ति दोनों में देश के सीमित संसाधनों के भली प्रकार उपयोग की व्यवस्था है। कुछ राज्यों में ऐसे सहयोग की उपयुक्त योजनायें पहले से लागू हैं।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के कर्मचारी

†४९६-क. **श्री राम गरीब** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये हाल ही के कार्यालय आदेश के अनुसार सभी अधीनस्थ लेखा सेवा और वे व्यक्ति जिन को अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा पास करने से स्थायी रूप से छूट दी गई है और वे व्यक्ति जिन का अपने कार्यालय में किसी भी स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार है, उन सब को एक प्रपत्र के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय (फ़ील्ड आफ़िसिज़) के लिये स्वीकृति देने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक की यह कार्यवाही इन कर्मचारियों को ,जिन को इस कार्यालय में इन के अग्रजों ने स्थायी किया था, अपने स्थान से हटाने में कहां तक उचित है ;

(ग) क्या सभी सम्बन्धित व्यक्तियों ने तब से अपनी स्वीकृत दे दी है और उन को क्रमशः क्षेत्रीय कार्यालय आवंटित कर दिये गये हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस नीति से क्षेत्रीय कार्यालय में अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर कम होंगे ;

(ङ) क्या यह सच है कि अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा पास करने से स्थायी रूप से छूट पाने वाले कुछ कर्मचारियों को कोई क्षेत्रीय कार्यालय आवंटित नहीं किया गया है ; और

(च) यदि उपरोक्त भाग (ङ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो वे व्यक्ति कौन हैं और नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के कार्यालय में उन को रखने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे व्यक्तियों को भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकार में किसी भी कार्यालय में अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यालय में कुछ निर्धारित शर्तों पर, स्थानान्तरित करने के लिये भारत के नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक सक्षम हैं।

(ग) जी हां। प्रश्न के भाग (च) के उत्तर में लिखित दो को छोड़ कर।

(घ) जी, नहीं। सार्वजनिक निगमों, सार्वजनिगक उपक्रमों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार आदि में प्रतिनियुक्ति के लिये इस विभाग पर अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों में अधीनस्थ लेखा सेवा कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर लगभग वही रहेंगे।

(ङ) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) सर्वश्री किशन चन्द और यू० एन० भट्टाचार्य। इस समय वे ५५ वर्ष की आयु प्राप्त कर सेवावधि में वृद्धि पर हैं और यदि उन्हें सेवा मे और रोकने योग्य न पाया गया तो वे वर्तमान वृद्धि के पूरा होने पर सेवा-निवृत हो जायेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

उद्योगों को कोयले के आवंटन में कटौती

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला नियंत्रक ने ३१ मार्च, १९६२ से कुछ उद्योगों के लिये कोयले के मासिक आवंटन में सारभूत कटौती किये जाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती से किन उद्योगों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) कटौती के क्या कारण हैं;

(घ) सम्बन्धित उद्योगों में उत्पादन और रोजगार में कितनी कटौती की संभावना है;

(ङ) क्या कटौती के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है; और

(च) उपरोक्त आवेदन के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वण सिंह) :** (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२]**।

स्थगन प्रस्ताव

भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कथित बलपूर्वक कब्जा

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री स० मो० बनर्जी से स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है कि पश्चिमी दीनाजपुर के हिल्ली पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के भारतीय प्रदेश पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया है।

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** २८ मार्च को पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान सीमान्त पर ११ मार्च और २३ मार्च १९६२ के बीच पश्चिम दीनाजपुर के हिल्ली पुलिस स्टेशन में कुछ घटनायें हुई हैं।

इस के अनुसार, ११ मार्च को अप्टेयर गांव के कुछ लोग भारतीय राज्य-क्षेत्र में मिट्टी खोद रहे थे जिस पर सीमान्त पार के घुसाटिया गांव के लोगों ने आपत्ति की। जब उन्हें बताया गया कि जहां खुदाई की जा रही है, वह भारतीय राज्य-क्षेत्र है तो वे पाकिस्तानी वापस चले गये। १४ मार्च को वे फिर आये। इस बार उन के साथ पूर्व पाकिस्तान राईफल्स के व्यक्ति भी थे। भारतीय पुलिस अधिकारी के मौके पर पहुंचने पर वे फिर वापस चले गये। यह मामला पश्चिम दीनाजपुर के जिलाधीश की जानकारी में लाया गया और जांच होने तक के लिये मिट्टी की खुदाई रोक दी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

१८ मार्च को पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने पाकिस्तानी राज्य-क्षेत्र में सीमान्त के निकट खाइयां खोदनी शुरू कीं और १९ मार्च को पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के लगभग २०० सैनिक मौके पर पहुंचे। १९ मार्च को मध्याह्न में उस क्षेत्र के निकट कुछ जीपें भी चलती देखी गईं। उस क्षेत्र में पाकिस्तानियों को फोटो लेते भी देखा गया परन्तु १९ मार्च को सीमान्त के पार पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स की कार्यवाही दिखाई देने के बावजूद कोई वास्तविक घटना नहीं हुई।

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के तार ने बिल्कुल गलत जानकारी दी है, जबकि तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तानियों ने पहले भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश किया था। पूर्वी पाकिस्तान के विंग कमांडर को उत्तर दिया गया था कि २३ मार्च को एक बैठक की जा सकती है। कलकत्ता से नवीनतम जानकारी के अनुसार २५ और २६ मार्च को कोई पूर्वी पाकिस्तानी अधिकारी उपस्थित नहीं हुए।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में पूर्व पाकिस्तान सरकार से ज़ोरदार विरोध किया है। उन से तुरन्त जांच कराने, सीमान्त के आर पार खोदी गई खाइयों को भरने और सीमान्त पर शान्ति सुनिश्चित करने के लिये पाकिस्तानी सनिकों को हटा लेने की प्रार्थना भी की गई थी। उन विरोधों के सम्बन्ध में पूर्वी पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

परन्तु उस क्षेत्र से किसी भी भारतीय राज्य-क्षेत्र पर पूर्वी पाकिस्तान के राष्ट्रजनों अथवा पूर्व पाकिस्तान राईफल्स के सैनिकों ने कब्ज़ा नहीं किया है, यह बात आज प्रातः कलकत्ता से टेलीफोन पर मालूम की गई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): विरोध स्वयं भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिये था। यह मामला पूर्णतः पश्चिम बंगाल सरकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानियों को वापस भेज देने के बजाय पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिये था।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली): विरोध पत्रों को भेजना ही पर्याप्त नहीं था। अतिक्रमण करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिये था अथवा उनके विरुद्ध बदले की कार्यवाही की जानी चाहिये थी।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मैं आशा करता हूं कि ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध पूर्वोपाय किये गये हैं, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त का मामला है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: ऐसे मामलों में जांच सामान्यतः निर्धारित सामान्य नियमों के अनुसार प्रायः दोनो सरकारों के बीच वार्ता द्वारा की जाती है। सीमान्त की सुरक्षा के लिए सब उपाय किये जाते हैं। प्रारम्भिक अवस्था पर जांच पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई थी।

†**श्री त्यागी**: जब हम ने देखा था कि पाकिस्तानी अपने क्षेत्र में ही सीमान्त के पास खाइयां खोद रहे हैं, तो क्या हम ने अपने क्षेत्र में पूर्वोपाय कर लिये थे?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: उस क्षेत्र में एक सेना का दस्ता है।

†**अध्यक्ष महोदय**: अब कोई खतरा नहीं है। जहां तक सीमान्त का सम्बन्ध है, इस की सुरक्षा के सब उपाय किये गये हैं। मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

निवारक निरोध अधिनियम १९५० में कार्यान्विति सम्बन्धी आंकड़े

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से मैं ३० सितम्बर, १९६० से ३० सितम्बर, १९६१ तक की अवधि के लिये निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की कार्यान्विति सम्बन्धी आंकड़ों की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३६२३/६२ ।]**

चौदहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

†**श्री दातार** : श्री करमर की ओर से मैं फरवरी, १९६१ में नई दिल्ली में हुई चौदहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या ऐल० टी० ३६२४।६२]।**

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक

राय

†**विधि उपमंत्री (श्री हाजरनवीस)** : मैं हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक के बारे में पत्र संख्या २ सभा पटल पर रखता हूं, जिसे कि २४ फरवरी, १९६१ को सभा के आदेश द्वारा उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकलपों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सोलहवें अधिवेशन में हुई तिरानवेवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** (हिसार): मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सोलहवें अधिवेशन में हुई तेईसवीं बठक का कार्यवाही सारांश पटल पर रखता हूं।

दूसरा प्रतिवेदन

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

एक सौ तिरेपनवां, एक सौ सड़सठवां और एक सौ अड़सठवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(१) दण्डकारण्य परियोजना के बारे में प्राक्कलन समिति की सत्तानवेवीं रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित पुनर्वास मंत्रालय के बारे में एक-सौ-तिरेपनवां प्रतिवेदन ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के बारे में एक-सौ-सड़सठवां प्रतिवेदन ।

(३) परिवहन तथा संचार मंत्रालय (संचार तथा असैनिक उड्डयन विभाग)—भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग के बारे में एक-सौ-अड़सठवां प्रतिवेदन ।

लोक लेखा समिति

तेंतालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम्) : मैं विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें) १९५९–६० और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६१ के बारे में लोक लेखा समिति का तेंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री द्वारकानाथ तिवारी ने १२ मार्च, १९६२ से लोक-सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है ।

विमान निगम (संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन २८ मार्च, १९६२ को श्री मुहीउद्दीन द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरंभ करेगा अर्थात:

"कि विमान निगम, अधिनियम १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये"

†**श्री प्रभात कार**: (हुगली) : इस संशोधन विधेयक से सदस्यों के मन में यह धारणा उत्पन्न होती है कि यह १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लंघन करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार] [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उस संकल्प में कहा गया है कि विमान परिवहन को केन्द्रीय सरकार के एकाधिकार के रूप में विकसित किया जायेगा। किन्तु इस संशोधन के द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि कुछ गैर-अनुसूचित कम्पनियों को वे लाइनें दे दी जायें, जो निगम नहीं चला रहा है।

उपमंत्री ने कहा है कि गैर-अनुसूचित कम्पनियां कुछ लाइनें पहले ही चला रहीं है और उन्हें मंजूरी प्राप्त है और अब उन्हें इस विधेयक के द्वारा अनुसूचित कम्पनियों की किस्म के अन्तर्गत लाया जायेगा। और इस प्रकार उन पर नियन्त्रण रहेगा। मैं नहीं समझ सका कि ऐसा करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वे लाइनें प्रत्यक्षतया आई०ए०सी० के अधीन लाई जा सकती हैं।

निजी कम्पनियां कैसे काम करती हैं, यह सब को मालूम है। आई० ए० सी० को डकोटा विमान न चलाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि उन के पास फालतू पुर्जे नहीं हैं। किन्तु गैर-अनुसूचित कम्पनियां इन को चलाती रहेंगी और उन्हें अनुसूचित सेवाएं बना कर यात्रियों को खतरे में डाला जायेगा। यह आवश्यक है कि रेलवे परिवहन की तरह, विमान परिवहन भी सरकार के हाथ में रहे।

†**उपाध्य महोदय** : माननीय सदस्य को डर है कि निजी कम्पनियां वही डकोटा विमान चलायेंगी, जिन्हें सरकार ने रद्दी समझकर छोड़ दिया है। क्या सरकार ने व्यवस्था कर ली है कि वे ऐसे विमान न चलायें ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** कुछ डकोटा विमान बेचे जा चुके हैं किन्तु निजी कम्पनियों को नहीं। मैं भविष्य के बारे में नहीं कह सकता। किन्तु जहां तक विमानों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, उत्तरदायित्व सरकार पर है।

†**श्री प्रभात कार** : दूसरी बात यह है कि अनुसूचित सेवा का क्या अभिप्राय है ? गैर-अनुसूचित सेवाओं को अनुसूचित बनाने का अर्थ यह होगा कि उन में और आई० ए० सी० में प्रतिस्पर्धा होगी और इससे निगम को घाटा रहेगा। विकास का अर्थ यह होना चाहिये कि गैर-अनुसूचित कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाये या उन्हें निगम के अधीन लाया जाये।

निजी कम्पनियों के काम के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, वे नियमों का पालन नहीं करते, दुर्घटनाएं होती है, कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। मैं निवेदन करूंगा कि इस महत्व-पूर्ण विवादास्पद विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये, विशेषकर इस छोटे और अन्तिम अधिवेशन में। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह इसे वापस ले लें।

†**श्री साधन गुप्तः** (कलकत्ता–पश्चिम) : यह एक विवादास्पद विधेयक है अतः इसे संसद सत्र के अंत में इतनी शीघ्रता से पारित करना उचित नहीं है।

विधेयक में कोई नई बात नहीं है। अभी तक जो काम बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से किया जा रह था इस विधेयक के द्वारा उसे कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया है। इस प्रकार नौ वर्ष से जो भ्रांति चली आ रही थी, वह इसने दूर कर दी है। धारा १८ में यह बात स्पष्ट कही गयी है कि देश में अनुसूचित विमान परिवहन सेवा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया के द्वारा ही कायम की जा सकती है। तथा किसी समवाय या व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक उड्डयन विभाग गैर सरकारी संचालक के प्रति इतना उदार रहा है कि उसने उन्हें इस सभा द्वारा १९५३ में पारित अधिनियम का जान बूझकर उल्लंघन करने के लिये प्रोत्साहित किया है। कानून का उल्लंघन करके परमिट जारी किये गये हैं।

अनुसूचित मार्गों पर अनेक दुर्घटनायें हुई हैं। यात्रा की सुरक्षा केवल इस बात से सुनिश्चित नहीं होती कि सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। भारतीय विमान सेवा निगम का कार्य अधिक अच्छा रहा है। उसमें यात्रा की सुरक्षा अधिक है।

इस विधयक से समाजवादी समाज के आदर्श खत्म हो जाते हैं।

अच्छा हो कि सरकार सभा के विभिन्न दलों के विरोध को देखते हुए इस विधेयक को वापस ले ले।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय,इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है और सभी वक्ताओं ने ,जिन्होंने इस में हिस्सा लिया है, इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन का जिक्र किया है। ऐसा लगता है कि अब सन् १९५६ के इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन को बिना सरकार के पूरे विचार के, बिना इस सदन की स्वीकृति के तोड़ने का एक षड़यन्त्र रच लिया गया है। और यह बिल उसे तोड़ने की शुरूआत है। इस के बाद कुछ दूसरे प्रभाव भी काम कर रहे हैं मुल्क में, और वे बिजली पर चलेंगे, कोयले पर चलेंगे, स्टील पर चलेंगे, और शायद उन दूसरे क्षेत्रों पर भी जिन को इंडस्ट्रियल पलिसी रेजोल्यूशन के कटेगरी 'ए' में कहा गया है, इस का हमला होगा और सरकार से उस में जो यह कहा गया था कि वह इन चीजों को सिर्फ राजकीय अथवा पब्लिक सेक्टर में ही रक्खे वह उन को कायम नहीं रख सकेगी। मेरा निवेदन है कि सन् १९५६ के इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन के रहते क्या कोई भी इस तरह का विधेयक इस सदन में लाया जा सकता है? इस इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन में यह कहा गया है :

पहिले वर्ष में वे उद्योग आयेंगे जिनके भावी विकास का दायित्व केवल राज्य पर है। दूसरे वर्ग में वे उद्योग आते हैं जिनका उत्तरोत्तर राज्य आपने अधिकार में लेगी।

इस के बाद थर्ड कैटेगरी है। ८वां पैराग्राफ कहता है :

अनुसूची (क) में दिये गये उद्योगों के सारे नये एकक, केवल उन संस्थानोंको छोड़कर जिन्हें गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा चुका है, सरकार द्वारा स्थापित किये जायेंगे, इस में एअर ट्रांसपोर्ट आता है। इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन कहता है :

रेलवे, विभाग परिवहन, शस्त्रास्त्र निर्माण उद्योग और अणुशक्ति का उत्पादन का एकाधिकार केन्द्रीय सरकार के ही अधीन रहेगा।

इसके बाद यह कहता है कि एअर ट्रान्सपोर्ट के बारे में जो यह थोड़ी सी ढील दी गई है वह दी नहीं जा सकती। जब इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन के पैराग्राफ़ ८ में उक्त बात साफ कही है।

इस के बाद इस तरह का बिल लाना जिस में कि आप प्राइवेट आपरेटर्स को एअर ट्रान्सपोर्ट का काम आगे देने की व्यवस्था कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन के निश्चयों के खिलाफ है, उसके निर्णयों के खिलाफ है, उस की भावनाओं के खिलाफ है। सन् १९५६ के इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन के रहते हुए इस तरह का बिल इस सदन में नहीं लाया जा सकता है। हो यह रहा है कि जब यह सदन भंग होने जा रहा है तब यह बिल लाया जा रहा है। इस के लिये सरकार से कहा जाय .....

उपाध्यक्ष महोदय : शायद गवर्नमेंट इस में सहारा ले कि हम डेवेलपमेंट नहीं कर रहे हैं । सर्विस चल रही है, उसी को इस में ले रहे हैं। यह आसरा है उस के लिये, हम डेवेलपमेंट नहीं कर रहे हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : आप कहते हैं कि गवर्नमेंट शायद सहारा ले । इसके बाद अगर आप आगे पढ़ेंगे, जो कि मैं ने पहले पढ़ा और अब पढ़ रहा हूं, तो इस संबंध में यह भी कहा गया है कि जब गैर सरकारी उपक्रमों से सहयोग करना आवश्यक होगा तो ऐसा अधिक अंशों में पूंजी लगाकर, अथवा इस प्रकार किया जायेगा जिससे कि नीतियों पर निर्देश और नियंत्रण सरकार का ही रहे। लेकिन यह सारा जो कुछहै वह है कटेगरी 'ए' में दूसरी जो इंडस्ट्रीज आती हैं उन के बारे में । इस पैराग्राफ में जो कहा है इन चीजों के लिये यथा रेलवे, विमान परिवहन,युद्धास्त्र व अस्त्रों के निर्माण के बारे में यह लागू हो ही नहीं सकता । हमारे इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन ने यह बात सब कुछ सोच समझ कर ही कही गई है । अब इस तरह की व्यवस्था है तो मैं नहीं समझता कि सरकार को इतनी जल्दी क्यों है । कहा जा सकता है कि अगर हम इस समय इस को न भी करें तो पन्द्रह दिन बाद कर लेंगे । लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर इस तरह की बात को करने की जल्दी क्या है, यह बात सदन के सामने स्पष्ट होनी चाहिये । क्या यह बात सही नहीं है कि सरकार में कुछ बिजिनेसमेन घुस गये हैं और वे ही लोग जो इन कामों को करते हैं मंत्री बने हुए हैं और अपने इस प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार में इस्तेमाल करना चाहते हैं और जो केन्द्रीय सरकार के अपने निश्चय पहले के हैं उन को वे बदलवाना चाहते हैं अगर इस तरह की बात शुरू होती है तो यह देश के लिये बहुत खतरनाक है । हिन्दुस्तान की उस नीति के लिये जो हिन्दुस्तान की इसी प्रकार ने कायम की है, बहुत खतरनाक है। सोशलिस्ट पैटर्न का प्रस्ताव संसद् से पास कराया हुआ है । जब तक सरकार उस को पुन: संसद् में नहीं लाती है, उस में परिवर्तन नहीं कराती है, तब तक इस तरह का कोई भी बिल इस सदन में नहीं आना चाहिये ।

जिस कम्पनी की चर्चा पहले इस सदन में हो चुकी है, मैं समझता हूं कि उसी के सम्बन्ध में इस बिल में यह विशेष व्यवस्था की जा रही है । जो उस कम्पनी के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा की गई थी तो मंत्री महोदय का कहा था कि कोई खास बात नहीं है । लेकिन अब कहा जायेगा कि जो अपना कारपोरेशन है वह इस सर्विस को चला नहीं सकता । यह हमेशा नहीं कहा जो इस का क्या ठिकाना है ? क्या आगे यह नहीं कहा जायेगा कि हम कोयला अभी नहीं ढो सकते । कोयला इस लिये नहीं ढो सकते कि वैगन हमारे नहीं हैं इस लिये अगर कोई बड़ा सेठ आता है और वह वैगन बनाता है और रेलवे लाइन बनाता है तो रेलवे भी उसे दे दी जायेगी । क्या यह नहीं कहा जायेगा कि कोयले का नया उत्पादन जो करना चाहे हम उस नये आदमी को उसे दे देंगे । क्यों दे देंगे ? क्योंकि हमारे पास साधन नहीं हैं । इसी तरह से स्टील आइरन सभी के लिये यह बात कही जा सकती है । इस लिये अगर यह होता है तो एक नया हमला है हिन्दुस्तान की सरकार द्वारा और देश के संसद् द्वारा पास किये गये एडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन के खिलाफ जो कि उन्होंने सन् १९५६ में पास किया है, और इस को आसानी से पास नहीं किया जाना चाहिये । यहां पर एक नये सिद्धांत की रचना की जा रही है, एक नया रासता बनाया जा रहा है, नया दरवाजा खोला जा रहा है । हम नें जो एक रास्ता बनाया हुआ था उस को गिरा कर नई जमीन पर चलने के लिये नई बात की जा रही है यहां पर यह सवाल नहीं है कि आप किसी को आपरेशन की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की संस्थाओं को मदद देकर क्या आप अपने पालिसी रेजोल्यूशन को ताक पर नहीं रखते, उसकी भावनाओं का विनाश नहीं करते ? हम आगे के लिये भी रास्ता खोल जायेंगे और दरवाजा खोल जायेंगे । इस से हम देखते हैं कि आज मुल्क में किस तरह की हवा पैदा की जा रही है ।

अभी अभी हमारे विज्ञान भवन में एक बड़ी भारी संस्था ने, पैसे वाली संस्था ने अपना सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में इस तरह की मांग की गई कि कोयले के उत्पादन की बात उत्पादन पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में दी जानी चाहिये, इस में ज्यादा रिजिडिटी नहीं होनी चाहिये। प्रगमटिक ऐप्रोच आदि की बातें कही जाती हैं। मुझे लगता है कि सरकार में प्रगमटिक ऐप्रोच बहुत ज्यादा घर करती जा रही है। अगर यह हो रहा है तो खुले दिल से सरकार मुल्क के सामने आये और कहे कि जो इंडिस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन हम ने पास किया था उस में कुछ परिवर्तन की जरूरत पड़ गई है। अब संशोधन लाये कि पुराना जो सोशलिज्म है वह सोशलिज्म नहीं है, सोशलिज्म है रंगा साहब का मसानी साहब का जोकि एक नई और स्वतंत्र पालिसी की तरफ जाने वाला है। इसलिये हम उस में कुछ संशोधन चाहते हैं। हम अब कोई सोशलिस्ट पैटर्न की बात नहीं करना चाहते। हम स्वतंत्र पालिसी की बात करना चाहते हैं। अगर इस तरह का कोई इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन आप पास कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। अपनी पुरानी पालिसी को तुरन्त बदल लें तो आप सारे का सारा काम किसी को भी दे दें। कोयले का काम किसी को दे दें, रेलों का सारा काम किसी को दे दें, उस में कोई ऐतराज की बात नहीं होगी। लेकिन इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन के रहते हुए इस तरह का संशोधन लाना उचित नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार में यह साहस होना चाहिये कि पहले इस इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूलन में इस तरह का संशोधन कराये और उस के बाद ही इस प्रकार का बिल लाये।

मैं एक बात आप से निवेदन करना चाहूंगा। यह इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन इस सदन ने पास किया था। जब सदन इस तरह का रिजोल्यूशन पास करता है तो क्या उस रिजोल्यूशन की भावनाओं के खिलाफ सरकार को कोई कानून बनाने का हक है? मैं समझता हूं कि आप को व्यवस्था देनी चाहिये कि इस पालिसी रिजोल्यूशन के रहते इस तरह का कोई कानून सदन में लाया ही नहीं जा सकता। मिनिस्टर महोदय से अपील की गई है और मैं भी अपनी कमजोर आवाज में कहना चाहूंगा कि यह अच्छा होगा कि सरकार इस बिल को वापस ले ले। लेकिन अगर मंत्री महोदय ऐसा करना उचित नहीं समझते, जिस के बहुत से कारण हो सकते हैं, उन के हाथ बंधे हो सकते हैं, तो मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप व्यवस्था दें कि क्या जब इस सदन ने एक प्रस्ताव पास किया हुआ है और एक निर्णय दिया हुआ है, क्या उस निर्णय के खिलाफ सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसी सेशन में कानून नहीं बदला जा सकता, बाद में तो हक है।

श्री ब्रज राज सिंह : उस रिजोल्यूशन को बिना बदले ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिजोल्यूशन भी इसी हाउस का होगा।

श्री ब्रज राज सिंह : खैर जो आप उचित समझें। म यह समझता था कि शायद आप सरकार के हाथों को बांध सकते हैं कि जब तक वह इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन में संशोधन नहीं कर देती तब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन सकेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम) : गवर्नमेंट कहती है कि कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

श्री ब्रज राज सिंह : परिवर्तन साफ हो रहा है और उसमें गवर्नमेंट इन्कार नहीं कर सकती। पैराग्राफ ८ में कटेगरी ए का जिक्र किया गया है और उसमें कहा गया है कि रेलवे, विमान परिवहन, शस्त्रास्त्र व अणुशक्ति उत्पादन पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार रहेगा। मैं और कुछ न कहते हुए यही चाहूंगा कि इस अन्तिम वक्त भी सरकार को बुद्धि पैदा हो और वह कोई ऐसा काम न करे जो कहा जाय कि उन्हों ने ऐसे प्रभावों की वजह से किया जो उचित प्रभाव नहीं थे।

†**श्री बसुमतारी** (गोलपाड़ा—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं इस संशोधन का पूर्णतः स्वागत करता हूं। वस्तुतः इस का कारण जनता की मांग को पूरा करना है। कारण यह है कि देश के कई भागों, उदाहरणार्थ आसाम में रेलवें लाइनें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और वहां परिवहन की मांग को पूरा करने के लिये विमान ही एक मात्र साधन है तथापि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन उन की यह मांग पूरी नहीं कर सका है। अतः यह भारतीय विमान सेवा निगम को नुकसान पहुंचा कर गैर सरकारी संचालकों को प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं है ; वरन् केवल जनता की मांग पूरी करने का प्रश्न है। नेफा जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन में भारतीय विमान सेवा निगम विमान सेवा चलाने में असमर्थ है फिर भी गैर सरकारी संचालक वहां बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

भारतीय विमान सेवा निगम को समय की पाबंदी का पालन करना चाहिये। जन साधारण के प्रति निगम के अधिकारियों का रवैया अच्छा होना चाहिये।

भारतीय विमान सेवा निगम में काम करने वाले कर्मचारियों को आवास की सुविधा दी जानी चाहिये तथा उन्हें समय से अधिक काम करने के लिये भी भत्ता दिया जाना चाहिये।

†**श्री महीउद्दीन** : इस विधेयक पर वाद विवाद काफी दिलचस्प रहा है तथापि जो तर्क दिये गये हैं वे इस सभा में कई बार दुहराये गये हैं। मैं सब से पहले इस आरोप का उत्तर दूंगा कि हम औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पक्ष तथा विपक्ष के कई सदस्यों का यह मत है कि हम सिद्धान्ततः या शब्दशः इस संकल्प का विरोध कर रहे हैं।

१९५३ में जब विमान निगम अधिनियम पारित किया गया था तो उस समय कुछ विमान सेवाओं को जान बूझ कर इस अधिनियम की सीमा से परे रखा गया था। जब उस समय यह प्रश्न पूछा गया था तो तत्कालीन मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि देश के पूर्वी भाग की कुछ विशेष अवस्थाओं को देखते हुए इंडियन एयर लाइन्स के लिये उन का राष्ट्रीयकरण करना संभव नहीं होगा। यद्यपि उस समय यह आशा की गई थी कि यथा समय उन्हें भी राष्ट्रीयकरण कर लिया जायेगा तथापि क्योंकि डकोटा विमानों के स्थान पर टरबो-प्रोप इंजनों वाले आधुनिक प्रकार के विमान खरीद सकना संभव नहीं हुआ अतः उन का राष्ट्रीयकरण अभी तक नहीं किया जा सका।

अतः हम या तो इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को यह निदेश दें कि वह गैर सरकारी संचालक को ५० से ६० लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देवें, जिस से कि वे उन डकोटाओं को प्राप्त कर सकें जिन का वे उपयोग कर रहे हैं। और अनुसूचित उड़ानें बिल्कुल बन्द करें। इस का यह परिणाम होगा कि निगम का घाटा और भी अधिक बढ़ जायेगा। और यदि वे उन डकोटाओं को प्राप्त करते हैं तो वे ऐसे डकोटाओं को प्राप्त करते हैं जो तीन या चार वर्ष से अधिक उपयोग करने के योग्य नहीं हैं। अतः हमारे समक्ष प्रश्न यह था कि या तो हम अनुसूचित संचालकों को बिल्कुल रोक देवें भले ही इस से जनता को असुविधा हो अथवा उन्हें जारी रहने देवें।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के व्यय इस प्रकार हैं कि जब तक वे अधिक घाटा उठाने को तयार न हों और करदाता के ऊपर और अधिक भार न डाला जाये हम उन विमान सेवाओं को नहीं ले सकते हैं।

मैं श्री साधन गुप्त से इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक द्वारा कोई नई बात नहीं की गयी है। केवल यह उपबन्ध किया गया है कि अननुसूचित नाम से जो सेवायें चल रही हैं उन्हें अनुसूचित मान लिया जाये। वस्तुतः सच्चाई यह है कि उत्तरी और पूर्वी भाग में जो सेवायें इस समय चल रही

†मूल अंग्रेजी में

हैं वे अल्पाधिक अनुसूचित ही हैं। भले ही वे उस के समय में परिवर्तन कर यह दिखाने का प्रयत्न किया जाता है कि वे अनुसूचित नहीं हैं। तथापि यह नीति सही नहीं है।

माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय के इस उत्तर का भी जिक्र किया कि निगम समस्त सेवायें लेने के योग्य नहीं है अतः उन सेवाओं को कायम रहने दिया गया है। यह एक स्पष्ट उत्तर था। अब हम यह कह रहे हैं कि जिन सेवाओं को अननुसूचित कहा जाना था उन्हें अनुसूचित करार दिया जाये। यदि सेवाओं को कायम रहना है तो उन्हें कुछ नियमों के अधीन ही चलना होगा।

मंत्री महोदय ने इस अधिनियम के पारित करते समय भी यह स्पष्ट कर दिया था कि गैर-सरकारी संचालक अभी कुछ समय तक रहेंगे। औद्योगिक नीति संकल्प में भी यह स्पष्ट कहा गया था कि गैर सरकारी संचालकों को रहने दिया जायेगा तथापि जहां तक विमान परिवहन का तात्पर्य है उस का विकास किया जायेगा। तथापि हमारे पास उस के साधन होने चाहियें। यद्यपि हम टरबो-प्राप-इंजिन वाले जहाज़ों को प्राप्त नहीं कर सके हैं तथापि वाइकाउन्ट विमान आ गये हैं और हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में भारत में निर्मित विमान हमें उपलब्ध हो जायेंगे। तथापि अभी तक उन क्षेत्रों में जहां कि निगम के विमान चल रहे हैं वहां निगम के विमान को चला सकना संभव नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा विचार है कि इस से निगम के घाटे में और भी वृद्धि हो जायेगी।

†**श्री प्रभात कार** : आप औद्योगिक नीति संकल्प का उल्लेख कर रहे थे। पहले उसी की व्याख्या कीजिये।

†**श्री मुहीउद्दीन** : औद्योगिक नीति संकल्प की बात मैं बता चुका हूं। मैं ने कहा है कि उस का विकास किया जायेगा।

श्री ब्रजराज सिंह और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि संकल्प को संशोधित नहीं किया जाता तो यह उसका उल्लंघन होगा। माननीय मंत्री ने इस के सम्बन्ध में गत वर्ष एक भाषण दिया था। उस में निजी संचालकों के बारे में बताया गया था। विरोधी दल के माननीय सदस्य उस पर चर्चा कर सकते थे और उस नीति सम्बन्धी वक्तव्य में दिये गये सुझाव को ठुकरा सकते थे। उस वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया था कि गैर-अनुसूचित संचालकों के प्रति हमारी नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन करने की बात नहीं सोची जा रही है। उन को इसी ढंग से काम करने दिया जायेगा और विस्तार की भी अनुमति दी जायेगी। इसलिये सभा के सामने यह पहली बार नहीं आ रहा है।

वक्तव्य में ताया गया था कि इस प्रश्न पर दो प्रकार की विचारधारायें हैं। एक तो यह कि सभी गैर-अनुसूचित संचालकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाना चाहिये। दूसरी यह कि निजी संचालकों को भी प्रोत्साहित करना चाहिये।

सरकार ने इस मामले पर सावधानी से विचार किया है और यही निष्कर्ष निकाला है कि अभी इस समय गैर-अनुसूचित संचालकों की ओर हमारी बुनियादी नीति में किसी भी परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है। केवल चार ही गैर अनुसूचित संचालक हैं जो वाणिज्यिक सेवाओं के लिये डकोटा विमान चला रहे हैं। उनकी कार्यवाहियां अभी बंगाल आसाम क्षेत्र तक ही सीमित हैं। चूंकि निजी संचालकों को केवल उन्हीं मार्गों पर विमान सेवायें चालू करने की अनुमति दी जाती हैं जिन पर राष्ट्रीयकृत निगम सेवा विमान नहीं चलाती, इसलिये वे देश की परिवहन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहीउद्दीन]

व्यवस्था में उपयोगी योगदान कर रही हैं। और, उस वक्तव्य का अन्तिम वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। उस में कहा गया था कि सरकार की दृष्टि में इन निजी संचालकों को विमान चलाने की अनुमति देना केवल उचित ही नहीं, बल्कि विमान मार्गों के विकास के लिये उपयोगी भी है। उसका एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सदस्यों की आपत्ति यह है कि जिन मार्गों पर आई० ए० सी० के विमान चलते हैं, उन पर निजी संचालकों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

†**श्री मुहीउद्दीन** : ऐसे मार्गों पर निजी संचालकों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड २ में कहा गया है कि किसी भी अनुसूचित विमान परिवहन सेवा के लिये कुछ शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।

†**श्री मुहीउद्दीन**: मंशा यही है कि अभी निजी संचालक जिन मार्गों पर विमान संचालन कर रहे हैं, उनको कुछ अधिक कड़ी शर्तों पर चालू रहने दिया जायेगा, यदि वे अनुमति चाहेंगे। और यदि भविष्य में कभी निगम उनको अपने अधिकार में करना चाहेगा तो वे सेवायें उसके अधिकार में चली जायेंगी। वर्तमान अनुज्ञप्ति के अनुसार निजी संचालक किसी भी उस मार्ग पर विमान सेवा चालू कर सकते हैं जिस पर निगम की सेवा न हो। परन्तु संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत, निजी संचालक अनुमति लिये बिना कोई भी सेवा चालू नहीं कर सकेंगे।

†**श्री प्रभात कार** : माननीय उपमंत्री का कहना है कि निजी संचालकों सम्बन्धी बुनियादी नीति औद्योगिक नीति संकल्प के प्रतिकूल नहीं पड़ती। बुनियादी सिद्धान्त तो यह है कि निजी संचालकों का कार्य क्षेत्र और विस्तृत नहीं होने दिया जायेगा। परन्तु खण्ड २ की इस व्यवस्था के द्वारा उसका उल्लंघन किया जा रहा है। खण्ड २ के अनुसार वे किसी भी ऐसे मार्ग पर विमान संचालन की अनुमति मांग सकते हैं, जिस पर निगम के अपने विमान न चलते हों।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : माननीय मंत्री आज कह रहे हैं कि इस संशोधन द्वारा निजी संचालकों को नये मार्गों के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी। लेकिन जब संसद् द्वारा सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान की जा रही है, तो सरकार आगे चलकर उसका उपयोग भी तो कर सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लेकिन इस में व्यवस्था है कि निजी संचालक केवल उन मार्गों पर सेवायें चालू कर सकेंगे जिन पर निगम की अपनी सेवा मौजूद न हो।

†**श्री साधन गुप्त** : प्रश्न यह है कि क्या निजी संचालकों को नये मार्गों पर विमान सेवायें चालू करने दी जायेंगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक बात तो यह कि जिन मार्गों पर निगम की विमान सेवायें नहीं हैं, उन पर निजी संचालकों को अनुमति दी जा सकती है।

और दूसरी बात यह कि क्या किसी बिलकुल नई सेवा को चालू करने की अनुमति दी जा सकती है।

इस संशोधन द्वारा सरकार को उसकी शक्ति दी जा रही है। क्या यह सही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुहीउद्दीन : मैं ने अभी बताया है कि औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन, सरकार का इरादा यही है कि विमान परिवहन को सरकारी एकाधिकार के रूप में विकसित किया जाये। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि हमारे पास आर्थिक रूप से लाभप्रद विमान पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, हमें इन चार या पांच निजी कम्पनियों को उन क्षेत्रों में काम करते रहने की अनुमति देनी ही होगी, जहां उनकी आवश्यकता है।

जहां तक मेरा अनुभव है, यदि कोई निजी कम्पनी किसी विशेष लाइन पर सेवा शुरू करना चाहे और यह मुख्यतया पूर्वी खण्ड में होता है, तो हम आई० ए० सी० से पूछते हैं कि क्या वह इसे चला सकेगा, यदि वह कहे कि नहीं, तो वह सेवा निजी कम्पनी को दी जाती है। यदि उसको न चलाने दिया जाये, तो एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और लोगों को असुविधा होगी।

मान लीजिये, पूर्वी खंड में एक अनुसूचित सेवा एक विशेष स्थान तक जाती है। निजी कम्पनी ने सरकारी हवाई अड्डे से पांच या दस मील की दूरी तक एक निजी अड्डे का प्रबन्ध कर रखा है। अब उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जायेगा।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार की मंजूरी के बिना ऐसे निजी हवाई अड्डे बनाये जा सकते हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : नियमों के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा प्रविधिक जांच किये जाने पर, किसी निजी अड्डे को विशेष प्रकार के विमानों के लिये प्रमाणित कर दिया जाता है।

जैसा कि मैं ने कहा है, पूर्वी खंड में संचार की बहुत गम्भीर कठिनाइयां हैं। हमारे सामने तीन रास्ते हैं। हम आई० ए० सी० को भारी मूल्य पर १५ या १६ दकोटा खरीदने और अलाभप्रद लाइनें चलाने पर मजबूर कर सकते हैं। दूसरा यह है कि निजी कम्पनियों को सेवाएं चलाने से रोका जाये। तीसरा यह है कि सेवाओं को नियमित बनाया जाये, जैसा कि हम कर रहे हैं। निजी कम्पनियां अनुसूचित सेवाएं तब तक चलायेंगी जब तक आई० ए० सी० उन को अपने हाथ में नहीं ले लेती।

श्री माथुर और श्री गुप्त ने कल पूछा था कि यह कैसे हो सकता है कि निजी कम्पनियां डकोटों को लाभ पर चलाती हैं किन्तु आई० ए० सी० घाटे पर।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

इस के उत्तर में मैं आई० ए० सी० और निजी कम्पनियों के संचालन व्यय के आंकड़े देता हूं। आई० ए० सी० का एक डकोटा चलाने का व्यय ८२० रुपये प्रति घंटा है। निजी कम्पनी द्वारा आसाम में डकोटा चलाने का व्यय प्रति घंटा ५३० रुपये है। मैं यह नहीं कह सकता कि इतना अन्तर कैसे है।

श्री माथुर ने पूछा था कि आई० ए० सी० अलाभप्रद क्षेत्रों को अपने हाथ में ले कर उन का घाटा लाभ प्रद लाइनों के लाभ से क्यों पूरा नहीं कर लेता ? मैं इन लाइनों के बारे में कुछ आंकड़े दूंगा। जिन ६४ मार्गों पर आई० ए० सी० की सेवायें चालू हैं, १८ मार्ग पूर्णतः लाभप्रद हैं और अन्य समस्त ४६ मार्ग जिन पर डकोटा विमान चलते हैं अलाभप्रद हैं। इन मार्गों पर १४५ लाख रुपये का घाटा है। १६ मार्गों पर प्रत्यक्ष परिवर्तनीय व्यय भी पूरा नहीं हो पाता।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहीउद्दीन]

लाभप्रद मार्गों पर १३२ लाख रुपये का मुनाफ़ा हुआ था निजी कम्पनियों का संचालन व्यय इसलिए कम है क्योंकि उनकी ऊपरी मदें कम होती हैं और वे अपने कर्मचारियों को भी कम वेतन देती हैं। आई० ए० सी० में वेतन ज्यादा है। किन्तु जहां तक डकोटा की मरम्मत का सम्बन्ध है, नियमों का पूरा पालन किया जाता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : कलिंग एयरलाइन्स ने नियमों का पालन नहीं किया। एक समिति नियुक्त की गई थी किन्तु उसकी सिफारिशें भी क्रियान्वित नहीं की गईं, क्योंकि उस का मालिक एक बड़ा मुख्य मंत्री है।

†**श्री मुहीउद्दीन** : उन्हों ने सरकार पर एक गम्भीर आरोप लगाया है। मैं इस का बाद में उत्तर दूंगा।

मैं ने औद्योगिक नीति संकल्प की व्याख्या कर दी है और यह भी बता दिया है कि आई० ए० सी० अलाभप्रद मार्गों को क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसका व्यय बढ़ जायेगा। मुझे यह भी आशा है कि उपयुक्त विमान उपलब्ध हो जायेंगे और आई० ए० सी० न केवल पूर्वी खंड में बल्कि अन्य मार्गों पर भी सेवायें चला सकेगा।

मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि आई० ए० सी० का घाटा चार वर्ष पूर्व एक करोड़ रुपये था। अब ४ से ६ लाख रुपये तक का लाभ होता है। किन्तु यह वास्तविक लाभ नहीं है क्योंकि निगम को सरकार को सूद देना पड़ता है। १९६६ तक यह सूद सरकार ने माफ़ कर रखा है। जहां तक विमान परिवहन बोर्ड स्थापित करने का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा इरादा विमान उपलब्ध होने पर निजी कम्पनियां भी अपने हाथ में लेने का है।

जहां तक विमान परिवहन परिषद् का सम्बन्ध है इस के लिये अब कोई काम नहीं रहा है। इसलिए एक संशोधन द्वारा इस को समाप्त करने का अधिकार लिया गया है। यदि इस को निर्दिष्ट करने के लिए कोई समस्या पैदा हुई, तो परिषद् दोबारा बनाई या मनोनीत की जा सकती है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : इस बात को देखते हुए कि सारे विरोधी सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है, क्या माननीय मंत्री ने उनके सुझावों पर विचार किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सुब्बारायन)** : यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। वहां भी कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया था तथापि यह विधेयक निर्विघ्न पारित हो गया था।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"विमान निगम अधिनियम १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

जो सदस्य विधेयक के पक्ष में हों वे "हां" कहें और जो विपक्ष में हों वे "ना" कहें।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं औचित्य प्रश्न पर एक बात कहना चाहता हूं। कि २.३० के पूर्व कोई मत विभाजन नहीं हो सकता है और हम चाहते हैं कि इस विषय पर मत विभाजन हो और यह बात सभा की कार्यवाही में आये क्योंकि हम लोग पुनः इस सभा में नहीं आ सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सभापति** : यह विधेयक पर २.३० पर पुनः लिया जायेगा । इस बीच में हम कार्य-सूची की अगली मद पर विचार करेंगे ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन नाम की संस्था को, जिसका मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने वाले और इसके निगमन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

यह एक निर्विवाद विषय है । राज्य सभा में इसको सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त हो चुका है । मैं आशा करता हूं कि यहां भी इसे उसी रूप में समर्थन प्राप्त होगा ।

सम्मेलन की स्थापना १९१० में हुई थी । पिछले पचास वर्षों में उसने हिन्दी की प्रशंसनीय सेवा की है । महात्मा गांधी इत्यादि जननायकों के सहयोग के फलस्वरूप उसने यथार्थ में एक राष्ट्रीय संस्था का रूपधारण कर लिया । सम्मेलन में एक बहुत सुन्दर पुस्तकालय है तथा उनके पास बहुमूल्य पांडुलिपियां भी सुरक्षित हैं ।

सम्मेलन द्वारा जिन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उन्हें कई विश्वविद्यालयों द्वारा मैट्रिक, बी० ए० और उत्तर स्नातक परीक्षाओं के बराबर मान्यता दी गयी है ।

दुर्भाग्य से सम्मेलन को कुछ बुरे दिनों का सामना करना पड़ा । हिन्दी के सरकारी भाषा घोषित हो जाने के पश्चात् इसके संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया । इस प्रयोजन के लिये हैदराबाद के अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि संविधान तथा तत्सम्बन्धी नियमों को पारित करने के लिये एक २१ सदस्यों की समिति बनाई जाये तथा वह अपनी सिफारिशें पटना में सम्मेलन के विशेष अधिवेशन में करे । तथापि मतभेद हो जाने के कारण १९५० में एक दूसरा अधिवेशन कोटा में हुआ । तथापि व्यक्तिगत मतभेद के कारण वे यहां भी सहमत नहीं हो सके । इस समय सम्मेलन सरकारी प्रतिग्रहीता के हाथों में है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दो प्रतिद्वन्दी दलों के बीच समझौता कराने का बहुत प्रयत्न किया । तथापि इसमें कोई सफलता नहीं मिली अतः संस्था को बचाने के लिये इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह गया है ।

१९५६ में उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मेलन के लिये एक अधिनियम पारित किया जो कि उच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसने कहा कि सम्मेलन की सीमा सारे भारत में विस्तृत है अतः केवल उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिये कोई कानून नहीं बना सकती है । वस्तुतः यह मामला सरकार के पास कई वर्षों से पड़ा था और सरकार के पास इस सम्बन्ध में कई अभ्यावेदन आये थे उन्हीं के फलस्वरूप यह विधेयक पारित किया जा रहा है ।

सम्मेलन आय की दृष्टि से स्वावलम्बी है । यद्यपि सरकार उसे कुछ मामलों के लिये अनुदान देती है तथापि वह मुख्यतः विकास कार्यों के ही सम्बन्ध में है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए वित्तीय ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है । और जो अनुदान दिया जाता है वह जारी रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

हम चाहते हैं कि यह संस्था एक स्वायत्तशासी रूप में काम करे। तथापि पहले इसकी स्वायत्तता को पुनर्जीवित करना होगा। हमने निश्चय किया है कि इसकी पहली प्रशासन परिषद् पूरी तरह से नामजद होगी। उसमें अध्यक्ष और सचिव के अलावा १३ अन्य सदस्य होंगे उसका मुख्य कार्य यहां की गन्दगी को दूर करना और सदस्यता की शर्तें निश्चित करना होगा। इसके पश्चात् बनने वाली दूसरी प्रशासकीय परिषद् में अधिकांश सदस्य निर्वाचित हुए होंगे।

विधेयक का खंड १२ सम्मेलन को यह अधिकार देता है कि वह केन्द्रीय सरकार के परामर्श से नियम बनाये। जिन मामलों के सम्बन्ध में नियम बनाये जायेंगे वे सदस्यता, उनकी अर्हता, तथा अनर्हता, प्रशासकीय परिषद् की शक्तियां और कार्य, निर्वाचनों का संचालन और विवाद होने पर निर्णय इत्यादि ब्यौरे का विषय होने के कारण इन्हें अधिनियम में नहीं दिया गया है। खंड १२ में सम्मेलन की कार्यकारी समिति की नियुक्ति का भी उपबन्ध किया गया है। यही समिति सम्मेलन का कार्य किया करेगी।

यह स्मरण रखना चाहिये कि यह एक प्रमुख संस्था है तथापि दुख का विषय है कि आपसी मतभेद के कारण यह संस्था यथोचित रूप से काम नहीं कर रही है। यदि यह संस्था पुनर्जीवित की जाये तो वह हिन्दी के विकास के लिये बहुत कार्य कर सकती है। सम्मेलन ने देश का ध्यान हिन्दी के विकास की ओर दिलाया है। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि दुर्भाग्यवश इस समय रोग शय्या पर पड़े हैं इस संस्था से आजीवन सम्बद्ध रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ऐसे समय संस्था को पुनर्जीवन देने से उन्हें अवश्य बल मिलेगा और हमें विश्वास है कि वे आगामी कई वर्षों तक हमारे साथ रहेंगे।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : सेभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करना चाहता हूं। मैं डा० श्रीमाली जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्य-काल में इस प्रकार का विधेयक हमारे सामने उपस्थित किया। हिन्दी का उन्होंने बहुत काम किया है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केन्द्रीय सेरकार से हमारी हमेशा यह शिकायत रही है कि वह हिन्दी का काम बहुत धीरे धीरे कर रही है। उन के कार्य काल में इस काम में तेजी आई है, यद्यपि जितना संतोष हम लोगों को केन्द्रीय सरकार के द्वारा हिन्दी के कार्य के सम्बन्ध में होना चाहिए, उतना संतोष हमें अभी भी नहीं है। फिर भी मैं यह कहे बग़ैर नहीं रह सेकता कि श्रीमाली जी के यहां आने के बाद और उन के एक सैक्रेटरी के रूप में हमारे मध्य प्रदेश से श्री रमा प्रसन्न नायक जी के आने के बाद केन्द्रीय सरकार में हिन्दी के काम में अवश्य प्रगति हुई है।

जैसा कि डा० श्रीमाली ने कहा है, सम्मेलन की स्थापना आज से कोइ बावन वर्ष पूर्व १९१० में वाराणसी में हुई थी। उस के पहले अध्यक्ष महामना मालवीय जी थे। दो बार मालवीय जी इस के अध्यक्ष हुए। दो बार गांधी जी इस के अध्यक्ष हुए। एक बार हमारे वर्तमान राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद जी इस के अध्यक्ष हुए। एक बार हमारे राजर्षि पुरुषोतम दास टंडन इस के अध्यक्ष हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

अहिन्दी–भाषा भाषी भी इस संस्था के अध्यक्ष हो चुके हैं। श्री अमृतलाल चकवर्ती, पंडित माधव राव सप्रे, श्री बाबूराव विष्णु पराडकर, श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा और श्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुन्शी ऐसे अहिन्दी–भाषा–भाषी लोग हैं, जिन्होंने इस पद को गौरवान्वित किया है । टंडन जी इस पंद्रह वर्ष तक संस्था के कार्य-संचालक अध्यक्ष रहे और दस वर्ष तक प्रधान मंत्री ।

आधुनिक युग में इस देश में दो सार्वजनिक संस्थायें स्थापित हुईं—एक कांग्रेस और दूसरा सम्मलन ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कांग्रेस ने हम को स्वाधीनता दिलाई और सम्मेलन ने हम को वाणी की स्वतंत्रता देने का प्रयत्न किया। स्वाधीनता के पश्चात् वाणी की स्वतंत्रता मानव के लिए सब से अधिक आवश्यक है । मानव में और दूसरे प्राणियों में जो अन्तर है , वह यह है कि निसर्ग ने मानव को जो ज्ञान–शक्ति दी है, वह किसी दूसरे प्राणी को नहीं दी है । उस ज्ञान के कारण मानव जैसी वाणी बोलता है, अन्य जीव नहीं बोलते। हमारी पराधीनता का यह सब से बड़ा अभिशाप है था कि एक विदेशी भाषा हमारे ऊपर लदी रही। सम्मेलन ने जब हम परतंत्र थे उस समय से इस बात का प्रयत्न किया कि जो भाषा इस देश के लगभग आधे लोगों की मातृ-भाषा है और जिसे दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर शेष सारा भारतवर्ष समझता है, उस भाषा को उसका उचित स्थान मिले। यह सब से बड़ा प्रयत्न सम्मेलन ने किया। हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन कराने का प्रयत्न उसने किया । फिर समूचे भारत में हिन्दी का उसने प्रचार किया। दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना कर शेष पूर्वी और पश्चिमी भाग में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की। भारत के हर राज्य में एक शाखा और अधिकांश राज्यों में एक एक भवन और उन शाखाओं की उप-शाखाएं हर जनपद में स्थापित हुईं जहां वैतनिक और अवैतनिक दोनों प्रकार के लोग कार्य करते हैं। भारत के बाहर भी लंका में, बर्मा में, मारिशस में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की शाखायें हैं।

परीक्षाएं सम्मेलन लेता है । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की भी परीक्षायें होती हैं। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष कोई सवा लाख विद्यार्थी बैठते हैं। संसार की किसी भी भाषा की केवल साहित्यक परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की इतनी बड़ी संख्या नहीं है ।

लगभग पांच सौ प्रकाशन इस सम्मेलन के द्वारा हुए हैं। कोषों की बड़ी कमी थी जो हमें खटकती थी। पारिभाषाषिक शब्द कोष पहला कोष है जो लगभग बारह वर्ष पूर्व सम्मेलन ने बनाया । शासन शब्द कोष को भी बारह वर्ष पूर्व सम्मेलन ने प्रकाशित किया। समाचर पत्र शब्द कोष कोई बीस वर्ष पूर्व सम्मेलन के द्वारा प्रकाशित हुआ । हिन्दी विज्ञान कोष , मानक हिन्दी कोष, संस्कृत हिन्दी कोष इस प्रकार के कोष अब तक सम्मेलन प्रकाशित कर चुका है । सरकार के पास सम्मेलन ने दो कोषों की योजना को रखा है, जो सरकार के द्वारा विचाराधीन है, एक धर्म तथा नीति कोष, रिलिजन एंड एथिक्स और दूसरा समाज शास्त्र विश्वकोष, सोशल साइंसिस का। प्रकाशनों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि मानव ज्ञान के दो मोटे विभाग हैं, एक विज्ञान और एक ललित कला, इन दोनों को इसके प्रशकानों में स्थान मिले, और आप देखें कि पांच सौ जो प्रकाशन सम्मेलन के द्वारा हुए हैं, यह कितना बडा क्षेत्र है कि जिस में सम्मेलन के प्रकाशन का कार्य किया है ।

[डा० गोवन्द दास]

संग्रहालय की चर्चा अभी श्रीमाली जी ने की । शायद हिन्दी का कोई ग्रन्थ ऐसा नहीं है जो प्रकाशित हुआ हो और जो सम्मेलन के संग्रहालय में न हो । हस्त-लिखित ग्रन्थ भी वहां बहुत है । भारत वर्ष का हिन्दी का सब से बड़ा यह संग्रहालय है ।

खेद की बात है कि कोई बारह वर्ष से एक विवाद खड़ा हो गया है । इस विधेयक के द्वारा उसका अन्त होगा । इस विधेयक के कुछ विरोधी भी हैं। ये कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप पर यह संस्था सरकारी हो जाएगी । मैं उन से कहना चाहता हूं कि पहले तो उन्हें इस बात में भेद करना चाहिये कि आज जो सरकार है वह हमारी सरकार है। दूसरे इस विधेयक के बनने से यह संस्था सरकार की किसी प्रकार नहीं हो सकती है और उसी प्रकार की यह संस्था हो सकती है जिस प्रकार हमारे विश्वविद्यालय आदि हैं। यह तो सम्मेलन के लिए और हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए बड़े गौरव की बात है, कि हिन्दी की इतनी बड़ी संस्था को यह पद दिलाया जा रहा है । पहले जैसे ही गवर्निंग काउंसिल बनेंगी वह नियमावली का निर्माण करेगी और उस नियमावली के बाद यह संस्था उसी प्रकार की एक संस्था हो जाएगी जिस प्रकार की संस्थायें विश्वविद्यालय हैं या ऐसी ही दूसरी अन्य संस्थायें हैं। इस विधेयक का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता और यह भ्रम लोगों के मन में से दूर हो जाना चाहिए कि इस विधेयक के पास होने का अर्थ सेम्मेलन का सरकारी संस्था हो जाना है । यह बात नहीं होने वाली है ।

एक बात अवश्य है कि इन झगड़ों के कारण से हम ने एक बात देखी है कि चुनाव इत्यादि का जो पचड़ा होता है वह अगर रचनात्मक संस्थाओं में भी आ जाए तो उनकी बड़ी हानि होती है । महात्मा गांधी ने इसीलिए जितनी रचनात्मक सस्थायें स्थापित कीं, उन में चुनाव या इस प्रकार की चीज़ को अलग रखा । मैं आशा करता हूं कि गवर्निंग बाडी भी इस प्रकार की नियमावली बनाएगी कि जिस में चुनाव इत्यादि का पचड़ा इतने अधिक परिमाण में आने न पाए कि आगे चल कर फिर इस में इस प्रकार के झगड़े उठ सकें।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं ?

डा० गोविन्द दास : मैं डिक्टेटर शिप नहीं चाहता । लेकिन यह मैं जरूर चाहता हूं कि जिस तरह से गांधी जी चाहते थे कि ये रचनात्मक संस्थायें काम करें, उस तरह से यह संस्था भी काम करे । गांधी जी डिक्टेटर नहीं थे। लेकिन यह बात जरूर है कि वह चाहते थे कि रचनात्मक संस्थाओं में इस प्रकार का चुनाव का पचड़ा न आ जाए कि जिससे, जिस तरह के झगड़े अभी सम्मेलन में उठे और बारह वर्ष तक सम्मलन कोई कार्य नहीं कर सका, उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो ।

राज्य सभा में इस विधेयक पर काफी बहस हुई और उस बहस के दौरान में एक प्रश्न और उठा और वह हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में है । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी के स्वरूप का विषय बार बार जिस को अंग्रेजी में एवुडास चैस्ट कहते हैं, उस रूप में हमारे सामने आता है । इस विषय में बहुत से भ्रम लोगों के मनों में हैं । एक बात में कोई सन्देह नहीं हो सकता और इस पक्ष में सब लोग हैं कि हिन्दी का स्वरूप सरल से सरल होना चाहिये । लेकिन सरल स्वरूप कौन सा समझा जाए यह बड़े विवाद का प्रश्न है । कुछ लोग अरबी और फारसी या उर्दू

मिश्रित शब्दावली को हिन्दी का सरल स्वरूप मानते हैं। कुछ लोग संस्कृत से मिश्रित शब्दों वाली हिन्दी का सेरल स्वरूप मानते हैं। अभी राज्य सभा में जब इस पर विवाद हो रहा था तब श्री मल्कानी जी और संतानम साहब के जो भाषण हुये उस में विषय और भी स्पष्ट हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम पंजाब और दिल्ली और उत्तर के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी जितना भारतवर्ष है उसमें संस्कृत मिश्रित शब्दों की शब्दावली ही हिन्दी का सरल स्वरूप माना जाएगा क्योंकि गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया, यहां तक कि तेलगू, मलायालम और कन्नड़ भी संस्कृत से निकली हैं या कम से कम इन तीन दक्षिण की भाषाओं में यानी मल्यालम कन्नड़ और तेलगू, में पचास प्रतिशत से ऊपर संस्कृत के शब्द हैं। तामिल भाषा को अगर हम छोड़ दें जिस में भी पर्याप्त मात्रा में संस्कृत के शब्द हैं, तो भी बाकी जितनी भाषायें हैं वे सब संस्कृत से निकलने के कारण या उनमें संस्कृत शब्दों के मिश्रित होने से संस्कृत शब्द के बाहुल्य वाली जो हिन्दी है, वही सरल मानी जा सकती है।

लेकिन जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि भाषा सरल हो इस में किसी को मतभेद नहीं। जो शब्द हमारी भाषा में अरबी या फारसी या दूसरी भाषाओं के आ गए हैं, अंग्रेजी के आ गए हैं, उनको अलग नहीं करना चाहिये। लेकिन एक बात इसी के सम्बन्ध में और है कि भाषा विषय के अनुसार चलती है। आज भी आप अंग्रेजी के फर्स्ट क्लास एम० ए० के सामने अगर कोई वैज्ञानिक पुस्तक रख दें जैसे एलोपेथी की रख दें या और किसी विज्ञान का तो उसकी समझ में एक अक्षर भी नहीं आ सकता है। इसलिये शास्त्रीय या वैज्ञानिक पुस्तकों की भाषा को सरल भाषा बनाने का प्रयत्न करना, असम्भव बात है। दुनिया की किसी भाषा में यह नहीं हुआ है और न होने वाला है। इसलिये जैसा मैंने निवेदन किया है भाषा सदा विषय के अनुसार चलती है। उपन्यास की भाषा, कहानी की भाषा लेख की भाषा, अखबार की भाषा, ये सब सरल रह सकती हैं। और रहनी चाहियें भी लेकिन कविता की भाषा उतनी सरल नहीं रह सकती और वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय भाषा तो सरल रह ही नहीं सकती। इसलिये जब हमने संविधान बनाया उस समय स्पष्ट कर दिया कि मुख्यतः हमारी शब्दावली संस्कृत से आयेगी। हमारे संविधान में यह बात लिखी हुई है इसीलिये आज जो वैज्ञानिक शब्दावली बन रही है मेरा इस से सदा मतभेद रहा है। इस शब्दावली को अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली समझना मेरी दृष्टि में बहुत भूल है। अंग्रेजी की शब्दावली को आज यदि हम देखें तो इंग्लिस्तान, अमरीका और इंगलैंड की जो चार कौलोनीज हैं, उपनिवेश हैं, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका इन को छोड़ कर वह शब्दावली कहीं नहीं चलतीं। फ्रान्स में वह शब्दावली नहीं चलती, जर्मनी में नहीं चलती, रूस में नहीं चलती। इसलिये यह कहना कि हम वैज्ञानिक शब्दावली को, अंग्रजी शब्दावली, इंटरनेशनल शब्दावली मान कर बनायें तो यह कोई ठीक चीज नहीं है। इस मामले में जो प्रयत्न किये जाते हैं मुझे भय है कि २० वर्षों बाद वे सारे प्रयत्न निर्थक हो जायेंगे। २० वर्षों के बाद हम कोई नई शब्दावली बनानी पड़गी। यह विषय कोई १००,५००, १०००, २,००० शब्दों का नहीं है। यह लाखों शब्दों का विषय है। हम अंग्रजी की वैज्ञानिक शब्दावली को अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली मान कर वैसे का वैसा स्वीकार कर लें तो जो हमारे संविधान में यह कहा गया है कि हमारी शब्दावली प्रधानतः संस्कृत से ली जायगी, यह उस के पूर्णतया विरुद्ध होगा, यह हमारे संविधान के विरुद्ध जाना होगा इस लिय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाषा के अनुसार चलने के कारण हमें अपनी वैज्ञानिक शब्दावली, परिभाषिक शब्दावली मुख्यता संस्कृत से लेनी चाहिये।

जहां तक हमारी राज्य सभा के वाद विवाद का सम्बन्ध है, मैं यहां पर कोई उस प्रकार का विवाद नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि श्री काका साहब कालेलकर का, जिन के

[डा० गोविन्द दास]

प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, भाषण जो वहां पर हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भाषण हुआ। मैं काका साहब के एक संदृश एसे वरिष्ठ नेता, साहित्यकार और एक एसे व्यक्ति से जिन का सम्मेलन से और पूज्य टंडन जी से सम्बन्ध रहा है, इस प्रकार के भाषण की आशा नहीं करता था। उन्होन टंडन जी के लिये न जाने क्या क्या कह दिया, सम्मेलन के लिये क्या क्या कह दिया, सम्मेलनवालाज, यू० पी० वालाज और नहीं मालूम किन किन शब्दों का प्रयोग किया, जो कि उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था। मैं ने आप से कहा कि मैं कोई विवाद नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां तक राजर्षि टंडन जी का सम्बन्ध है और हिन्दी के सम्बन्ध में उन के कार्यों का सम्बन्ध है, उसमें साम्प्रदायिकता को ढूंढना या उन के काम में कुछ दकियानूसियत को ढूंढना या उनके काम में इस तरह की बातों को ढूंढना बड़े से बड़ा अन्याय है। टंडन जी न हिन्दी भाषा के लिय, सम्मेलन के लिय और इस देश के लिय जो कुछ किया है वह इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा। मैं आशा करता हूं कि जब काका साहब अपने भाषण पर पुनर्विचार करेंग तो उन्हें स्वयम् खेद होगा कि उन्होंने किस प्रकार के शब्दों का और किस प्रकार की भावनाओं का उपयोग राज्य सभा में अपने भाषण में किया। जैसा मैं ने आपसे कहा, काका साहब के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं उनकी इज्जत करता हूं और इस लिये मुझे उन के भाषण को सुन कर दुःख हुआ। मैं आशा हूं कि इस प्रकार के जो भ्रम हैं, जो भावनायें हैं, उन का अन्त होगा।

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया इस देश में वर्तमान युग में दो ही बड़ी सार्वजनिक संस्थायें बनी थीं। एक कांग्रेस जिसने हमें स्वतन्त्रता दिलाई और दूसरे सम्मेलन जिसने हमें वाणी की स्वतन्त्रता दी। वाणी की स्वतन्त्रता मानव के लिये मैं राजनीतक स्वतन्त्रता से कम नहीं मानता। इस सम्मेलन का विधयक से इस प्रकार का स्वरूप हो जायेगा कि जिससे उसन जो काम आज तक किया है वह और बढ़ जायेगा और इसका बहुत बड़ा श्रेय केन्द्रीय सरकार को होगा। मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

विमान निगम (संशोधन) विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब विमान निगम संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी रखेगी। प्रश्न यह है :

"कि विमान निगम अधिनियम १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में १०८ और विपक्ष में २८

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम विधेयक पर खंडधार विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रभात कार : मैं खंड २ का विरोध करता हूं। इससे अनूसूचित संचालकों को न केवल देश के एक भाग में अपितु देश के सभी भागों में विमान संचालन का अधिकार मिल जायेगा। मेरे विचार से यह उपबंध औद्योगिक नीति संकल्प का विरोधी है इससे देश के किसी भी भाग में विमान चालन का अधिकार मिल जायेगा अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस क्लाज का विरोध करते हुए मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। जो ताकत इसके मातहत सरकार ले रही है, उसका जो भी इस्तैमाल किया जाए यदि इसे वह वापस नहीं लेती है तो कम से कम इस बात के लिये सरकार को राजामन्द हो जाना चाहिये कि जिन जिन प्राइवेट आपरेटरों को इजाजत दी जाए नए रूट चलाने की, उनके बारे में एक वक्तव्य इस सदन की मेज पर रखा जाए और सदन को सूचित किया जाए कि इन इन नए प्राइवेट आपरेटरों को हम इजाजत दे रहे हैं। मैं यह इस लिये कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन में यह व्यवस्था नहीं थी कि कोई नई रूट प्राइवेट आपरेटर को दी जायेगी, और हमारी यह मान्यता है कि इस क्लाज के मातहत सरकार इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन को तोड़ रही है, और इसीलिए मैं ने निवेदन किया था कि अगर ऐसा कोई संशोधन पास कराना है तो इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन को पहले अमेंड करा लेना चाहिये। लेकिन सरकार उसके लिये सहमत नहीं है। खैर जो भी हो, सरकार उससे सहमत न हो तो कम से कम इस बात के लिये उसे सहमत हो जाना चाहिये कि सरकार जिन नये आपरेटर्स को इजाजत दे उनके नाम सदन की मेज पर रख दिये जाएं। अभी माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस क्लाज से उनका मंशा सिर्फ कुछ अनिमितताओं को नियमित करना है। अगर केवल यह मंशा है तो उनको इस तरह का क्लाज नहीं लाना चाहिये था। उनको सिर्फ इतना कहना चाहिये था कि जो प्राइवेट आपरेटर अनियमित रूप से नान शिड्यूल्ड आपरेटर्स के नाम से सेवाएं दे रहे थे उनको शिड्यूल्ड कर दिया जायेगा, और नए का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। लेकिन इस क्लाज के मातहत तो नए लोगों को भी इजाजत दी जा सकेगी। और जब नए लोगों को इजाजत देने की बात हो रही है तो मैं सरकार से यह चाहूंगा कि वह सदन को यह आश्वासन दे कि जिन नए आपरेटर्स को सरविस दी जायेगी उनके नाम तुरन्त सदन को सूचित किए जाएगें कि अगर सदन उचित समझे तो उस पर विचार कर सके।

†**श्री साधन गुप्त** : हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि इस विधेयक के द्वारा औद्योगिक नीति संल्प का उल्लंघन किया जा रहा है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि विमान परिवहन पर सरकार का एकाधिकार होगा तब प्रगति वादिता के नाम पर गैरसरकारी संचालकों को सेवायें चालू करने देना उक्त संकल्प का सरासर उल्लंघन करना है।

वस्तुतः सरकार एक निश्चित नीति विहित करने के उपरांत उसका उल्लंघन करने का बहाना ढूंढती है यह बात उचित नहीं है।

इस विधेयक से न केवल सरकार ने गैरसरकारी संचालकों को अपनी सेवायें चलाने का अधिकार दिया है अपितु यह अधिकार दिया है कि नये विमा। संचालन भी अपनी सेवायें चालू कर सकते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : में उपमंत्री के उत्तर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ हूं। यह कहा गया है कि सरकारी और गैर सरकारी विमान संचालन में एक घंटे के व्यय में ३०० रु० का अंतर है यह कारण नहीं बताया जा सका कि इतना अंतर क्यों है ?

इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं एक तो यह कि या तो गैर सरकारी संचालक स्तर से नीचे का सतर रखते हैं या वे इतने कुशल हैं कि अपनी सेवायें सरकार की अपेक्षा कम व्यय में चला लेते हैं। यह इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

प्रकार एक सिद्धान्तिक मामला है जिसपर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। क्या वे ४६ विमान मार्ग जिन्हें निगम चला रही है सरकार को मुनाफा नहीं दे सकते हैं। मेरे विचार से हमारा उन्हें चलानें से कोई लाभ नहीं। क्योंकि हम उन सेवाओं के लिये बहुत अधिक धन व्यय कर रहे हैं। जब वे अपेक्षाकृत कम चालू लाइनों से अधिक धन कमा सकते हैं तो क्या कारण है कि हम अधिक चालू लाइनों से लाभ नहीं कमा सकते हैं। जब निगम को एक वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में काम करना है तो इस पहलू पर भी विचार करना होगा ।

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि निगम उनको दिये गये अग्रिम धन पर कोई व्याज की रकम भी नहीं दे रहा है अतः जो संतुलन पत्र निगम रखता है वह यथार्थ नहीं है।

हमने अभी हाल कई सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों पर चर्चा की है और उनमें से कई तो हमारे लिये वस्तुत : गौरव का विषय है। दूसरी ओर निगम मध्यप्रदेश सरकार की इस मांग को पूरी नहीं कर सका है कि भोपाल से दिल्ली तक एक विमान सेवा जारी की जाये।

वस्तुत : इस विधेयक द्वारा हम निगम के कार्य में और भी प्रतिबंध उपस्थित कर रहे हैं। जब निगम मुख्य मार्गों के विमानों से मुनाफा कमा रही है तो यह उसका नैतिक कर्त्तव्य है कि वह उन लाइनों को भी अपने हाथों में ले लेवे जहां मुनाफा की संभावना नहीं है। उन्हें गैर-सरकारी संचालकों के लिये छोड़ना उचित नहीं है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या जिन निजी संचालकों को अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी, उनको राज्य की ओर से कोई आर्थिक सहायत भी दी जायेगी ?

†**श्रीमती इलापाल चौधरी** (नवद्वीप): माननीय सदस्य ने अभी-अभी पूछा है कि निजी संचालक इन लाइनो को कम लागत पर कैसे संचालित कर सकते हैं, जबकि निगम को उन पर अधिक व्यय करना पड़ता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : तब तो निजी लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण होता होगा, अन्यथा निगम को अधिक व्यय क्यों करना पड़ता है ?

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इन निजी लाइनों में अधिकांश कर्मचारी ऐसे रहते हैं जिनको निगम में काम नहीं मिल पाता। इसलिये वे कम वेतन पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। निजी संचालक कम लागत पर विमान सेवायें कैसे कैसे संचालित कर लेते हैं। इसका कए कारण यह है कि वे अपने कर्मचारियो को कम वेतन देते हैं।

वैसे निजी लाइनों में काम करने वाले कर्मचारी पर्याप्त रूप से कार्य क्षम होते हैं। उनको पर्याप्त प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाड़ा): मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री हरिश्चन्द्र माथुर सार्वजनिक क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिये इस हद तक तैयार हैं कि पूरे देश के हितों की भी इतनी परवाह नहीं करते। हमें सबसे पहले अपने देश की आवश्यकताओं को सामने रखकर चलना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार को बड़ी गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि जिन प्रदेशों में विमान सेवायें हैं ही नहीं, उनमें जनता की आवश्यकताय कैसे पूरी की जाय। यही यही हमारी कसौटी होनी चाहिये। हों अन्य सभी प्रश्नों को इसी कसौटी पर कस कर देखना चाहिये ।

यदि राष्ट्रीयकृत निगम किन्हीं क्षेत्रों में विमान सेवाय चालू करने में असमर्थ हो, तो निजी संचालकों को अवसर देने में क्या हानि है ?

हां इतना अवश्य होना चाहिये कि निजी संचालक कुछ नियमो, कुछ शर्तों के अन्तर्गत कार्य करें। उनपर कुछ शर्तें लगाई जानी चाहिये और उनका सख्ती से पालन कराया जाना चाहिये ।

यदि निजी संचालक सभी शर्तें पूरी करते चलें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये उनको नयी लाइनों के लिये अनुमति देने में। उससे देश का लाभ होगा। अन्यथा देश में कई क्षेत्र ऐसे पड़े रहेंगे, जहां कोई विमान- सेवा नहीं रहेगी, क्योंकि निगम सभी क्षेत्रों में विमान–सेवायें चालू करने में असमर्थ है।

श्री म० ला० द्विवेदी (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो दलील दी हैं, वे प्राईवेट सैक्टर को मदद देने के लिए ही दी हैं और वे गलत हैं। हमने भारतीय संविधान में समाजवाद के सिद्धान्त को अपनाया है और मेरी निश्चित राय है कि यह मिनिस्ट्री उसके अनुसार काम करने में फेल हुई है। इसीलिए प्राईवेट सैक्टर को मदद देने के लिए यह संशोधन लाया गया है। यह ठीक है कि हम इसका समर्थन करगे, क्योंकि हम पार्टी में हैं। यह निश्चित बात है कि प्राईवेट सैक्टर में तन्ख्वाहें कम दी जाती हैं और इसी कारण उसमें पांच सौ रुपये खर्च होते हैं, जब कि कार्पोरेशन के आठ सौ रुपये खर्च होते हैं। इसके मायने ये हैं कि हमारी कमजोरी है। प्राईवेट सैक्टर को सफल बनाने और पब्लिक सैक्टर को फेल करने के लिए यह कोशिश की जा रही है। इन साजिशों की ओर में मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उनको इस बात का चैलेंज करता हूं कि वह बतायें कि इस प्रकार वह पब्लिक सैक्टर को सफल बना रहे हैं या प्राईवेट सैक्टर को। इस तरफ उनका ध्यान दिलाने के लिए ही मैं उठा हूं, हालांकि मैं इसका समर्थन करूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

†**डा० प० सुब्बरायन** : निजी और सरकारी क्षेत्र के बारे में काफी व्यौरेवार चर्चा हो चुकी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पर एक पहलू और है। किसी लाइनको निजी संचालकों को देने से पहले निगम से यह तो पूछना चाहिये कि वह उस लाइन को चलाने के लिये उत्सुक है या नहीं। उसके बाद ही निजी संचालकों को अनुमति दी जानी चाहिये।

†**श्री मुहीउद्दीन** : उपखण्ड (च) में यह व्यवस्था है कि यदि निगम या उसकी कोई संस्था की सेवा वहां नहीं, है तो ही निजी संचालकों को किसी क्षेत्र में अनुमति देने पर विचार किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : पर उसमें यह व्यवस्था तो नहीं है कि निगम से पहले पूछा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : विमान निगम को तो वरीयता दी ही जायेगी।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : नयी लाइनों का काम निजी संचालकों को किस ढंग से दिया जायेगा?—टेण्डरों द्वारा या सरकार जिसे भी चाहेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन सभी पहलुओं पर सरकार विचार करेगी और उनका ध्यान रखेगी। यदि कोई लाइन निजी क्षेत्र को देनी होगी तो सरकार उसे विज्ञापित करेगी।

†**डा० सामन्त सिंहार** : इस प्रश्न पर सरकार की ओर से हमें उत्तर मिलना चाहिये।

†**डा० प० सुब्बरायन** : इसमें केवल वही लोग आ सकेंगे जिनको निजी संचालकों के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें नये लोगों को लाने की बात नहीं है। सरकार का यही मंशा है अन्त में सभी विमान-सेवायें सरकार के हाथों में आजायें। सरकार सही किस्म के विमान लेने की कोशिश कर रही, तब उनसे लाभ भी होगा। मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि औद्योगिक नीति संकल्प में जैसी व्यवस्था है—एक दिन देर-सबेर, ये सभी विमान सेवायें सरकार के स्वाभित्व में आजायेंगी। पर उसमें कुछ समय तो लगेगा और तब तक यही तरीका ठीक रहेगा कि जहां सरकारी निगम की सेवायें न हों वहां निजी संचालकों को काम करने दिया जाये।

माननीय सदस्यगण जिस संशोधन पर आपत्ति कर रहे हैं, उसमें यह व्यवस्था भी की जा रही है कि निजी संचालकों से कुछ नियमों का पालन कराया जाये। सरकार को ऐसी शक्ति उसके द्वारा प्रदान की जा रही है। अनुसूचित सेवाओं के निजी संचालकों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। वे नियम इस संशोधित अधिनियम की धारा १८ के अन्तर्गत बनाये जायेंगे।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी): औद्योगिक नीति संकल्प को पारित हुए कितने वर्ष बीच चुके हैं और आप इसे कब तक पूरा करेंगे?

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य शायद उस तमिल कहावत में विश्वास करते हैं जिसमें कहा गया है कि स्त्री को गर्भवती होते ही बच्चे का प्रसव करना चाहिये। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि देश के कुछ भागों में स्त्रियों को गर्भ के बाद बच्चे का प्रसव करने में छः वर्ष लग जाते हैं। आपको इसमें कितना समय और लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री ने आश्वस्त कर दिया है कि औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार विमान सेवायें एक दिन सरकार की सम्पत्ति बन जायेंगी। और तब तक जनता की सुविधा के विचार से अनुसूचित मार्गों पर निजी संचालकों को अनुमति दी जायेगी ? उसके बाद सरकार जब भी चाहेगी उनको अपने अधिकार में ले सकेगी। उसके लिये तीन या छः महीने पहले पूर्व सूचना दे दी जायेगी। इसके अतिरिक्त दूसरा रास्ता तो यही है कि उन क्षेत्रों को खाली पड़ा रहने दिया जाये।

†**डा० सामन्त सिंहार** : कोई गोलमाल नीति नहीं होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री भी उतने ही देशभक्त हैं, जितने कि माननीय सदस्य स्वयं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३ से ८ तक विधयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १. संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में

'196' ('१९६१') के स्थान पर, '1962' ('१९६२') रखा जाये।

[श्री मुहीउद्दीन]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ संशोधित रूप में विधयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में

'Twelfth year' ('बारहवां वर्ष') के स्थान पर

'Thirteenth year' ('तेरहवां वर्ष') रख दिया जाये।

[श्री मुहीउद्दीन]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का संक्षिप्त नाम विधयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मुझे तो लगता है कि इस विधेयक को पारित करके 'कलिंग एयरलाइन्स' को पूरी छूट देने की व्यवस्था की जा रही है। उसके बारे में सभा में बार-बार प्रश्न पूछे गये हैं। हम उसका विरोध करते हैं। इस तरह जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

†**डा० प० सुब्बरायन** : इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को शायद यह मालूम नहीं है कि हमारे देश में अन्य सभी देशों के मुकाबले विमान-दुर्घटनायें कम होती हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं सरकारी कम्पनियों की बात कह रहा हूं। संसदीय कार्य-वाही में इसका रिकार्ड मौजूद है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विधेयक कलिंग एयरलाइन्स के बारे में तो नहीं है। अभी से क्या पता कि किसे अनुमति दी जायेगी। जब कलिंग एयरलाइन्स का प्रश्न आये, तो माननीय सदस्य उसका विरोध कर सकते हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य के दिमाग पर कलिंग एयरलाइन्स हावी हो गई है।

मैंने कहा तो है कि हम यथाशीघ्र सभी सेवायें सरकारी अधिकार में करने जा रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विधेयक को तो पारित हो जाने दी जिये। पर मेरा अनुरोध है कि कलिंग एयरलाइन्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

†**डा० प० सुब्बारायन** : वह सरकार के हाथ में है, श्री बनर्जी के हाथ मे तो नहीं।

†**डा० सामन्त सिंहार** : यह औद्योगिक नीति संकल्प की राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध किया जा रहा है। हम इस प्रकार फिर से निजी क्षेत्र को लौट रहे हैं।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि निजी संचालकों द्वारा संचालित सेवाओं में यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाये। उनका शोषण न होने दिया जाये।

कहीं यह न हो कि निजी क्षेत्र एक दिन सरकारी क्षेत्र को हड़प कर जाये।

†**श्री त्यागी** : यह बिलकुल निश्चित है कि यह नीति हमारी घोषित नीति के विरुद्ध है। इसके बाद समाजवाद के नारे खोखले लगते हैं।

सरकार को यह भी देखना चाहिये कि हमारा निगम घाटे में न चले बल्कि अन्य निजी लाइनों की तरह मुनाफा करके दिखाये।

मैं जानना चाहता हूं कि निगम के विमानों में सरकारी खर्चे पर यात्रा करने वाले यात्रियों का क्या अनुपात है। वह तो घाटा ही लिखा जायेगा।

मेरा यह अनुरोध है कि 'कलिंग एयरलाइन्स' को अनुज्ञप्ति देने में कोई वरीयता न दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

साथ ही यह भी स्पष्ट बताया जाना चाहिये कि क्या सरकार इन निजी विमान-सेवाओं को कोई आर्थिक सहायता भी देगी?

†**श्री प्रभात कार** : इस विधेयक के समर्थन में जो तर्क दिये गये हैं उनसे पता चलता है कि हवा का रुख किधर को है। श्री तिरुमलराव ने कहा है कि चूंकि सरकारी निगम कुछ क्षेत्रों में नयी विमान सेवा चालू करने की स्थिति में नहीं है, इसलिये वे निजी संचालकों को दे दी जाये।

†**श्री तिरुमल राव** : मैं स्पष्टीकरण कर दूं। मैंने इतना ही कहा था कि जनता की सहूलियत को प्राथमिकता दी जाये। मैंने सरकारी क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र को प्राथमिकता देने की वकालत नहीं की।

†**श्री प्रभात कार** : रेलवे आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा के समय सभी सदस्यों ने कहा था कि रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिये नयी-नयी रेलवे लाइनें डाली जायें। विमानों के मुकाबले रेलवे से यात्रा करने वालों की संख्या तो हजार गुनी अधिक है। उसके लिये यह तो नहीं कहा गया कि जनता की सहूलियत के लिये कुछ क्षेत्रों में निजी संचालकों को नयी रेलवे लाइनों चलाने दी जायें। इसलिये माननीय सदस्य का यह तर्क बड़ा विचित्र सा लगता है।

इस प्रकार परोक्ष रूप से निजीक्षेत्र को बढ़ावा देने से तो अच्छा होगा कि सरकार औद्योगिक नीति संकल्प को ही रद्द कर दे। जनता को पता तो लग जायेगा कि सरकार किस दिशा में बढ़ रही है।

मैं यही चेतावनी देना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री।

†**डा० प० सुब्बारयन** : श्री त्यागी ने पूछा है कि क्या हम इसके लिये आर्थिक सहायता देंगे। निजी संचालको को आर्थिक सहायता देने से बचने के लिये ही, स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई ने विमान सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया था। इसलिये उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उनको ऋण भी नहीं दिये जायेंगे।

श्री प्रभात कार ने आरोप लगाये हैं कि औद्योगिक नीति संकल्प की नीति का उलटा किया जा रहा है। सरकार की औद्योगिक नीति बिल्कल स्पष्ट है। मुझे विश्वास है कि समय बीतने के साथ-साथ जनता अधिकाधिक महसूस करती जायगी कि सरकार अपनी निर्धारित नीति पर दृढ़ है। हमारे जैसे पिछड़े और कम-विकसित देश में समाजवाद के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं। इसीलिये सरकार ने समाजवाद की नीति अपनाई है। वह केवल शब्दों का खिलवाड़ नहीं है।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों का समाजवाद हमारे समाजवाद से भिन्न है। वे राज्योय पूंजीवाद में विश्वास करते हैं, जैसा कम्युनिष्ट देशों में दिखाई पड़ता है। हमारा समाजवाद उससे भिन्न है। हम अपनी जनता की आजादी भी बनाये रखना चाहते हैं।

†**श्री त्यागी** : मैंने पूछा था कि निगम के विमानों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों में कितने सरकारी खर्च पर यात्रा करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बारायन** : वैसी सूचना मेरे पास नहीं है । शायद निगम सरकारी अधिकारियों और अन्य नागरिकों का हिसाब अलग-अलग नहीं रखता । निगम को तो दोनों ही से आमदनी होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इस पर अधिक चर्चा की गुंजाइश नहीं !

प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक पर आगे विचार करेगा ।

†**श्री हो० ना० मुखर्जे** : (कलकत्ता—मध्य) : मैं इस चर्चा में इसीलिये भाग ले रहा हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के कुछ नतीजे निकलते हैं। मैं उनको ही आपके सामने रखना चाहता हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पिछली अर्द्ध शताब्दी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है । सम्मेलन हिन्दी की अभिवृद्धि के लिये सतत प्रयत्नशील रहा है। इसलिये उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना सर्वथा उचित है ।

यह विधेयक उसको मान्यता देकर, सचमुच सही काम कर रहा है ।

लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि सम्मेलन की तरह की कुछ और भी संस्थायें हैं जिनको इसी तरह की मान्यता दी जानी चाहिये । और भाषा तो क्या हिन्दी भाषा के क्षेत्र में ही कुछ ऐसी संस्थायें मौजूद हैं।

नागरी प्रचारणी सभा अर्से से बड़ा सराहनीय कार्य करती जा रही है । हम सभी उस से किसी न किसी रूप में सम्बन्धित रह चुके हैं। मैं निश्चित नहीं कह सकता कि उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था अभी तक घोषित किया जा चुका है या नहीं। पर हां, यदि नहीं किया गया हो, तो अब कर देना चाहिये ।

सरकार को इसी तरह अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिये। अन्य भाषाओं के क्षेत्र में भी कुछ ऐसी संस्थायें हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व दिया जाना चाहिये ।

तामिल भाषाई क्षेत्र को प्रोत्यत्साहित करना भी अत्यन्त आवश्यक है । उस क्षेत्र में भी ऐसी संस्थायें हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य भाषाई क्षेत्रों की ओर ध्यान देना इसलिये भी जरूरी है कि कुछ लोगों के हृदयों में यह भावना घर करती जा रही है कि हिन्दी को देश पर थोपने की चेष्टा की जा रही है । ऐसी भावना बड़ी हानिकारक होगी। इसलिये सरकार को अन्य भाषायी क्षेत्रों की ओर भी इतना ही ध्यान देना चाहिये ।

साथ ही, हिन्दी प्रेमियों को संकीर्ण मनोवृत्ति नहीं अपनानी चाहिये। उनको हिन्दी के विकास के लिये सभी प्रादेशिक भाषाओं से शब्द और भाव लेने चाहिये । उनको अन्य भाषाओं को हिन्दी से हीन नहीं समझना चाहिये ।

उर्दू भाषा को हिन्दी की एक शैली बता कर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । उर्दू का एक अपना स्थान है। उसका एक अपना रंग है ।

हिन्दी-प्रेमियों को सभी भाषाओं शब्दों और भावों, इत्यादि को अपने में मिलाकर उनको हिन्दी भाषा का हिस्सा बना कर चलना चाहिये ।

हमें इस सारी समस्या पर एक बड़े व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। संकीर्णता से अहित ही अधिक होगा।

हिन्दी प्रेमियों को याद रखना चाहिये कि उनकी भाषा के विकास में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का योगदान रहा है। हिन्दी तभी पनपती-फूलती रहेगी जब भाषा को जीवन देने वालों तत्वों का ध्यान रखा जाये। उनको देखना चाहिये कि संसार में अन्य भाषायें कैसे फली-फूली और पनपी हैं। फिर उसी आधार पर, उससे सबक लेकर उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढालना चाहिये ।

†**डा० मा० श्री अणे :** (नागपुर) : श्रीमान जी, सदन निश्चित रूप से इस बात के लिए आभारी रहेगा

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): मेरा अणे साहब से निवेदन है कि इस अवसर पर वे हिन्दी में भाषण दें। वे अच्छी हिन्दी बोलते हैं।

डा० मा० श्री अणे : अब यह कि मैं हिन्दी बोल सकता हूं और अच्छी हिन्दी बोलता हूं यह तो आपकी राय है ।

श्री रघुनाथ सिंह : कृपा होगी अगर आप हिन्दी में बोलेंगे ।

डा० मा० श्री० अणे : उपाध्यक्ष महोदय, सदन् के सामने आज जो बिल विचारार्थ उपस्थित है उसको लाने के लिए जो परिश्रम हमारे मंत्री जी ने किया है उस के लिए मैं समझताहूं कि यह हाउस उनको धन्यबाद देगा ।

कोई भी राष्ट्र जो बनता है उसका कोई चिह्न अथवा प्रतीक होता है। कोई चिह्न जिस के आधार पर यह समझा जाताहै कि अमुक व्यक्ति अमुक राष्ट्र का है। किसी भी राष्ट्र के कुछ चिह्न अथवा सिम्बल्स् बन जाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे भारत राष्ट्र के इस तौर पर ५ प्रतीक हो सकते हैं। पहला हमारा संविधान, दूसरा राष्ट्रध्वज, तीसरा राष्ट्रपति और उसके साथ राष्ट्र-भाषा और राष्ट्र। इनके द्वारा विन्ध में भारत राष्ट्र समझा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री० अणे]

अब जहां तक राष्ट्रीय संविधान का सम्बन्ध है उस के बारे में कोई तकराव की बात नहीं है और तमाम देश मे वह मान्य है । इसी तरह से राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगीत को भी तमाम देश ने मान लिया है । संविधान चूंकि देश भर में लागू और मान्य है इसलिये देश का जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसको भी तमाम देश मानता है । लेकिन जब राष्ट्र भाषा और राष्ट्र लिपि का सवाल सामने आता है तो उस के बारे में इस देश के लोगों के दिमागों में थोड़ी हलचल अवश्य है । संविधान में यह चीज स्वीकार कर ली गई है कि हिन्दुस्तान की अफ़िशिएल लैंग्वेज हिन्दी भाषा होनी चाहिए जिसकी कि लिपि देवनागरी होगी। हिन्दी के लिए राष्ट्रभाषा यह शब्द शायद कुछ उचित न होगा । क्योंकि संविधान में १४ या १५ राष्ट्र भाषाएं स्वीकार की गई हैं जिन में हिन्दी भी एक है। अलबत्ता हिन्दी को अन्तर्देशीय और अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए अफिशिएल लैंगवेज माना गया है और संविधान में यह लिखा हुआ है कि आगे चल कर केन्द्रीय सरकार का सारा कामकाज हिन्दी में ही चलेगा। हिन्दी इस देश की बहुसंख्यक जनता की भाषा है और इसलिये ठीक ही इसे भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया गया है ।

हिन्दी के प्रचार , विकास और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को हिन्दी का ज्ञान कराने के हेतु यह आवश्यक समझा गया है कि उस के वास्ते एक संस्था हो जिसके कि जिम्मे यह सारा काम सौंपा जाये । ताकि भविष्य में सब लोग देश में हिन्दी का प्रयोग करने लगें । पहले संविधान में इस प्रचार और विकास कार्य के लिए दस साल की अवधि रक्खी गई थी। लेकिन दस वर्ष व्यतीत हो जाने पर यह अनुभव किया गया कि हिन्दी का जितना प्रचार और विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है और उसके लिए और ज्यादा वक्त देने की आवश्यकता है । अब सवाल आकर यह पड़ता है कि हिन्दी का विकास और प्रचार ज्यादा से ज्यादा और कम से कम समय में कैसे किया जाये । हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक ऐसी संस्था हो सकती है जो कि इस कार्य को कर सकती है लेकिन अभाग्यवश आपसी झगड़ों और ग्रुप राइवैलरीज के कारण वह अपना कर्तव्य निभा नहीं पायी है । अब अगर हिन्दी के विकास और प्रचार का काम सरकार पर छोड़ा जाता है तो इस सरकार के पास केवल नेशनल प्लानिंग के और अनेकों काम हैं, हजारों काम जहां उसे करने हैं उन में यह हिन्दी का भी एक काम जुड़ जाता है और होता यह है कि जितनी तेजी से यह काम होना चाहिए वह नहीं हो सकता और आराम से सब काम चलता है । सरकार जिस काम को करना जरूरी समझती है उसको पहले हाथ में लेती है और यह बात पीछे चली जाती है। इस के अलावा उसके सामने पोलिटिक्स कंसिडरेशंस् भी आ जाते हैं। और परिणाम स्वरूप हिन्दी का सवाल पीछे पड़ जाता है । इसलिए हिन्दी के लिए इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए कि जो इस काम को करे और हिन्दी के पक्ष में लोकमत बनाने की कोशिश करे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक ऐसी संस्था हो सकती थी और हम समझते थे कि भारत के स्वाधीन होने के बाद हिन्दी का उत्कर्ष शीघ्रता से होगा और उसके विकास का काम पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से चलेगा और संविधा में हिन्दी लागू करने के लिए जो पहले दस वर्ष की अवधि रक्खी गई थी वह हम समझते है कि उसके भीतर यह काम पूरा हो जायेगा लेकिन हमे निराशा हुई और वह काम अभी तक नहीं हो पाया है । जो कथा हमें बतलाई गई और शिक्षा मंत्री महोदय के भाषण से जो निचोड़ निकला वह हमें बतलाता है कि साहित्य सम्मेलन में आपस मे झगड़ेबाजी चली और उस के कारण वह संस्था बेकार सी हो गई । पार्टीबंदी और आपस की तू-तू-मैं मैं चली और संस्था से जो आशा रक्खी गई थी वह पूरी नहीं हो हुई और वह काम नहीं हुआ । हिन्दी साहित्य

सम्मेलन एक ऐसी संस्था है, जिस के लिए लोगों के मन में बहुत आदर था । महामना मदन मोहन मालवीय और देश के बहुत से राष्ट्र-भक्तों और हिन्दी के विद्वानों ने उस के लिए त्याग किया और कर्तव्य भी किया । किन्तु यह खेद की बात है कि ऐसी बड़ी संस्था आज करीब-करीब बेकार हो कर पड़ी है । कुछ काम तो वह करती है, लेकिन उसके द्वारा जो काम होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। इस स्थिति में उस संस्था में सुधार करने और उस को कार्य-क्षम करने की जरूरत थी। यह अच्छी बात है कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बिल आज इस हाउस में लाया गया है, जिस के द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाया जा रहा है । मैं समझता हूं कि अगर इस संस्था ने ठीक प्रकार से कार्य किया, तो वह इस राष्ट्र के एक अभिमानास्पद प्रतीक--राष्ट्र-भाषा--को साकार करने में एक बड़ा साधन बन जायेगी।

हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सांस्कृतिक सेवा की है और आगे भी हम उन से बहुत अपेक्षा करते हैं । भगवान् करे कि उन में इतनी सामर्थ्य और शक्ति हो कि वह उन सब बातों को पूरा कर सकें, जो कि इस बिल में रखी गई हैं और जो हमारी समझ में बहुत महत्वपूर्ण हैं । इस बिल को लाने के लिये मैं उन को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं ।

हिन्दी भाषा के स्वरूप के बारे मे बहुत सी बातें कही जाती हैं कि वह कैसी हो और उस में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाये । मैं समझता हूं कि अगर हिन्दी भाषा मे सभी तरह के विचारों को प्रकट करने की सामर्थ्य होगी, तभी वह राष्ट्रभाषा बन सकेगी । परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक हिन्दी भाषा इतनी विकसित न हो जाये, तब तक उस को काम में न लाया जाये । अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि जब उस को तैरना आयेगा, तभी वह नदी में जायगा, तब तो उस को जन्म भर तैरना नहीं आयेगा । तैरना तो तभी आता है, जब व्यक्ति पानी में घुसता है और तैरना सीखने की कोशिश करता है । ऐसा करते करते कुछ समय बाद वह अच्छा तैरने वाला बन जाता है । इसी प्रकार किसी भाषा का विकास, किसी वाङ्मय का विकास और अभिवृद्धि तभी होती है, जब उस का अभ्यास किया जाता है और लोग उस को अपने काम में लाते हैं । ऐसा करने पर ही जिस तरह का वाङ्मय हम चाहते हैं, वह बन जाता है, पारिभाषिक शब्द तैयार होते जाते हैं और कौन से शब्द और ईडियम अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, इस का निर्णय हो जाता है । जिस प्रकार डर कर कोशिश न करने पर तैरना नहीं आ सकता है, उसी प्रकार कोई भाषा भी तब तक परिपक्व और विकसित नहीं हो सकती है, जब तक कि उस का प्रयोग न हो । किसी भाषा के परिपक्व होने मे साधन लगते हैं और जिस तरह का वाङ्मय हम चाहते हैं, वैसा वाङ्मय बनाने के लिये कोशिश करनी पड़ती है । अगर इस तरीके से काम किया गया, तो हम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल हो जायेंगे ।

इस के बाद मुझे यह कहना है कि ऐसी राष्ट्र-भाषा बनाते समय यह भी ख्याल रखना चाहिये कि हिन्दी सारे हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषा बनने वाली है और हिन्दुस्तान मे बहुत सी भाषायें हैं। यह आनन्द की बात है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का प्रचार हिन्दुस्तान में हुआ है और उस की परीक्षायें भी होती हैं । वह सब ठीक है, लेकिन यह ख्याल रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान में बहुत से लोग हैं और वे जो भाषायें बोलते हैं, उन के कुछ शब्द भी राष्ट्र-भाषा में आने चाहिये।

आज अंग्रेजी भाषा दुनिया की सब से बड़ी भाषा समझी जाती है और दुनिया भर में उसका प्रसार हुआ है। अगर आप उस को देखें, तो मालूम होगा कि हजारों शब्द उस में घुसे हैं और इस वजह से वह भाषा बहुत समृद्ध हो गई है। हिन्दी का विकास भी हमें इसी तरह करना

[मा० श्री० अणे]

चाहिये । जब हम देश भर के लोगों से हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार करने का आग्रह करते हैं, तो फिर यह भी आवश्यक है कि उन की भाषाओं के बहुत से शब्द और उनके वाङ्मय के ईडियम हिन्दी में आने चाहिये । अगर इस तरह से हिन्दी का विकास होगा, तो वह वास्तविक अर्थों में सारे राष्ट्र की भाषा बन जायेगी । इस का एक ही तरीका है कि शिक्षा देने वाली संस्थाओं में इस का प्रवेश योग्य समय में करना चाहिये ।

हम लोगों में एक न्यूनता रहती है कि जब हम लोग दूसरे देशों में जाते हैं, तो वहां भी अंग्रेजी बोलते हैं । मैं खुद तो बाहर नहीं गया हूं, इसलिये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे खबर मिली है कि एक बार रशा में हमारे कुछ लोग गए और जब किसी भाषण का जवाब देने के लिये खड़े हुए, तो अंग्रेजी में बोलने लगे । जब उन से कहा गया कि उनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, इसलिये वे अंग्रेजी में नहीं बोल सकते, तो उन्होंने हिन्दी में टूटा-फूटा भाषण किया । विदेशों में भी अपनी भाषा न बोल कर अंग्रेजी बोलने पर लोगों को आश्चर्य होता है ।

बहुत बरस पहले की बात है कि मैं शिमला से बम्बई जा रहा था । गाड़ी में मेरे पास जापानी एम्बैसी का कोई बड़ा आफ़िसर बैठा था । मैं उस वक्त डायरी लिख रहा था । जब उसने मुझ से पूछा, तो मैंने उसको बताया कि मैं अंग्रेजी में डायरी लिख रहा हूं । इस पर उसने हा कि "जब आप डायरी भी अंग्रेजी में लिखते हैं और अपने घर में खत भी अंग्रेजी में लिखते हैं, तो फिर अपनी भाषा में क्या लिखते हैं ?" मुझे यह बुरा मालूम हुआ,लेकिन उस की बात सही थी ।

किसी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिये उस की अपनी भाषा एक बहुत प्रबल साधन है । संस्कृत भाषा से यह काम हो सकता था, लेकिन उस को बहुत कठिन समझ कर लोगों ने डर कर उस को छोड़ दिया । खैर, अगर उस को कठिन समझ कर छोड़ दिया, तो उस से निकली हुई हिन्दी भाषा को अपनाना चाहिये । हिन्दुस्तान का एक बड़ा भाग उसको समझता है और बाकी हिन्दुस्तान को भी उस का थोड़ा बहुत परिचय है । अगर थोड़ा बहुत प्रयत्न किया गया, तो सब उस को समझने लगेंगे ।

जहां तक हिन्दी भाषा के शब्दों का प्रश्न है, उस में दूसरी चौदह भाषाओं के जो शब्द आगए है, जो पच गए हैं, डाइजेस्ट कर लिए गए हैं, उन को वैसे ही रहने देना चाहिये । उन को निकाल कर, उखाड़ कर फैंकने की आवश्यकता नहीं है । उन के स्थान पर कठिन शब्द काम में लाने की जरूरत नहीं है ।

अगर इस दृष्टि से हिन्दी का प्रचार होगा, तो मैं समझता हूं कि अगले दस पंद्रह बरसों में हिन्दी का स्वरूप इतना अच्छा हो जायेगा कि उस की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो जायेगी । अगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी भाषा में अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता पैदा करने की दिशा में काम करेगा, तो वह हिन्दी की वास्तविक सेवा होगी । मैं आशा करता हूं कि जो नई राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाई जा रही है, उस के मेम्बर पहले के झगड़ों को छोड़ देंगे और हिन्दी की प्रगति के लिये पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे । यह एक अच्छी बात है कि पहले इस के जो मेम्बर होंगे, उन का इलेक्शन नहीं होगा और इस कारण वहां पर वह गड़बड़ नहीं होगी, जो कि

इलैक्शन की वजह से हो जाती है। इलैक्शन एक अच्छी चीज है, लेकिन इस बिल में जो व्यवस्था की गई है, वह वर्तमान परिस्थितियों में ठीक है।

यह काम राष्ट्र की एकता को बनाये रखने के लिये बहुत आवश्यक है। इस का शुभारम्भ करते हुए चुने हुये अच्छे आदमी इस संस्था में रखे जाने चाहिये, उनको काम देना चाहिये और उन की सलाह से काम चलाया जाना चाहिये। इस देश में एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना लाने के लिए प्रयत्न करने की बहुत जरूरत है। उस में बिलम्ब हो रहा है। जो लोग हिन्दी बोलने वाले नहीं हैं, उन की सम्मति, सहानुभूति और सक्रिय सहायता मिले, इस बात की कोशिश करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि भगवान् की कृपा से इसमें सफलता मिलेगी। इसलिए मैं बहुत आदर से इस बिल का स्वागत और समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब किसी माननीय सदस्य को पंद्रह मिनट से अधिक समय लेने का यत्न नहीं करना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह : दस दस मिनट होने चाहिये।

श्री त्यागी : (देहरादून) : दस मिनट पर्याप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छी बात है। अब माननीय सदस्य दस-दस मिनट लें।

श्री भगवानदीन मिश्र।

श्री भ० दी० मिश्र : (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल राज्य-सभा द्वारा पास हो कर इस सदन के सामने विचारार्थ रखा गया है, मैं उस का हृदय से स्वागत करता हूं।

हमारे माननीय सेठ जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के संक्षिप्त इतिहास पर आपके सम्मुख प्रकाश डाला है और बताया है कि इस संस्था ने क्या-क्या सेवायें की हैं और किन-किन महानुभावों का इसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वास्तव में हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक ऐसी संस्था है जिस को हमारे महामना मालवीय जी, श्रद्धेय पुरुषोत्तम दास जी टंडन और इन के साथ ही साथ पूज्य गांधी जी का आशीर्वाद इस बात के लिये प्राप्त हुआ है कि हिन्दी भाषा पनप करके सम्पन्न भाषा बने और सम्पन्न भाषा ही नहीं बल्कि देश की एक सर्वोत्तम भाषा बन करके राष्ट्रभाषा का रूप धारण करे। भगवान की कृपा से देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद जिस समय संविधान की रचना हुई तो उस में इस भाषा को राष्ट्र भाषा का स्थान दिया गया। तदनुकूल आज भी यह भाषा उत्तरोत्तर पनपती जाती है। इसमें सन्देह नहीं है कि विचारधारायें भिन्न-भिन्न होती हैं और राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध में जब कोई बात विचाराधीन होती है तो लोग प्रान्तीय भाषाओं का भी जिक्र करते हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के लिये, इसको समुन्नत बनाने के लिये प्रान्तीय भाषायें किसी भी तरह की कोई रुकावट उपस्थित नहीं करती हैं और न ही वे इसकी राह में स्वयं रुकावट सिद्ध होती हैं। प्रान्तीय भाषायें भी हमारी भाषायेंहैं और उनको भी हमें समुन्नत बनाना है। लेकिन इसके साथ ही साथ जैसे माननीय सदस्य श्री अणे ने कहा है जैसे देश के लिये एक राष्ट्रीय ध्वज आवश्यक है, राष्ट्रपति आवश्यक हैं, उसी तरह से एक राष्ट्र भाषा का होना भी आवश्यक है। जब यह चीज होगी तभी देश की सर्वांगीणउन्नति सम्भव हो सकती है। इसलिये राष्ट्र भाषा को एक सुन्दर रूप देना इस विधेयक का उद्देश्य मालूम पड़ता है।

[श्री भ० दी० मिश्र]

जिस संस्था पर हम गौर कर रहे हैं, उस संस्था की स्थापना उत्तर प्रदेश में सन् १९१० में बाराणसी में हुई थी। वहां पर इस संस्था की स्थापना होना, उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यह संस्था धीरे-धीरे पनपती जा रही है और यह आज इतनी फलफूल चुकी है कि इसकी सभी प्रान्तों में शाखायें खुल गई हैं, प्रशाखायें खुल गई हैं, हिन्दी भाषा का काफी प्रचार इसके द्वारा हो चुका है। अगर यह आरोप लगाया जाता है कि दूसरी भाषाओं को हम दबाना चाहते हैं तो यह निराधार आरोप है। हम तो चाहते हैं सभी भाषायें पनपें और राष्ट्र की एक ऐसी सार्वभौम भाषा हो जिस को हम राष्ट्र भाषा के नाम से पुकार सकें और उसका प्रचार कर सकें।

मैं समझता हूं कि यह जो बिल आज सदन के सामने लाया गया है, इसको बहुत पहले लाया जाना चाहिये था। आज भी, हमारे स्वाधीन होने के इतने वर्ष बाद, अगर यह बिल लाया गया है तो यह स्वागत के योग्य है और हमारे माननीय मंत्री जो इस के लिये बधाई के पात्र है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, एक आदर्श संस्था होते हुये भी, उस में कुछ ऐसे दोष आ गए थे और परस्पर कुछ ऐसा मत वैषम्य पदा हो गया था जिस की वजह से वह कुछ नग्न सी बनती जाती थी और उसका जो एक सही रूप था वह धीरे-धीरे कम होता जाता था। हिन्दी को जब हमने राष्ट्रभाषा के रूप मे स्वीकार कर लिया है और संविधान में इसको स्थान दे दिया है तो हमारे लिए यह अनिवार्य हो गया है कि हम इस भाषा को सम्पन्न बनायें और अगर किसी भाषा या चीज को सम्पन्न बनाना हो तो उसके लिये यह जरूरी है कि सरकार की सद्भावना और सरकार की प्रेरणा व सहानुभूति उस को प्राप्त हो। इसलिये जो बिल आया है वह इस भाषा को सही रूप देने के लिए आया है। जो मतवैषम्य पैदा हो गया है और जिस के कारण कुछ खराबियां पैदा हो गई हैं और कुछ सही और कुछ गलत प्रचार किया जा रहा है, वे चीजें दूर हों और सही रूप में हिन्दी साहित्य सम्मेलन को स्थान मिले, इस उद्देश्य की पूर्ति अगर इस विधेयक के द्वारा हो सके, तो यह एक स्वागत योग्य बात होगी। सही और चुने हुये लोगों से इसको प्रेरणा मिले तो यह और भी अच्छा होगा। अगर जो बुराइयां आ गई हैं, उनको दूर कर दिया जाए और गवर्निंग बाडी के जरिये से जो नियम और उपनियम बनें उनके द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो असली काम है सारे देश में हिन्दी भाषा का प्रचार करना और हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने में मदद करना और सम्पन्न और समुन्नत भाषा बनाना, उसमें सफलता बड़ी आसानी से मिल सकती है।

यह देखना भी बहुत आवश्यक है कि कोई भाषा कैसी भाषा होनी चाहिये, किस प्रकार की वह भाषा होनी चाहिये। जब यह सम्पन्न भाषा हो जाए तभी यह राष्ट्र भाषा बन सकती है, इस प्रकार की बातें मेरी समझ के बाहर हैं। राष्ट्रभाषा या कोई भी चीज समुन्नत तभी हो सकेगी जब उसको पूरा बल सब तरफ से मिलेगा, पूरी सहायता सब तरफ से आएगी। मैं समझता हूं कि सरकार का यह दृष्टिकोण आदरणीय है कि इस संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाए। इस प्रयोजन के हेतु जो बिल यहां रखा है वह जब पास हो जायेगा तो एक गवर्निंग बाडी, एक प्रबन्धकरिणी समिति की स्थापना होगी और वह समिति अपने नियम और उपनियम बनाएगी और उसके द्वारा इस संस्था को सुचारु रूप से अपना कर्तव्य पालन करने में पूरी-पूरी प्रेरणा दे सकेगी। मैं समझता हूं कि इस तरह से यह भाषा एक सम्पन्न भाषा बन सकेगी।

किसी भाषा के सम्बन्ध में जो आवश्यक बातें हैं, उनकी ओर अब मैं संकेत करना चाहता हूं। बहुत अच्छा है जो यह बिल यहां आया है और उसके द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसको घोषित करने की बात कही गई। लेकिन मैं देखता हूं कि आज भी, हमें स्वाधीन हुए पंद्रह वर्ष

गुजर जाने के बाद भी और राष्ट्रभाषा के इतने समुन्नत हो चुकने के बाद भी जिले जिले में, बड़े-बड़े शहरों में मानटेसरी स्कूलों की जो स्थापना हुई है, ये स्कूल जो चलाये जा रहे हैं, उनमें से एक में भी हिन्दी भाषा को माध्यम के तौर पर नहीं चलाया जा रहा है, हिन्दी माध्यम को ले कर विद्यालय अभी तक नहीं चल रहे हैं, ऐसी मेरी धारणा है और मैं समझता हूं कि यह सही धारणा है। आवश्यकता इस बात की है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली जो हमारी संतानें हैं, उसके अन्दर अगर हम राष्ट्रीय भावना लाना चाहते हैं भारतीय संस्कृति पैदा करना चाहते हैं, तो हर जिले में और हर बड़े शहर में हिन्दी भाषा को माध्यम बना करके जो स्कूल चलाये जाए उन सभी को अधिक से अधिक सम्पन्न बना करके, उसके द्वारा बच्चों को प्रेरणा दी जाए, उनके द्वारा बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए। अगर ऐसा किया गया तो थोड़े दिन के अन्दर ही हमारी भारतीय संस्कृति और साथ ही साथ हमारा राष्ट्र अधिक से अधिक उन्नत बन सकेगा।

हमारे गांवों में जो योजनायें चल रही हैं उनके द्वारा बहुत काम हो रहे हैं। जो लोग गांवों में काम करने के लिये भेजे जाते हैं, उनकी योग्यताओं के बारे में मुझे कुछ कहना है। जो ग्राम सेवक हैं उसको आप नाम देते हैं "डबल्य....." या कुछ ऐसा ही नाम उसका चलता है। आपने बी० डी० ओ० भी वहां पर रखे हैं। बी० डी० ओज० के लिये आपने योग्यता रखी है कि वह ग्रेजुएट होना चाहिये। मैं कहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान के गांवों को आपको समुन्नत गांव बनाना है और चाहते हैं कि योजना के जरिये हिन्दुस्तान ऊंचा उठे तो यह आवश्यक है कि राष्ट्र भाषा के माध्यम से जो लोग डिग्री प्राप्त करें, उन डिग्रियों को मान्यता दे करके उनके प्रमाण-पत्रों को मान्यता दे करके, उनको नौकरी देने में प्राथमिकता दें। ऐसे लोगों के द्वारा अगर गांवों में काम करवाया जाए तो उनका वेष, उनकी भाषा, उनका तरीका ऐसा होगा जो आम किसान से मिलता जुलता होगा, आम किसान के साथ सहानुभूति वाला होगा, और साथ ही साथ आकर्षण-कारी भी होगा।

इसी तरह से हिन्दी पढ़ाने के लिये जो प्रोफेसर कालेजों में रखे जाते हैं उनकी भी प्राथमिक योग्यता अंग्रेजी की एम० ए० को माना जाता है। अगर हिन्दी का वह रत्न है, या हिन्दी विशारद है, तो उसको इस पोस्ट के लिये योग्य नहीं समझा जाता है और प्राथमिक योग्यता वह नहीं रखता है, ऐसा कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को ऐसी जगहों के लिये हिन्दी के विशारदों को, हिन्दी के रत्नों को प्राथमिकता देनी चाहिये। दूसरी भाषाओं का ज्ञान अगर हो तो बहुत अच्छा है नहीं तो इनको ही प्राथमिकता देनी चाहिये। हिन्दी तभी सम्पन्न हो सकेगी अगर आप उसको प्राथमिकता देंगे, उसकी योग्यता पाए हुये लोगों को समुचित स्थान देंगे।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह हिन्दी को प्राथमिकता दें और अगर उन्होंने ऐसा किया तो हिन्दी एक सम्पन्न भाषा बहुत जल्दी बन गाएगी। मैं यह भी चाहता हूं कि जो बाल विद्यालय खोले जायें, उनमें हिन्दी माध्यम आप रखें और अगर ऐसा किया गया तो आगे चल कर भविष्य में हमारा देश अधिक सम्पन्न और सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन सकेगा।

†**डा० सामन्तसिंहार** : मैं शिक्षा मंत्री को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने प्राइमरी शिक्षा अधिनियम प्रस्तुत करके देश में शिक्षा की दिशा में एक क्रांति कर दी है। इस तरह भी वह सारे देश की भावनात्मक एकता के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सामन्तसिंहार]

मैं तो विशेष तौर से कुछ नहीं जानता। सेठ गोविन्द दास ने इसके बारे में संक्षेप से जो प्रकाश डाला है वह बहुत ठीक है। मैं तो केवल इस बात पर आग्रह करना चाहता हूं कि सम्मेलन के प्रधान कार्यालय को दक्षिण में लाया जाये। अच्छा हो यदि हैदराबाद में इसे रखा जाय। यह बात तो स्पष्ट ही है कि हिन्दी के प्रचार की सब से अधिक आवश्यकता दक्षिण में है।

साथ ही मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि संसार की भाषाओं में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं अतः सम्मेलन को भी यह प्रयत्न करना चाहिये कि हिन्दी का विकास वैज्ञानिक ढंग से हो। देवनागरी लिपि में सुधार की आवश्यकता है। इस दिशा की ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाये। वैसे हिन्दी प्रचार के कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिये। इस कार्य के लिये धन भी स्वीकृत किया जाना चाहिये। वैसे यह विधेयक ठीक है और इसे प्रस्तुत करने के लिये हमारे शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं।

श्री त्यागी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यह बिल आज आया। मुझे याद पड़ता है कि संविधान बन रहा था उस समय हिन्दी को उस में लाने के लिये मुझ को भी खास तौर से बहुत सी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थीं। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि इस बीच में इतने वर्ष बीत गये और हमारी केन्द्रीय सरकार ने हिन्दी को खराब कर दिया। जिस तरह अंग्रेजी का तर्जुमा हिन्दी में होना शुरू हुआ और जिस तरह से रेडियो पर हिन्दी बोलना शुरू हुआ उस ढंग ने हिन्दी के विरोधी बहुत बना दिये। जिस समय संविधान बना था उस समय सारा हिन्दुस्तान करीब करीब हिन्दी को स्वीकार कर चुका था।

भाषा कहते हैं उस को जो बोली जाती है। जो लिखी जाती है वह भाषा नहीं है। बोलने वाली चीज का तर्जुमा हमें लिखना पड़ता है लेकिन भाषा का आरम्भ बोलने से है। तो जो बोली हम बोलते हैं .....

†**श्री थानु पिल्ले :** (तिरुनलवेली) : माननीय मित्र से प्रार्थना है कि वह अंग्रेजी में बोलें।

†**श्री त्यागी :** अच्छा मैं अपने दक्षिण भारतीय मित्रों के लिये अंग्रेजी में ही बोलूंगा। मैं एक बात इस दिशा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की हिन्दी का सरकारी विभागों में प्रयोग हो रहा है तथा अनुवाद हो रहे हैं, उससे हिन्दी को हानि पहुंची है। भाषा को इस सीमा तक बिगाड़ा गया है कि इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुवाद उन लोगों को दिये जायें जो वास्तव में भाषा को जानते हों। जो शब्द जनता में आम तौर पर प्रचलित हो गये हों उन्हें छोड़ देने की मनोवृत्ति को त्याग देना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। विधेयक में इस ढंग से संशोधन किया जाये कि सरकार भाषा के आकार तथा सम्मेलन के स्तर पर कुछ नियन्त्रण रख सके। और हिन्दी को इस तरह सरल बनाया जाये कि सभी प्रदेशों के जन साधारण इसे बोल और समझ सके। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन देश की एक बड़ी प्राचीन संस्था है जिसने हिन्दी के विकास मे, हिन्दी की तरक्की में, बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिन्दी आज किसी एक प्रान्त की भाषा नहीं है, वह राष्ट्र भाषा है, वह देश की भाषा है। इसलिये हिन्दी का विकास राष्ट्रीय कार्य है और जो कोई संस्था इस कार्य में योग देती है वह राष्ट्रीय संस्था है और उसको केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिये। परन्तु हमको यह विचार करना होगा कि वह हिन्दी जिसका हम विकास करने जा रहे हैं और जो हमने राष्ट्र भाषा घोषित की है, उसको राष्ट्र भाषा बनाने के बजाए हम उसकी टांगें तो नहीं खींच रहे हैं। ऐसी अवस्था में वह भाषा कैसे बढ़ेगी।

हिन्दी का राष्ट्र भाषा होने का दावा मुख्य रूप में इस बात से है कि वह देश के अन्दर सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। हिन्दी का साहित्य बंगला भाषा के साहित्य से अच्छा है या तामिल के साहित्य से अच्छा है, ऐसा दावा करना गलत होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ प्रान्तीय भाषाओं का साहित्य शायद हिन्दी से अधिक होगा। लेकिन इसके बावजूद हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने की बात कही गई केवल हमारे संविधान में ही नहीं लेकिन उससे पहले ही अनेक लोग ऐसे हुए जिन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया हालांकि वे लोग स्वयं हिन्दी भाषी नहीं थे। इस देश में सबसे पहले जिस युगद्रष्टा ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया और उसके प्रचार के लिये पग उठाया, वह महर्षि दयानन्द सरस्वती थे जो स्वयं गुजराती थे और जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं बल्कि गुजराती थी। और वह संस्कृत के पंडित थे। दूसरे सज्जन जिन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने मे योगदान किया वह एक बंगाली सज्जन थे जिनका इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आता। इस प्रकार जो हिन्दी भाषा भाषी नहीं थे परन्तु जिनमें राष्ट्रीय भावना थी उन्होंने कहा कि चूंकि हिन्दी ही देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, इसलिये यही देश की भाषा बन सकती है और देश को जोड़ सकती है, और किसी भी देश के अन्दर, अगर उसको एक रहना है, तो एक भाषा रहनी चाहिये। एक समय था जब कि यह काम संस्कृत ने किया, एक समय था जब कि यह काम पाली ने किया। लेकिन आज संस्कृत और पाली बोलचाल की भाषायें नहीं हैं। आज हिन्दी सारे देश के अन्दर बोली और समझी जाती है और यह सारे देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है। लेकिन हिन्दी यह काम तभी कर सकती है जब कि वह ऐसी भाषा हो कि सभी लोग उसको अपनाना चाहें। आज की जो हिन्दी है वह खड़ी बोली है और यह राष्ट्र भाषा बनने के योग्य इसी लिये बनी कि यह किसी खास प्रान्त की बोलचाल की भाषा नहीं है। आप भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जिनकी भाषा हिन्दी कही जाती देखें तो आपको मालूम होगा कि कहीं पंजाबी बोलचाल की भाषा है, कहीं अवधि बोलचाल की भाषा है, कहीं मैथिली बोलचाल की भाषा है, कहीं छत्तीसगढ़ी बोलचाल की भाषा है। और इन भाषाओं का अपना अलग-अलग साहित्य है। उन भाषाओं ने बड़े बड़े साहित्यकार और कवि पैदा किए हैं और खड़ी बोली इन सब को लेकर चलती है। अगर आप देखें तो हमारी अनेक भाषाओं में जैसे अवधि, मैथिली, पंजाबी, गुजराती आदि में संस्कृत के बहुत से शब्द भरे हैं और वे अपने-अपने ढंग से बोली जाती हैं हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों में खड़ी बोली नहीं बोली जाती। इसलिये यह कहना सही नहीं होगा कि खड़ी बोली हिन्दी उत्तर प्रदेश या बिहार की भाषा है जिस प्रकार कि गुजरात की और महाराष्ट्र की और तामिलनाड आदि की भाषा है और इसी प्रकार यह आन्ध्र और केरल की भी भाषा है और पंजाब की भी

[श्री बलराज मधोक]

भाषा है। यह भाषा आम बोलचाल की भाषा कहीं भी नहीं है। हिन्दी में संस्कृत के शब्द हैं और जो देश की अन्य प्रान्तीय भाषाएं हैं उनमें भी संस्कृत के बहुत से शब्द मिले हुए हैं,केवल उनके बोलने में अन्तर है। इसलिये यदि सही मानों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना है तो हिन्दी की जो डिक्शनरी बनायी जाए उसमें जो अन्य भाषाओं में शब्द बोले जाते हैं, मुख्य रूप से जो संस्कृत के शब्द हैं, उनको भी शामिल किया जाए यद्यपि उनका रूप अलग अलग बन गया है, और जब हिन्दी लिखी जाए तो वे शब्द उसमें काम में लाए जाएं। जब इस प्रकार का रूप हिन्दी का बनेगा तो उसके लिये एक पंजाबी कहेगा कि इसमें मेरा भी योगदान है, एक गुजराती कहेगा कि इसमें मेरा भी योगदान है, एक तमिल कहेगा कि इसमें मेरा भी योगदान है और इस प्रकार इस भाषा के प्रति जो आज एक अविश्वास की भावना पैदा हो रही है वह दूर हो जाएगी और हिन्दी भाषा सब की सांझी भाषा बन जाएगी। आज हिन्दी के प्रति लोगों की यह भावना नहीं है और जब तक यह भावना रहेगी तब तक हिन्दी के विकास के मार्ग रुकावटें रहेंगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो बोर्ड बनाया जाए उसके अन्दर जो अन्य हिन्दी भाषी प्रान्त हैं उन के भी विद्वान शामिल किए जाएं ताकि वे हिन्दी में वह पुट ला सकें जिसकी आवश्यकता है। तभी सब को हिन्दी अपनी भाषा मालूम होगी।

आज हालत यह है कि जब मैं हिन्दी बोलता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम पंजाबी हिन्दी बोलते हो। यह सही है कि मेरा एक्सेंट उनसे भिन्न है। इसी तरह अगर एक काश्मीरी हिन्दी बोलेगा तो उसका अपना एक खास एक्सेंट होगा बंगाली हिन्दी बोलेगा तो उसका अपना एक खास एक्सेंट होगा। जब कोई इस प्रकार की बात करता है तो हमको यह सुनकर दुःख होता है कि और ये ही लोग हिन्दी के प्रति बिरोध की भावना पैदा कराने में सहायक होते हैं जो समझते हैं कि हमी हिन्दी के पंडित हैं। हमें सारे देश के लिये एक सांझी भाषा बनानी है जिसको सभी अपनी समझें।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के प्रधान बने तो उनको अच्छी हिन्दी बोलना नहीं आती थी। उन्होंने हमसे कहा कि मेरे लिये हिन्दी की डिक्शनरी लाओ ताकि मैं ठीक हिन्दी बोलना सीख सकूं। हमने उनसे कहा कि आप हिन्दी बोलिये और जो शब्द आपको हिन्दी का मालूम न हो उसकी जगह आप बंगला भाषा का शब्द बोलिए। और हमने देखा कि एक साल के अन्दर वह इतने अच्छे हिन्दी के वक्ता हो गए कि जो हिन्दी के बड़े बड़े वक्ता थे वे भी उनके आगे मात हो गए।

तो देश की सभी भाषाओं के शब्दों को लेकर हमको एक सांझी हिन्दी का विकास करना होगा। परन्तु एक बात जरूर है, कि जो बोलचाल की भाषा है और साहित्य की भाषा है हमको अन्तर करना होगा। बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा इन दोनों में दुनिया के और स्थानों में भी अन्तर रहता है। हर जगह बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में और अन्तर रहता है। हम रेडियो पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें और अन्य जगह भी उसका उपयोग करें लेकिन साहित्य यदि तैयार करना हो तो हमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा और वे जरूर क्लिष्ट होंगे। साहित्य की भाषा थोड़ी सी क्लिष्टि जरूर रहेगी।

†श्री त्यागी : अंग्रेजी में बहुत कम फर्क है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री बलराज मधोक : फर्क वहां भी है लेकिन चूंकि हम इंग्लिस्तान में रहते नहीं इसलिये हमें उस का पता नहीं लगता। इंग्लिस्तान के अंदर जो टौमी इंग्लिश बोली जाती है उस में और अंग्रेजी साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा में अंतर रहता है। इतने अंतर का मार्जिन तो हमें देना ही होगा लेकिन जहां मैं यह कहता हूं कि वहां मैं इस चीज़ से इंकार नहीं करता कि हिन्दी जितनी क्लिष्ट वहां इस्तेमाल होती है उसे कम क्लिष्ट किया जा सकता है और यदि हम ऐसा करते हैं तो यह बहुत बड़ी सेवा होगी। उस में हम कोशिश यह करें कि हमारी जो विभिन्न प्रान्तीय भाषाएं हैं । वे भी हिन्दी के सामान हमारी राष्ट्र भाषाएं हैं उनके शब्दों का इस्तेमाल हम हिन्दी भाषा में अधिक करें ताकि सही मायनों में हिन्दी देश की सांझी भाषा बन सके।

जहां तक उर्दू का ताल्लुक है हमारे आनरेबुल मेम्बर श्री मुकर्जी ने उर्दू की बड़ी वकालात की है . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय पूरा हो चुका है ।

श्री बलराज मधोक : मैं आपकी इजाजत से ५ मिनट का समय लेना चाहूंगा क्योंकि यह ऐसा विषय है जिस पर कि निवेदन करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस ने दस मिनट का समय तय किया है मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री बलराज मधोक : मैं दो, चार मिनट में ही खत्म किये देता हूं ।

उर्दू वास्तव में हिन्दी की ही एक शैली है। कोई भी भाषा वर्बस के द्वारा जानी जाती है । अब उर्दू के वर्बस् सारे वही हैं जो कि हिन्दी के हैं। परन्तु जब बाहर के लोग आये तो उन्होंने बर्बस् तो यहां के इस्तेमाल किये और चूंकि वह तुर्की, अरबी और फारसी जानते थे इसलिए उन्होंने बाकी शब्द उनके इस्तेमाल किये । अब यह उर्दू शब्द स्वयं तुर्की भाषा का ही शब्द है। तुर्की भाषा में आर्मी के लिये फौज के लिए उर्दू शब्द का प्रयोग किया होता है। उर्दू लश्करी भाषा थी जिसे कि लश्कर में जो बाहर के लोग थे यहां के लोगों से मिलने जुलने में इस्तेमाल करते थे । वबर्स वे लोक वहां के बोलते थे और नाउंस् दूसरे बोलते थे । जिस प्रकार से टौमी इंग्लिश होती थी उसी तरीके से यह टौमी हिन्दी या उर्दू बनी इसलिए उर्दू को अगर टौमी हिन्दी कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । उस में वे बाहर के शब्द लाये । अब इस उर्दू भाषा को इस देश के एक विशेष सम्प्रदाय ने अपना लिया है और कहने लगे कि यह हमारी भाषा है । महाराष्ट्र में रहने वाले उस सम्प्रदाय के लोगों द्वारा वहां पर उर्दू स्कूल खोले जाने की मांग की जाने लगी । इसी तरह से गुजरात, पंजाब आदि में उस सम्प्रदाय के लोगों द्वारा उर्दू स्कूल खोले जाने की मांग की जाने लगी । हम लोग भी उन के वोट प्राप्त करने के लिए कह देते हैं कि ठीक है उनकी भाषा उर्दू है । अब मैं जानना चाहूंगा हूं कि एक बंगाली मुसलमान की भाषा कहां से उर्दू हो गई ? गुजराती मुसलमान की भाषा उर्दू कैसे हो गई और तामिलनाड के मुसलमान की भाषा कैसे उर्दू हो गई ? वहां के लिए उर्दू स्कूल खोलने की मांग की जाती है । अब उर्दू का सम्बन्ध यदि एक फिरके विशेष से रक्खा जाता है तो उर्दू का विरोध होगा। उर्दू आज देश के अन्दर पृथकता वादी मनोवृतियों की परिचाय बन गयी है और जब तक यह उर्दू सेप्रेटिस्ट और पृथकतावादी प्रवृतियों की परिचाय है तब तक इस देश में उर्दु का विरोध कायम रहेगा । हमें भी उर्दू से प्यार है लेकिन इस पृथकतावादी वृत्ति को पहले इस से दूर करना होगा ...

श्री त्यागी : अगर हिन्दी आसान कर दें तो उर्दू वालों को उतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी ।

श्री बलराज मधोक : वह बात नहीं है । कारण वह नहीं है । कारण दूसरा है । अब पंजाबी भाषा तमाम पंजाब वालों की भाषा है लेकिन सिक्खों ने यह कह कर पंजाबी उनकी ही भाषा है इस पृथकतावादी वृतिका परिचय देकर पंजाबी भाषा के विकास को अवरुद्ध कर दिया है । किस प्रकार के पंजाबी केवल सिक्खों की भाषा न हो कर सारे पंजाब के निवासियों की भाषा है उसी प्रकार से उर्दू कुछ लोगों की, अरबी फ़ारसी से प्रभावित लोगों की भाषा है । यह आम लोगों की भाषा नहीं है । यह किसी प्रदेश की भाषा भी नहीं है । इसे लोगों की यह भाषा कहना गलत बात है । यह लश्करी भाषा थी यह हिन्दी की एक शैली है और एक अच्छी और सुन्दर शैली है । हम उसका वैलकम करते हैं । परन्तु उर्दू के हिमायतियों द्वारा जिस प्रकार उसकी वकालात की जाती है वह वकालात करना उर्दू से दोस्ती करना नहीं बल्कि दुश्मनी करना है । उर्दू को एक सम्प्रदाय विशेष की भाषा न बना कर हिन्दी की एक शैली के रूप में उसका विकास किया जाय तो उसका विरोध कम हो सकता है ।

लिपि के बारे में इस विधेयक के अंदर यह कहा गया है:—सम्मेलन का उद्देश्य "देवनागरी की प्रगति, विकास और प्रोत्साहन के लिए कार्य करना और अन्य भारतीय भाषाओं में से साहित्य देवनागरी में अनुवाद करना और प्रकाशित करना ।"

सम्मेलन यह काम भी करेगा । इस देश के अन्दर यदि हम लोग चाहते हैं कि हिन्दी का विकास हो तो हमें एक सांझी लिपि का निर्माण करना होगा । अभी कल या परसों ही हमने अखबार में यह चीज़ पढ़ी कि पाकिस्तान के जनरल अयूब खां ने कहा है कि ईस्ट बंगाल वालों में जो पृथकतावादी मनोवृत्ति घर कर गयी है उसके लिये यह आवश्यक है कि बंगला लिपि वहां से हटा दी जाये और उसके स्थान पर परशियन लिपि या अरबी लिपि कर दी जाय । अब वह इसके करने में कामयाब होंगे या नहीं यह दूसरी बात है लेकिन एक बात निश्चित है कि लिपि का देश को जोड़ने और अलग अलग भाषा भाषी लोगों को एक साथ लाने में बड़ा भाग होता है । एक लिपि होने से भाषाएं खत्म नहीं होती हैं । सारे योरप के अन्दर अलग अलग भाषाएं हैं । जर्मन भाषा अलग है, इटेलियन भाषा अलग है, फ्रेंच भाषा अलग है लेकिन लिपि उनकी एक है । एक लिपि होने के कारण इटेलियन भाषा का विकास रुक गया है या जर्मन भाषा का विकास रुक गया है ऐसी बात नहीं है । सारे रूस के अन्दर बहुत सी भाषाएं हैं परन्तु वहां सब जगह रूसी लिपि कर दी गयी है । उजबेकिस्तान में और अन्य जगह रूसी लिपि कर दी है । इसलिये भारत के अन्दर अपनी अपनी लिपियां रहें । वे अच्छी लिपियां हैं । गुरुमुखी, बंगला और तामिल लिपि सब अच्छी लिपियां हैं । यह हमारे देश की लिपियां हैं और यह सब राष्ट्रीय लिपियां हैं और हम इस सब से प्यार करते हैं । लेकिन इन के साथ साथ एक सांझी लिपि का विकास होना आवश्यक है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि सरकार की नीति एक सांझी लिपि के निर्माण की होनी चाहिये और वह सांझी लिपि देवनागरी लिपि ही हो सकती है । देश के अन्दर उसको बढ़ाया जाय । सब लिटरेचर उस में छापा जाय ताकि देश की सभी प्रादेशिक भषाओं का विकास हो सके और हिन्दी का विरोध भी कम हो सके ।

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सहायता कर रही है। इस संस्था ने गत ५० वर्षों में बहुत ही शानदार कार्य किया है। सरकार की इस सहायता से आशा करनी चाहिये कि सम्मेलन के आन्तरिक झगड़े भी समाप्त हो जायेंगे। क्योंकि इन आन्तरिक झगड़ों के कारण यह बड़ी कठिन परिस्थिति में हैं। मैं इस संस्था के राष्ट्रीय महत्व को स्वीकार करता हूं। गांधी जी को भी इस संस्था के आशीर्वाद प्राप्त थे।

एक बात की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। वह यह कि यह दुर्भाग्य की बात है कि सम्मेलन हिन्दी को अधिकाधिक संस्कृतमय बना रहा है। मेरा मत यह है कि इसे इसके स्थान पर ठीक आधार पर विकास करने का यत्न करना चाहिये। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि विधेयक का खंड ६ राज्य सभा द्वारा संशोधित किया गया ताकि सम्मेलन को संविधान के अनुच्छेद ३५१ में निर्दिष्ट ढंग से विकसित किया जा सके। आशा करनी चाहिये कि सरकार इस खंड को कार्यान्वित किये जाने की ओर अपेक्षित ध्यान देगी। इसी बात को काका कालेलकर ने भी कहा है जिसका उल्लेख कि डा० गोविन्द दास ने किया। मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूं। हमें हिन्दी का क्षेत्र विशाल और व्यापक बनाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये। आम बोल चाल के शब्दों को लेकर ही कोई भाषा समृद्ध होती है। यदि हमने ऐसा किया तो निश्चय ही इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (बिल्लोर) : हिन्दी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किये जाने वाली बात बहुत पहिले होनी चाहिये थी। परन्तु मेरा मत है कि अब यदि यह मामला तीसरी लोक सभा में ही लिया जाता तो अच्छा रहता। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं इस दिशा में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमें हिन्दी को राष्ट्र-भाषा नहीं कहना चाहिये। देश की सभी भाषायें राष्ट्रभाषायें हैं। हां, हिन्दी सरकारी भाषा है और सब को इसे सीखना चाहिये।

मेरा विचार है कि आज हिन्दी के विरोध का मुख्य कारण भाषाई राज्यों की स्थापना है क्योंकि इससे प्रत्येक प्रदेश अपनी भाषा का विकास करने के लिये इच्छुक हो उठा है। उधर लोगों का ध्यान अधिक जा रहा है। हिन्दी भाषा का प्रचार करने वाले स्वयं, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेज रहे हैं और उनका विचार है कि अंग्रेजी उन्हें अवश्य सीखनी चाहिये। वैसे देश में हिन्दी को पूर्णतः बोलने वालों की संख्या ४० प्रतिशत से अधिक नहीं। वैसे मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हिन्दी को सरकारी भाषा मान लिया गया है। यह अच्छी बात है। यह राष्ट्रीय एकता के लिये बड़ी आवश्यक बात है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इस के पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, ३० मार्च, १९६२/चैत्र ९, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

गुरुवार, २६ मार्च, १९६२

८ चैत्र, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .	१००१–२६
	तारांकित प्रश्न संख्यां	
२७३	क्लर्कों आदि की भर्ती	१००१–०३
२७४	विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन . .	१००३–०४
२७७	कोयले के सम्भरण की स्थिति	१००४–०९
२७८	जीवन बीमे की किस्तें घटाना	१००९–११
२७९	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियों का प्रकाशन	१०११–१३
२८१	सामूहिक बीमा योजना	१०१३–१५
२८२	स्क्रेप समिति	१०१५–१६
२८३	गुरुकुलों को अनुदान	१०१६–१७
२८४	गोपालपुर पत्तन (उड़ीसा) के समीप छावनी . .	१०१७–१८
२८६	केरल भूमि सुधार अधिनियम	१०१८
२८७	कानपुर में विशेष धातुमिश्रित इस्पात कारखाना . .	१०१८–१९
२८९	दिल्ली में मकानों का अनधिकृत निर्माण . . .	१०१९–२२
२९०	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	१०२२
२९६-क	अपूर्ण मतपत्र .	१०२२–२६
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१०२७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
२७५	नूनमती तेल-शोधक कारखाना	१०२७
२७६	कांगो में भारतीय सैनिक	१०२७
२८०	असम में तेल की खोज	१०२८
२८५	कुरखिया खानों में आग लगना	१०२८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

२८८	कानपुर और अहमदाबाद में कोयले का रक्षित स्टाक	१०२९
२९१	वनस्पति तेल उद्योग के लिये संयुक्त कर योजना का पुनरीक्षण	१०२९
२९२	'चीन की झलक' पुस्तक का जब्त किया जाना	१०२९–३०
२९३	प्रविधिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद	१०३०
२९४	गोदावरी बेसिन में तेल की खोज	१०३०
२९५	केरल में हरिजन कल्याण के लिये अनुदान	१०३०–३१
२९६	पंजाब के लिये पाकिस्तान का कोयला	१०३१
२९७	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	१०३१
२९८	पवन शक्ति मण्डल (डिवीजन)	१०३२
२९९	खनन विद्यार्थियों के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण का निदेशालय	१०३२

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४५५	हिमाचल प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था	१०३३–३४
४५६	आन्ध्र में कोयले की पर्तें	१०३४
४५७	मिर्ज़ापुर (उत्तर प्रदेश) में कोयले के निक्षेप	१०३४–३५
४५८	विदेशों में भारतीय अन्दोलन कारियों की कार्यवाही	१०३५
४५९	अलीगढ़ में बिजली के समान का कारखाना	१०२५
४६०	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	१०३५–३६
४६१	पाकिस्तान को कोयले का निर्यात	१०३६
४६२	दिल्ली में बोरी में पाई गई लाश	१०३६
४६३	भारत द्वारा सहायता	१०३६–३७
४६४	कम्पनियों द्वारा बोनस शेयर जारी किया जाना	१०३७
४६५	औद्योगिक वित्त निगम	१०३७–३८
४६६	त्रिपुरा का प्राविधिक आर्थिक सर्वेक्षण	१०३८
४६७	त्रिपुरा में तार तथा तार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता	१०३८
४६८	त्रिपुरा में बम्बई साहूकार अधिनियम का लागू होना	१०३९
४६९	खुदीराम बोस की माता को सहायता	१०३९
४७०	पोस्टल बैलटो का न दिया जाना	१०३९–४०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमश):

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४७१ रत्नगिरि पहाड़ी (कटक) पर संग्रहालय . . . १०४०

४७२ ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा १०४०

४७३ उड़ीसा की दलित जाति संघ को अनुदान . . . १०४०–४१

४७४ उड़ीसा में पुनर्वेधन कारखाना १०४१

४७५ चौथा इस्पात कारखाना १०४१–४२

४७६ रद्दी लोहा १०४२

४७७ स्कल स्क्रैप का निर्यात १०४२–४३

४७८ राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण १०४३–४४

४७९ मंत्रियों को दिये गये भत्ते १०४४

४८० गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अध्यापकों को महंगाई भत्ते . १०४४–४५

४८१ दिल्ली में नगर निगम कर . १०४५

४८२ दिल्ली में उच्च माध्यमिक विद्यालय . १०४५–४६

४८३ जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली १०४६–४७

४८४ दिल्ली के अध्यापक . १०४७–४८

४८५ दिल्ली में ईंट उद्योग . १०४८

४८६ असिस्टेंटों के लिये सेलेक्शन ग्रेड . १०४८

४८७ असिस्टेंटों की पदोन्नति के नियम . १०४८

४८८ आन्ध्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण १०४९

४८९ रद्दी लोहा १०४९–५०

४९० गलाया जाने वाला रद्दी लोहा १०५०

४९१ प्राच्य विश्वविद्यालय . १०५१

४९२ पलाई सेन्ट्रल बैंक के खातेदारों को भुगतान १०५१

४९३ लौह अयस्क का चूरा . १०५१

४९४ आयुध कारखानों में उत्पादन . . १०५२

४९५ वेतन आयोग की सिफारिशें . . १०५२

४९६ कोयला खान सम्बन्धी अन्तरांज्यीय सम्मेलन . १०५२–५३

४९६–क नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के कर्मचारी १०५३–५४

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या

३ उद्योगों को कोयले के आवंटन में कटौती . १०५४

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव १०५४–५५

अध्यक्ष महोदय ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले के भारतीय राज्य-क्षेत्र पर पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा कथित बलपूर्वक कब्जा कर लिये जाने के बारे में, दो स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना श्री एस० एम० बनर्जी और श्री बलराज मधोक द्वारा दी गई थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १०५६

(१) ३० सितम्बर, १९६० से ३० सितम्बर, १९६१ तक की अवधि के लिये निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की कार्यान्विति सम्बन्धी आंकड़ों की एक प्रति ।

(२) फरवरी, १९६१ में नई दिल्ली में हुई चौदहवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

विधेयक पर रायें १०५६

विधि मंत्री (श्री हजरनवीस) ने हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० के बारे में, पत्र संख्या २ जिस में उस पर दी गई रायें दी हुई हैं, सभा पटल पर रखा ।

संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश–सभा पटल पर रखे गय . . १०५६

(१) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की सोलहवें सत्र में हुई तिरानवेवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

(२) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की सोलहवें सत्र में हुई तेइसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन––उपस्थापित १०५६

दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . १०५७

एक सौ तिरेपनवां, एक सौ सड़सठवां और एक सौ अड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १०५७

लोक लेखा समिति का तेतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सदस्य द्वारा त्याग पत्र . १०५७

अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा को सूचित किया कि श्री द्वारिका नाथ तिवारी ने १२ मार्च, १९६२ से लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है ।

विधेयक पारित . . . १०५७-६२, १०७२-८०

विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विचाराधीन विधेयक . . . १०६७-७२ १०८०-९३

शिक्षा मंत्री (श्री का० ला० श्रीमाली) ने यह प्रस्ताव किया कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९६२ पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, ३० मार्च, १९६२ / ९ चैत्र १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि ।

(१) हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अग्रेतर चर्चा और उसका पारित किया जाना ।

(२) गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—19(AI)LS—4-5-62—125